राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २९वां दिवस [संख्या १६

गुरुवार, दिनांक २३ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, स्वायत्त शासन, पंचायत, स्वास्थ्य, गृह, यातायात, कृषि, सहकारी सामुदायिक विकास एवं वन-विभाग]

प्रश्न संख्या ४६१.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले के सिंचाई प्रोजेक्ट्स

४६२. **श्री रामचन्द्र (डग-सु०)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) झालावाड़ जिले में पिछले दस वर्षों में सिंचाई विभाग ने किन किन सिंचाई प्रोजेक्ट्स का सर्वे किया है और प्रत्येक की लागत कितने कितने रुपये की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) इन प्रोजेक्ट्स में से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे हो गये हैं।

(ग) इन प्रोजेक्ट्स के बन जाने से कितना सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) अभी कोई योजना पूरी नहीं हुई है। काली सिन्ध और भीम सागर योजनाओं पर काम चल रहा है। जो लगभग दो वर्ष में पूरा होने की आशा है।

(ग) चालू योजनाओं के पूर्ण होने पर काली सिन्ध से २६,५०० एकड़ एवं भीमसागर से १५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.2

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो लघु योजनाओं से सम्बन्ध रखता था, मुझे तो जवाब ही दूसरा मिला है। मेरा प्रश्न था कि लघु योजनाओं की सैकड़ों की सर्वे कर चुके हैं पर काम २० पर भी नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : जो सर्वे हुई है, जिनकी सर्वे हो रही है और जिनकी पूरी हो चुकी है उन सब की पूरी सूची मैंने रख दी है।

श्री रामचन्द्र : सिर्फ दो की है, भीमसागर और काली सिन्ध की।

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूरी सूची दी है। जिन योजनाओं का सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है वे चार योजनाएं हैं; उनकी सूची दी है। जिनका सर्वेक्षण समाप्त होकर जिन पर काम चालू कर दिया गया है, ऐसी दो योजनाएं हैं। जिन योजनाओं का सर्वेक्षण जारी है ऐसी ५ योजनाएं हैं। जिन योजनाओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त स्थान नहीं मिला, ऐसी एक योजना है। जो योजनाएं विचाराधीन हैं वे ४ योजनाएं हैं।

प्रश्न संख्या ४६३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६४

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली शहर में मजदूरों की बस्ती में रोशनी एवं पानी का प्रबन्ध

४६५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली शहर में जो मजदूरों के रहने के लिये मजदूरों की बस्ती है उसमें मजदूरों की सुविधा के लिये रोशनी का प्रबन्ध हुआ या नहीं?

(ख) क्या यह सत्य है कि उस कॉलोनी में पीने के पानी की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार नहीं है और मजदूरों को वक्त पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है? यदि हां, तो सरकार ने उसके लिये आज तक क्या कदम उठाया है?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्लानिंग मिनिस्टर अपनी टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध लिखित इन्सपेक्शन रिपोर्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

४६६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ ने दि० १५-७-५८ को अपने रतनगढ़ आगमन पर बोर्ड के ख़िलाफ अपनी इन्सपेक्शन रिपोर्ट लिखी थी? यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

Page No.3

(श्री किशनाराम)

(ख) क्या सरकार ने इस इन्सपेक्शन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड के खिलाफ कोई एक्शन लिया है ?

(ग) क्या बोर्ड ने इस इन्सपेक्शन का कोई जवाब डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ को भेजा है तथा इसमें दर्ज कमियों को आज तक पूरा किया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ ने दिनांक १५-७-५८ को रतनगढ़ के बोर्ड का निरीक्षण किया था और निरीक्षण टिप्पणी में बोर्ड को आवश्यक सुझाव दिये थे।

(ख) एक्शन लेने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(ग) बोर्ड द्वारा कंम्पलायेन्स रिपोर्ट अभी तक नहीं भिजवाई गई है।

प्रश्न संख्या ४६७.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य-क्रम

४६८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रणाली लागू की जाने के पश्चात् पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई और कितने प्रशिक्षण कैम्पों का कहां २ आयोजन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के सचिवों के प्रशिक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(३) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पांच अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व डबोक (उदयपुर) में हैं। प्रशिक्षण के लिए जो कोर्स किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख कर दिया गया है।

(३) पांचों अध्ययन केन्द्रों पर सदस्यों व सचिवों को अप्रेल सन् १९६१ से प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ४६९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

:प्रश्न संख्या ५००

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मनरुपराम ।

महिला डॉक्टर्स की पदोन्नतियां

५०१. **श्री मनरूपराम परिहार**(खारची सु.): क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष राजस्थान में कितनी महिला डाक्टरों को सी. ए. एस. क्लास दोयम से सी. ए. एस. क्लास प्रथम की श्रेणी में प्रमोशन दिया गया ? ऐसी महिला डॉक्टरों की योग्यता व राज्य सरकार की सेवा में रहने के कार्य-काल सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) ऐसी कितनी महिला डॉक्टर हैं जिनको राज्य सरकार की सेवा में दस वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु उनका प्रमोशन अभी तक नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) इनका प्रमोशन न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) १४ लेडी डॉक्टरों को गत वर्ष सी. ए.-एस. क्लास दोयम से प्रथम श्रेणी में प्रमोशन दिया गया । सूची योग्यता आदि सहित सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) निम्नलिखित ३ लेडी डॉक्टरों को प्रमोशन नहीं दिया गया ।

१. डॉ० माया चौधरी,

२. डॉ० एस खान्डपुरी,

३. डॉ० आर. के. सैनी ।

(३) प्रमोशन डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी, जिसके चेयरमैन राजस्थान जन—सेवा आयोग के एक मेम्बर थे, की सिफारिश पर दिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इन तीनों को प्रमोशन नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब में अर्ज कर दिया कि इसके लिये प्रमोशन डिपार्ट-मेंटल कमेटी बनी हुई है जिसमें पी. एस. सी. के एक सदस्य चेअरमैन थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार प्रमोशन दिये गये ।

डॉ० चन्द्रकला : प्रमोशन देने के रूल्स क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस कमेटी ने रिपोर्ट दी उसके अनुसार प्रोमोशन दिये गये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : कौन से रूल्स से यह किया गया और क्या आगे अपील करने का प्रोविज़न है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें पब्लिक सर्विस कमिशन के एक सदस्य चेयरमैन थे ।

[redacted]

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मैं समझता हूँ कि उन्होंने सब देख कर ही किया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं समझता हूँ कि गलती सबसे होती है। अगर गलती हो गई हो तो क्या अपील करने का मौका है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें अपील का सवाल नहीं है। कोई चाहे तो रिप्रेजेन्टेशन कर सकता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इन तीनों में कोई प्रेमलता भी है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिनको प्रमोशन नहीं मिला है उनमें ? इसमें तो कोई प्रेमलता नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या इन तीनों को प्रमोशन नहीं दिया गया वह कुछ कम्प्लेन्टों की वजह से नहीं दिया गया होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कमेटी सब रेकर्ड को देखती है। फिर सिफारिश करती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या कमेटी ने इनको प्रमोशन नहीं देने के कारण बताये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि इसके लिये प्रमोशन कमेटी बैठी थी जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के एक सदस्य थे वे इसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने जो सिफारिशें कीं उसके अनुसार किया गया।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इसके लिये कोई रूल्स निर्धारित नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कमेटी बनी और उसने सारा रेकॉर्ड देख कर सिफारिश की है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स में इस प्रकार का कार्य कमेटी द्वारा ही होता है या केवल डॉक्टरों के लिये ही इस प्रकार की कमेटी बनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रमोशन के लिये रूल्स सभी डिपार्टमेंटस में अलग अलग हैं।

प्रश्न संख्या ५०२

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०३

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

५०४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विधि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में जुडिशियरी कब तक पूरी तौर से एक्जीक्यूटिव से अलग कर दी

[redacted]

(श्री मूलचन्द डागा)

जावेगी, और अभी तक नहीं करने के क्या क्या कारण हैं ?

(२) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जुडिशियरी एक्जीक्यूटिव से अलग नहीं होने के कारण जनता न्याय से वंचित रहती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है और कल भी इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर सरकार की ओर से दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : यह कहा था कि इसी साल हो जाएगा।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

पंचायत समिति, रोहट द्वारा रकम का वितरण

५०५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि पंचायत समिति, रोहट की दिनांक २८–१–६० को हुई बैठक के दिन साढ़े नौ हजार रुपये की रकम का वितरण हुआ ? यदि हां, तो किस तरह ?

(२) क्या रकम का वितरण करने के पहिले ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पारित होकर आ चुके थे ? यदि नहीं, तो फिर रकम क्यों बांटी गई ?

(३) प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिये ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम और कितनी बाद दी जा सकती है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिए ज्यादा से ज्यादा केवल १०००) रुपये की रकम दी जा सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या २८–१–६० को जिनको दो हजार रुपये मिल चुके थे उनको और रकम दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई मीटिंग ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

गलवा बांध से निकाली गई नहरों से हुई हानि

५०६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या गलवा बांध से सिंचाई होना प्रारम्भ हो गया है ? अगर हां, तो कब से और कितनी भूमि सिंचित हुई ? उसकी सिंचाई की रेट क्या क्या है ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) जहां जहां खेतों में होकर नहरें व धोरे निकले हैं वहां काश्तकारान की कितनी कितनी भूमि खराब हुई और उनको क्या मुआवजा दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि खरीफ की व रबी की खड़ी फसल को खाड़ियां लगाकर नष्ट करवा दिया गया ? अगर हां, तो इस तरह कितनी भूमि खराब हुई और कितने अनाज का नुकसान हुआ ? सूची देने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । चालू वर्ष की रबी की फसल में सिंचाई प्रारम्भ हो गई है । अब तक लगभग १३०० एकड़ भूमि को पानी दिया जा चुका है । रेट की सूची संलग्न है ।

(२) नहरों के काम में ३४५.६ एकड़ भूमि आई है और इस भूमि के मुआवजे के रूप में २२,२६६.७३ नये पैसे होते हैं । यह रकम जिलाधीश टोंक को भेज दी गई है वे इसका भुगतान कर रहे हैं । धोरों की जमीन काश्तकारों के कब्जे में रहती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता ।

(३) जी नहीं । फसल को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुआवजा उनको मिल गया या कलेक्टर के पास ही पड़ा हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर ने उनको दे दिया होगा । यहां से भेज दिया है, नहीं दिया होगा तो दे देगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उनको दे दिया गया या नहीं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि दे दिया गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : दे दिया होगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रेट्स तो पहले निश्चित की होगी ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो इसकी सूची दे दी थी । रेट तो पहले से तय है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या रेट्स हैं ?

श्री दौलतराम सारण : वे तो नियम छपे हैं उसमें तय है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नियम तो पुराने हैं । नये बांध बने हैं उनके लिये नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : सब के हैं । सूची मेरे पास है । अगर, अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बता दें ।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय ।

Page No.8

अफीम का तस्कर व्यापार

४०७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) [श्री जगदीशप्रसाद माथुर(सीकर)द्वारा पूछा गया]: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटा जिले में अफीम के कितने केसेज़ सन् ६० में रजिस्टर हुए ?

(ख) इनमें से कितने केसेज में फाईनल डिसीज़न हो चुका है ?

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि अफीम का तस्कर व्यापार क्यों बढ़ रहा है ?

राजस्व-मन्त्री, (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कुल ६८ केसेज़ पुलिस में दर्ज हुए।

(ख) पुलिस द्वारा ६० मुकदमों में निर्णय दिया जा चुका है तथा चालान किये गये ५५ मुकदमों में से ५ के अदालत में फैसले हो चुके हैं।

(ग) जी हां, तस्कर व्यापार की वृद्धि का कारण एक तो अफीम की ज्यादा उत्पत्ति तथा दूसरा अफीम के तस्कर बाजार के भाव तथा सरकारी भाव में भारी अन्तर से व्यापारियों को होने वाला लाभ प्रतीत होता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें कितने मामले ऐसे पकड़े गये जिनमें सरकारी अधिकारी इस तस्कर व्यापार में शामिल थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में सरकारी अधिकारियों के मामले नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सरकार तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा नाकेदार लगाये जा रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सब कुछ होते हुए भी अफीम का तस्कर व्यापार दिनों दिन बढ़ता ही जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये मैंने बता दिया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अक्सर इस प्रकार के मुलजिम छूट जाते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : Very general question.

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या यह सही है कि किसानों को कम कीमत दी जाती है और सरकार ज्यादा वसूल करती है, इसलिये ज्यादा फायदा तस्कर व्यापार से होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खास कर झालावाड़ में तस्कर व्यापार में ज्यादा फायदा होता है।

एक माननीय सदस्य : सभी जगह ऐसा होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका कारण तो मैंने इसके जवाब (ग) में दिया है कि तस्कर भाव और सरकार के भाव में अन्तर है इससे व्यापारियों को लाभ होता है, इसलिये यह होता है।

Page No.9

श्री रामचन्द्र : क्या सरकार इन दरों को बढ़ाना पसन्द नहीं करती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह ।

उनियारा डिस्पेन्सरी के स्टाफ में कमी

५०८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या चिकित्सा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ठिकाना के समय में उनियारा डिस्पेंसरी में जो स्टाफ था क्या वह अब कम कर दिया गया है ? अगर हां, तो किन किन को कम किया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त डिस्पेन्सरी में मेहतर तक को कम कर दिया गया है ? अगर हां, तो अब उसकी ड्यूटी किसके जिम्मे लग रही है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) दो कम्पाउन्डरों के अलावा और किसी को कम नहीं किया गया है ।

(२) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दो कम्पाउन्डरों को क्यों कम किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर तीन कम्पाउन्डर्स थे । तीन की जरूरत नहीं थी एक ही काफी था इसलिये दो हटा दिये गये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा कस्बा है । पहले ठिकाने के समय तीन कम्पाउन्डर्स रखे हुए थे । आपने उनमें से अब दो को कम क्यों कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले के मुकाबले में बीमारी बहुत कम हो गई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप तो कल बीमारी नहीं कह कर डॉक्टर को भी हटा देंगे । इसके अलावा वहां पर पहले स्वीपर था उसको भी हटा दिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो स्वीपर पहले से था वह पार्ट टाइम था और अभी भी है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ कि वहां पर स्वीपर नहीं है । पार्ट टाइम नहीं है । पहले ठिकाने की तरफ से था अब नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं जांच करा लूंगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपको इस बारे में जानकारी देता हूँ । मैं खुद डॉक्टर से मिल कर आया हूँ । आप पधार कर मेरे साथ देखने चलें तो आपको सही मालूम होगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सतवन्तकौर ।

जिमनिया लिखने की कॉपियों की मय नम्बर के सरकार द्वारा छपाई

५०९. श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No.10

(श्रीमती सतवन्तकौर)

(१) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा जो जिमनिया बनाई जाती हैं वे पुलिस अधिकारियों द्वारा बाद में तब्दील की जा सकती हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि भारत के दूसरे प्रान्तों में जिमनिया लिखने के लिये जो कॉपियां दी जाती हैं उन पर नम्बर लगे होते हैं और वह सरकार द्वारा छपाई जाती हैं ?

(३) क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास)
(१) जी नहीं ।

(२) जी हां ।

(३) यहां भी व्यवस्था इसी प्रकार है । जिमनियों के फार्म्स सरकार द्वारा ही सरकारी मुद्रणालयों में छपाये जाते हैं तथा हर जिल्द में जिमनियों की प्रतियों पर अनुक्रम नम्बर छापे जाते हैं ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु): जिमनियां क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केस डायरीज ।

श्री रामचन्द्र : क्या फरमाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका मतलब केस डायरीज़ है ।

प्रश्न संख्या ५१०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री किशनाराम ।

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहनलाल सारस्वत के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही

५११. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि मणि हरिजन ने रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन द्वारा उसके वेतन की रकम में गड़बड़ी करने की शिकायत की थी, जिस पर रीजनल इन्सपेक्टर, लोकल बॉडीज़, बीकानेर डिविजन ने बाद जांच डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़, राजस्थान, जयपुर को अपनी जांच रिपोर्ट करते हुए श्री मोहनलाल पर आरोप सन् ५५ व ५६ में लगाये थे ? यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट पर आज तक क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं लिया गया ? इस जांच रिपोर्ट की फायल अब कहां है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि श्री पूनमचन्द वैद, रतनगढ़ के मकान के आगे बने खुर्रे में श्री मोहनलाल सारस्वत पर गड़बड़ व गबन आदि करने की शिकायत पेश हुई थी जिसकी जांच रीजनल इन्सपेक्टर, लोकल बॉडीज़, बीकानेर ने करके डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़, जयपुर को सन् ५६ में भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया व यह मिसल अब कहां है ? इस विषय में रीजनल इन्सपेक्टर की जांच रिपोर्ट सरकार के पास कब पहुंची ?

Page No.11

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): अध्यक्ष महोदय, मैं इसका एडजोर्नमेंट चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा बेराज के उद्घाटन अवसर पर हुआ व्यय

५१२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) [श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा बेराज के उद्घाटन के अवसर पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ तथा किस किस मद में ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि कोटा की टूटी सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु भी कुछ धनराशि व्यय हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) कोटा बेराज के उद्घाटन के अवसर पर सिंचाई विभाग द्वारा लगभग ३४,०००) रु० खर्च किया गया था। इसमें से लगभग १८,०००)रु. का भुगतान किया जा चुका है और शेष भुगतान किया जा रहा है। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

भुगतान किया हुआ व्यय

१) नाव व ट्रकों का खर्चा	५४०.८५
२) बेरीकेड्स, जल छिड़काई आदि	५,२८६.१५
३) बेराज की सजावट	४,१७४.२८
४) मजदूरों को मिठाई वितरण	५७६.००
५) भाषण स्थल का निर्माण	६८.००
६) लाउड स्पीकर	२,०००.००
७) बिजली इत्यादि	४६८८.००
८) उपवन विभाग का बिल	१००.००

भुगतान होने वाले व्यय के अन्दर पब्लिसिटी, स्टोर सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के मेहमानों आदि पर हुआ व्यय है।

(ख) कोटा की सड़कों पर मरम्मत का कार्य हुआ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : लाउड स्पीकर का बताया तो खरीदे गये या किराया लगा ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं। किराये पर मंगाये जाते हैं। बाहर के मेहमानों और खास कर राष्ट्रपतिजी या प्रधान मन्त्रीजी पधारते हैं तो प्रेस्काइब्ड युनिट से मंगाये जाते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राज्य सर-सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ है, यह नहीं बताया गया है। सड़कों आदि का जीर्णोद्धार किया गया तो कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री भीखाभाई : कुल मद में कितना खर्चा हुआ, यह बताया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कुल कितना खर्चा हुआ, यह नहीं बताया गया है। आपने अपने डिपार्टमेंट का बता दिया।

श्री भीखोभाई : वाटर बोर्ड ने जो धन राशि स्वीकार की थी वह खर्च की गई है। इतनी ही धन–राशि मध्यप्रदेश में भी की गई। वाटर बोर्ड ने ही यह खर्चा किया है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : सहमति लेकर क्यों नहीं किया गया, यह पूछ रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सड़कें दुबारा बनाई गई ?

श्री भीखाभाई : सड़कें आगे पीछे बनानी ही पड़ती हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : इससे तो शहर की शोभा ही बढी है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में चालित 'फ्लश लगाओ अभियान-

५१३. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) 'फ्लश लगाओ अभियान' के अन्तर्गत जयपुर शहर की चौकड़ी मोदी खाना व तोपखाना में कुल कितने फ्लश लगाये गये ? उसमें नगरपालिका ने कुल कितना रुपया सहायता अथवा ऋण के रूप में खर्च किया ?

(२) उक्त अभियान अ[illegible] है या बन्द हो गया ? आगे जनता को [illegible] के सम्बन्ध में सहायता देने की [illegible] है ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त [illegible]कड़ियों में अब भी बहुत सारी तहारतें खुली हुई हैं जिससे गन्दगी और बदबू फैलती रहती है ?

(४) क्या यह सच है कि मकान के चारों ओर की कच्ची गलियों के कारण भी चारों ओर बड़ी गन्दगी फैलती है ? इन गलियों को पक्की कराने के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) 'फ्लश लगाओ अभियान' के अन्तर्गत जयपुर शहर की चौकड़ी मोदी खाना में ३०२ तथा तोपखाना में ५६३ फ्लश लगाये गये। इनमें नगरपालिका द्वारा कुल ५,८४१)रु. ऋण के रूप में दिये गये।

(२) उक्त अभियान बन्द हो गया है। अब जनता को नगरपालिका द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार ता० ३१-७-६१ तक सुविधायें दी गई हैं, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज रख दी गई है।

(३) जी हां, उक्त चौकड़ियों में अब भी कुछ तहारतें खुली हुई हैं।

(४) जी हां, इन गलियों को पक्की कराने की योजना बनाई जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : यह अभियान क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री सम्पतराम : यदि कोई अभियान साल भर चलता रहे तो वह अभियान नहीं रहता।

डॉ० चन्द्रकला : इस अभियान की कितनी अवधि थी और ज्यादा से ज्यादा किसी अभियान की कितनी अवधि हो सकती है ?

श्री सम्पतराम : इस अभियान की अवधि २६-१-६१ से ३१-७-६१ तक है।

डॉ० चन्द्रकला : और इस अभियान की अवधि कितनी अधिक से अधिक हो सकती थी ? जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि साल भर तक नहीं चला सकते; क्योंकि वह अभियान नहीं रहता है तो फिर इसकी अधिक से अधिक अवधि कितनी हो सकती है ?

श्री सम्पतराम : जनता की भावना और काम-काज को देखा जाता है और यह सोचने और समझने पर भी निर्भर करती है।

डॉ० चन्द्रकला : अभियान जो बन्द किया गया तो जनता की भावनाओं, सुविधाओं सबको देख कर बन्द किया गया था ?

श्री सम्पतराम : अभियान तो इसलिए किया जाता है कि आम पब्लिक का ध्यान उधर ले जाया जाय, कन्स्ट्रक्टिव वर्क किया जाय। साल भर तक उन साधनों को जुटाना आदि अन्य बातों का भी सम्बन्ध रहता है। विज्ञप्ति इश्यू की गई है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा काम कराने की कोशिश की गई है।

डॉ० चन्द्रकला : विज्ञप्ति जारी की हुई थी हासिल में ५) रु० किया गया है। नगरपालिका टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत करती है। ऋण देने के लिए क्या नीति है ?

श्री सम्पतराम : ऋण देने के लिए जितना रुपया होता है उतना ही तो दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई जा सकती।

डॉ० चन्द्रकला : भाग ४ में बताया गया है कि योजना बनाई गई है। योजना कब बनाई गई और कब क्रियान्वित होगी ?

श्री सम्पतराम : कागज में लिखा है उसकी तरफ माननीय सदस्या का ध्यान गया है? प्रश्न के भाग ४ की ओर नहीं ध्यान गया है। क्या यह सच है कि मकान के चारों ओर की कच्ची गलियों के कारण भी चारों ओर बड़ी गन्दगी फैलती है ? इन गलियों को पक्की, कराने के सम्बन्ध में क्या योजना है ? उसका सम्बन्ध गलियों से है, जिनको पक्की बनाने का है।

डॉ० चन्द्रकला : जवाब मिला इसका कि योजना बनाई जा चुकी है। तो कब यह योजना बनाई गई थी और कब उसको क्रियान्वित किया गया ? मैंने सोच-समझ कर ही यह प्रश्न पूछा है।

श्री सम्पतराम : फ्लश के बारे में मेन क्वेश्चन था। गलियों को पक्की बनाने के लिए दो लाख की योजना बनाई गई है और अगले फाइनेन्शियल ईयर में एक लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह फ्लश लगाओ अभियान, जयपुर के अलावा किन किन शहरों में है ?

Page No.14

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य तो इस बारे में सवाल नहीं पूछते हैं। माननीय सदस्या तो तकलीफ करती हैं।

श्री शंकरलाल : यह अभियान कहां कहां शुरू किया है ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर—सु०) : हरिजनों के लिए भी लागू होगी ?

श्री सम्पतराम : कुछ लेट्रिन्स को फ्लश में कन्वर्ट कराने के लिए हरिजन मौहल्लों में सबसे अधिक ४० प्रतिशत पक्की की हैं।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री हरिप्रसाद यादव : जयपुर पालिका के हरिजनों के पास २०० वर्षों तक के कागज हैं। उनको उन जमीनों से हटाने का नोटिस दिया है। एक तरफ तो नोटिस देते हैं और दूसरी तरफ मंत्री महोदय योजना पर जोर देते हैं। अब आप इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आपने कहां की बात कहां जोड़ दी।

श्री सोहनलाल भटनागर

जयपुर—अजमेर रूट पर संचालित स्टेट रोड वेज की बसें

५१४. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) [श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जयपुर—अजमेर रूट पर स्टेट रोडवेज़ की बसें कब से चलने लगी हैं ?

(२) इस रूट पर १५ फरवरी, १९६१ तक स्टेट रोडवेज को कुल कितनी आमदनी और खर्चा हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) इस रूट पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें दिनांक २६ जनवरी, १९६१ से चलनी शुरु हुई हैं।

(२) इस मार्ग पर २६ जनवरी, १९६१ से १५ फरवरी, ६१ तक कुल आमदनी रुपये १२,७४६. ५७ और कुल खर्चा १४,५०७.६४ हुआ है जिसमें डेप्रिसियेशन व ब्याज भी शामिल हैं।

श्री जयसिंह राणावत : आमदनी से खर्चा ज्यादा क्यों है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी वजह यह है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल गई थी और उन्होंने कम्पीटिशन के लिहाज से किराया बहुत कम कर दिया। यात्री उसमें ज्यादा बैठते हैं इसलिए खर्चा अधिक लगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : सरकार भी किराया कम करने का विचार रखे। रेल्वे का भी इससे कम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आर. टी. ए० का है। और वही किराया है। २७ मार्च, सन् १९६१ को सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जायेगा और प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी बसेज

Page No.15

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को नहीं चला सकेंगे, ऐसी आशा की जाती है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सरकारी बसेज में ज्यादा टाइम लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी बसेज को रेगुलर किया गया है। रेश ड्राइविंग प्राइवेट ओपरेटर्स करते होंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया था कि स्टेट ट्रान्सपोर्ट बसेज ३ रुपया ११ आना जयपुर से अजमेर के लेती हैं और प्राइवेट बस वाले २ रुपया ६ आना लेते हैं। गवर्नमेन्ट अधिक किराया क्यों लेती है, इससे सरकार को हजारों रुपयों का घाटा रहता है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : किस आधार पर यह रेट फिक्स किया गया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरे प्रश्न का जवाब देने दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : I reply both the questions at a time as both relate to the same. मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि किराया कम करने का विचार नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : किस बेसिस पर......

श्री दामोदरलाल व्यास : आर० टी० ए० द्वारा रेट्स क्लासिफाई कर रखी हैं। अजमेर, जयपुर जो रूट है चार नये पैसे प्रति मील प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया फिक्स कर रखा है। यही किराया प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी ले सकते हैं, लेकिन कम्पीटिशन की वजह से बराबर कम करते जा रहे हैं। स्टेट रोडवेज कम्पीटिशन पर उतरना नहीं चाहती। सवारियां नहीं मिलती हैं तो खाली बसेज को चलाने का आदेश नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : Why not make it at par with the Railway rates ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता नहीं। रोडवेज में ज्यादा फेसीलिटीज मिलती हैं। सवारियों को समय की बचत होती है। माइलेज के अनुसार किराया लगाया गया है वह ठीक है, इसको कम करने का सरकार का इरादा नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : खाली बसें चलती हैं तो आपका आदेश है कि उनको न चलाया जाय, वैसी हालत में जब लोग रोडवेज की बस में ही सफर करना चाहें उस हालत में क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, बस को खाली नहीं भेजते। कोई सवारी नहीं हो तो उसको भेजते नहीं हैं। अब तो सिर्फ पांच-सात दिन की और बात है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने वाला है और हमें विश्वास है कि वह हमारे अनुकूल होगा; क्योंकि स्टेट रोडवेज नेशनलाइजेशन की स्कीम को किसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर नहीं किया है। मामूली पब्लिकेशन आदि में फर्क रह गया है इस वजह से देरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में २७ तारीख की पेशी है उसमें इसका फैसला हो जायेगा।

श्री जयसिंह राणावत : क्या सरकार के यह जानकारी में है कि सरकारी जो रोडवेज चलती हैं उनके आदमी और कन्डक्टर, ड्राइवर आदि जो हैं वे जान बूझ कर स्टेट बस को एक तरफ खड़ी रखते हैं और सवारियां जो आती हैं उनको प्राइवेट बसेज में बैटने के लिये कहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : आर० टी०-ओ० ने डाइरेक्शन दिया है नेशनेलाइज्ड रूट्स पर जो बसेज चलती हैं उनका किराया रेल्वे के समान हो, इस तरह से रेट्स रिवाइज करने के इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसे किसी प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स नहीं दिये गये हैं। आर० टी० ए० क्वजी जुडिशियल बौडी है वह खुद डिटर्मिन करती है क्या रेट्स हों। उन्होंने मेक्जीमम रेट्स मुकर्रर की हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मेक्जीमम रेट मुकर्रर की है।

रेट्स रिडयूस नहीं करती स्टेट ट्रान्सपोर्ट। This is an important question.

श्री अध्यक्ष : You may not have a discussion here. The Hon'ble minister has already said that the Government has no intention to reduce.

श्री पी० के० चौधरी : Previously the Hon'ble minister was saying that Rajasthan has fixed the rates. Now he has given out the fact that Rajasthan has got ..

श्री अध्यक्ष : But he has said after due consideration that Government does not propose to reduce. He has said very categorically. There is no doubt about it.

श्री जयसिंह राणावत : जो जवाब मिनिस्टर साहब ने दिया है कि २७ तारीख को फैसला हो जायेगा, क्या उन सभी रूट्स का फैसला हो जायेगा जिन पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें चलती हैं जिनमें सब में घाटा हो रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस रूट के लिए आपने पूछा है उसी के बारे में मुकदमा चल रहा है और उसी का फैसला २७ तारीख को होने वाला है। दूसरे रूटस पर जो सरकारी गाड़ियों चल रही हैं वे ठीक प्रकार से चल रही हैं।

श्री जयसिंह राणावत : ठीक से नहीं चल रही हैं, घाटे में चल रही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा कि आप से निवेदन किया जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स चला रहे हैं और कम्पीटिशन कर रहे हैं वहां घाटा हो रहा है। It will...

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : एक महीना आप भी कम्पीटिशन पर क्यों नहीं उतर जाते हैं?

Page No.17

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समानुकूल वेतन व सुविधायें

५१५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नगरपालिकाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं को राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलाओं के अनुकूल निर्धारित करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या निश्चय किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि यह प्रश्न गये पांच वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक नगरपालिका के कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधायें सरकारी कर्मचारियों के अनुसार नहीं हैं ?

(घ) क्या सरकार यह इरादा रखती है कि यह उनकी अनिवार्य मांग अविलम्ब ही पूरी कर दी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

(ख) नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : कितने अर्से से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : यह काफी अर्से से विचाराधीन है और काफी अर्से तक विचाराधीन रहेगा। हरेक म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति समान नहीं होती, उनके साधनों को देख कर ही कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि की जाती है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो, उसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : सरकार सदस्यों से अपेक्षा करती है कि वे दे जनता को जागृत करें ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा टैक्स म्युनिसिपैलिटीज़ को दें और सरकार से जितना हो सकता है मदद करने की कोशिश करती है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : काफी अर्से से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बे समय तक।

श्री मूलचन्द डागा : जिन म्युनिसिपैलिटीज़ की आर्थिक स्थिति ठीक है और सुधरी हुई है उनके कर्मचारियों को सुविधा देने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : हमने यह आदेश दे रखा है कि लोकल फंड ऑडिट की जो रिपोर्ट आती है यदि उसके अनुसार किन्हीं लोकल

(श्री सम्पतराम)

बॉडीज़ की फाइनेन्शियल पोज़ीशन अच्छी है तो उस रिपोर्ट के आधार पर यदि म्युनिसिपैलिटीज़ रिकमन्ड करती हैं तो सरकार उस पर विचार करके स्वीकृति दे सकती है ।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार ने इस प्रकार से किन किन म्युनिसिपैलिटीज़ की रिकमन्डेशन को मन्जूर किया है जिसके अनुसार ज्यादा महंगाई भत्ता और अन्य सुविधायें दी जायें ?

श्री सम्पतराम : अच्छा यही होता, आप ही किसी म्युनिसिपैलिटी का नाम लेकर पूछते ।

प्रश्न संख्या ५१६

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१७

श्री नारायणसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रावतमल पारीक ।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कृषि कॉलेज की स्थापना

५१८. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में एक और एग्रीकल्चर कॉलेज बीकानेर डिविजन में खोलने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): जी नहीं ।

श्री रावतमल पारीक : क्या कृषि कॉलेज के लिये कोई योजना नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाली में पेकेज प्रोग्राम में १५ करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वहां कृषि कॉलेज खोला जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

डाबरा बहुधंधी सहकारी समिति (जिला जोधपुर)

५१९. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

डाबरा बहुधंधी सहकारी समिति (जोधपुर जिला) द्वारा सदस्यों को कितना ऋण कब कब वितरित किया गया ? क्या इस ऋण की वसूली हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस समिति के सदस्यों को निम्न प्रकार ऋण वितरित किया गया :—

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ऋण देने की तारीख	ऋण जो दिया गया
१५-१-५८	२५,५७५
१-३-५८	७,५२५
३-७-५६	१२,७८०
४-७-५६	४,३२०
५-७-५६	१,४४०
७-७-५६	१०,६४०
६-७-५६	१०,०३०
१०-७-५६	५,६२०
१६-७-५६	१३,३००
१७-७-५६	४८०
२६-७-५६	८,५२०
२६-७-५६	८,२८०
१-८-५६	२,३२०
२-८-५६	४८०
१६-१०-५६	६,६००
२०-२-६०	४००
३-५-६०	१३००

योग १,२१,६१० ।

इस समस्त ऋण में से ७६,३११ रुपये वसूल हो चुके हैं। शेष ४२,५६६ रुपये अगली खरीफ की फसल पर वसूल होंगे। इस वर्ष इस क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण इसे कमीवाला क्षेत्र घोषित किया गया, इसी कारण यह बकाया इस वर्ष वसूल नहीं की जा सकी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन लोगों के अन्दर बकाया थी उनमें से कुछ लोगों को दुबारा ऋण दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन सदस्यों के अन्दर बकाया थी उनको नहीं दिया गया, अलग अलग लोगों को दिया गया। जितना वसूल हो चुका है उतना अमाउन्ट बता दिया गया है। ४२,५६६ रु० बाकी हैं। इस साल वह कमीवाला क्षेत्र घोषित किया गया है इसलिये वसूल नहीं हो सका है।

प्रश्न संख्या ५२०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

उदयपुर जिले की सहकारी संस्थाओं से बकाया रकम की वसूली

४६१. **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों को ऋण के रूप में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली धनराशि की वसूली सम्बन्धित तहसील द्वारा की जाती है ?

(ख) यदि हां, तो उदयपुर जिले की किस २ सहकारी संस्था से कितनी २ धनराशि

(श्री भैरोंसिंह)

वसूल करनी है? यह बकाया कब २ से वाजिब है?

(ग) क्या यह सही है कि यह वसूली समय पर नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो अप्रेल, सन् ५७ से अब तक किस किस संस्था से कितनी कितनी रकम वसूल की गई है और कितनी वसूल वाजिब है?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह !

पंचायतों में लगाये गये तहसील कोटपुतली के ग्राम

५६३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) जिला जयपुर, तहसील कोटपुतली के पूर्णनगर, नागल, चेचीका, दादू का पेजू, का खेड़ा, निहालपुरा जिन वर्तमान पंचायतों में लगाये गये हैं उनसे कितनी कितनी दूरी पर हैं?

(ख) इन ग्रामों के नजदीक से नजदीक कौन कौन सी पंचायत कितनी दूरी पर है?

(ग) क्या यह सही है कि नजदीक पड़नेवाली पंचायतों में दूर के ग्राम लगाये हैं और नजदीक ग्रामों को दूर की पंचायतों में?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): के उक्त ग्रामों की दूरी पंचायतों से निम्नानुसार है :—

नाम ग्राम	पंचायत का नाम	पंचायत से फासला
१. पूर्णनगर	जयसिंहपुरा	५ मील
२. नागल, चेचीका,	गोनेड़ा	२ मील
३. दादूका	पाथरेडी	२ मील
४. पेजूका	पाथरेडी	२ मील
५. (ए) खेड़ा	चिमनपुर	१ मील
(बी) निहालपुरा	,,	,,

खेड़ा का निहालपुरा रेवेन्यू रेकॉर्ड में अलग अलग गांव न होकर एक ही ग्राम है।

(ख) इन ग्रामों से नजदीक पंचायत निम्नानुसार है।

नाम ग्राम	नजदीक पंचायत	फासला
१. पूरणनगर	चिमनपुरा	१ मील
२. नागल, चेचीका	जयसिंहपुरा	॥ मील
३. दादूका	राजनोता	१॥ मील
४. पेजूका	राजनोता	१॥ मील
५. (ए) खेड़ा	सेरूंड	१ मील
(बी) निहालपुरा	चिमनपुरा	१ मील

(ग) जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : आपने जो यह बताया कि यह गांव पांच मील, तीन मील की

(श्री रामकरणसिंह)

दूरी पर हैं और दूसरे आध मील, एक मील की दूरी पर हैं तो आधा मील और एक मील दूर पड़ने वाले गांवों को क्यों नहीं लगाया गया और पांच मील, तीन मील दूर वालों को क्यों लगाया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें दो तीन गावों का हिसाब नहीं लगाया जाता, एक श्रृंखला होनी चाहिये । एक ही श्रृंखला बनाये रखने के लिये ऐसा करना पड़ता है ।

श्री रामकरणसिंह : इसी प्रकार से तहसील से तहसील पंचायत और क्लेक्टर के ऑफिस से पंचायतें बना कर प्रस्ताव भेजे थे पर आपकी हाइ पॉवर कमेटी ने यह डिस्टर्ब किया है और इस प्रकार की सही जानकारी हाइ पॉवर कमेटी को नहीं है। नीचे वाले तो सभी इसको सही मान रहे हैं ।

श्री हरीभाऊ उपाध्याय : हाई पॉवर कमेटी के सामने भी जितने रिप्रेजेन्टेशन्स आते हैं उनके आधार पर ही वह रद्दोबदल करती है। अगर माननीय सदस्य को अब शिकायत है तो वे दरख्वास्त दें, हाइ पॉवर कमेटी भी विचार करेगी और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कहीं रह गई है या भूल हो गई है तो उसे ठीक कर दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

थाना बाप (जोधपुर) के एस० आई० श्री समरथसिंह के विरूद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही

४६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि थाना बाप, जिला जोधपुर के एस० आई० श्री समरथसिंह के खिलाफ मोटाई ग्राम के सरपंच श्री हरिसिंह ने भ्रष्टाचार अथवा अन्य जुल्म ज्यादतियों की शिकायत डी० आई० जी० पी०, जोधपुर, आई० जी० भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं गृह मंत्री महोदय को की है ?

(ख) क्या यह सही है कि डी० आई० जी.पी. ने श्री समरथसिंह को चार्जशीट दी है तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उसको निलम्बित करने के लिये लिखा है ? यदि हां, तो अभी तक इस पर क्यों नहीं अमल किया जा रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि एस० पी०, जोधपुर द्वारा उक्त थानेदार का अनुचित रूप से पक्ष लेने के कारण थानेदार द्वारा रोज जनता के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं और सरकारी अधिकारी मौन धारण किये हुए हैं ?

(घ) क्या सरकार तुरन्त ही उचित कार्यवाही करके थानेदार की इन जुल्म ज्यादतियों से बचाकर जनता को राहत प्रदान करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां ।

(ख) जी हां, श्री समरथसिंह को चार्जशीट दिया गया है और विभागीय जांच की जारही है। एन्टी करप्शन विभाग ने एस० आई० को सस्पेन्ड करने के लिये नहीं लिखा है । उस विभाग द्वारा भी अभी अनुसन्धान किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : यह चार्जशीट कब दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २३ अगस्त ६० को।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत कब की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १० जून, ६० को मिस्टर हरिसिंह ने की थी।

श्री भैरोंसिंह : चार्जशीट देने के बाद क्या यह समझा जावे कि वह निलम्बित किया गया और अगर नहीं किया गया तो क्या यह समझा जावे कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त मात्रा में सूबूत नहीं मिले हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, जितनी कम्पलेन्टस मिली हैं उनके आधार पर केस रजिस्टर करके उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वह इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं इसलिये यह कहना कि उसके खिलाफ कोई चार्ज साबित हो गया या नहीं हुआ मुमकिन नहीं।

श्री भैरोंसिंह : डी० आई० जी०पी० ने चार्ज शीट दी है तो जिस इन्क्वायरी के आधार पर उन्होंने चार्ज शीट दी उस इन्क्वायरी का क्या हुआ ? क्या यह भी एन्टी करप्शन विभाग को दे दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That was only departemental action.

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि अगस्त में चार्ज शीट दे दिया गया। अब अगली साल का मार्च का महीना आ गया। अभी तक क्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी समाप्त नहीं हुई या समाप्त हुई तो प्रमाण नहीं मिला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी फाइनेलाइज़ नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि अगस्त में चार्जशीट दे दी गई और आज मार्च ६१ आ गया; तब तक भी इन्क्वायरी खत्म न हो तो क्या इतना समय सरकार इसमें लगना वाजिब समझती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्शन ऑफ एविडेन्सेज़ में ज्यादा समय लग सकता है। पार्टिक्लरली जब तब कि केस रजिस्टर होकर एन्टी करप्शन विभाग को इन्वेस्टिगेशन के लिये दे दिया गया हो, तब डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करके केस को प्रेजूडिस नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एन्टी करप्शन विभाग ने डी० आई० जी०पी० की रिपोर्ट पर केस रजिस्टर किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हरिसिंह सरपंच ने कम्पलेन्ट की थी। उसे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच के लिये भेजा गया। उन्होंने तफतीश की और इसके बाद कुछ कम्पलेन्टस और आई तो उन तमाम के साथ केस १६१ के तहत में रजिस्टर किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केस रजिस्टर करने के लिये एन्टी करप्शन विभाग को जब डी० आई० जी०, ने लिखा तो उन्होंने एक नोट लिख कर भेजा था कि आप केस रजिस्टर करो, मैं गवर्नमेन्ट को इसको सस्पेन्ड करने के बारे में मूव कर रहा हूँ।

Page No.23

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह नहीं कह सकता । मेरे नोटिस में यह बात नहीं है। आपने एन्टी करप्शन के बारे में कहा उसका मैंने जवाब दिया । अब डी० आई० जी० ने सरकार को क्या लिखा, इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री भैरोंसिंह : १६१ का यह केस कब रजिस्टर हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास इस वक्त नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय कम्पलेन्ट की गई उसके एक महीने के बाद जुलाई के महीने में केस रजिस्टर हो गया, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्व का है । होम मिनिस्टर साहब को शिकायत की जावे, डी०आई० जी० को, एन्टी करप्शन विभाग को शिकायत की जावे और फिर उस पर आज तक कार्यवाही न हो तो फिर शिकायत करने का मतलब क्या रह जाता है ? इतना अर्सा हो जावे और सरकार कोई कार्यवाही करने के बजाय उसको डिफेन्ड कर रही है । कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं । लोगों को किसी को कुछ आज तक पूछा तक नहीं, फिर कह रहे हैं केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूछते हैं तो जवाब देते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है । यह कब तक होता रहेगा इन्वेस्टिगेशन ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर यही जानना था कि डिले कर रही है सरकार जान बूझकर तो you should have put a straight question. यह तारीख पूछते फिर आप । फिर मैं आपको डिले होने का कारण बताता ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पूछने का मतलब यह था कि तब से आज मार्च, ६१ तक आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? केस के बारे में I am not so particular. मैं तो जानना चाहता हूँ कि क्या इतनी देर आप उचित समझते हैं ऐसे मामलों में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that the time is likely to be taken for the collection of evidences.

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार इतने समय को किस प्रकार से जस्टिफाई करती है ? जुलाई में केस रजिस्टर हो गया और उसका चालान मार्च, ६१ तक भी नहीं हो पाया।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि मुकदमे की तफतीश करने में और एविडेन्सेज़ कलेक्ट करने में समय लगता है । एन्टी—करप्शन विभाग के आदमी लगे हुए हैं जांच में । तो इतने समय में सारी एविडेन्सेज़ कलेक्ट नहीं हो सकतीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

उदयपुर नगर में मोटर गाड़ी नम्बर आर० जे० वाई० १३७५ के चालान का मामला

४६७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरोंसिंह)

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में ट्रैफिक सब–इन्सपेक्टर श्री जगदीशप्रसाद तथा हैड कॉन्सटेबल भंवरलाल ने मोटर गाड़ी आर. जे. वाई. १३७५ के दो चालान सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में किये थे ?

(२) क्या यह सही है कि इन चालानों से सम्बन्धित केसेज़ नम्बर २४६ व २५० (सन् १९५९) के फैसले सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाकर अभियुक्तों को बरी कर दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेट ने अपने फैसलों में यह लिखा है कि पुलिस ने झूठे कागज़ात बना कर अभियुक्तों को हैरान करने के लिये गलत चालान किया है ?

(४) यदि हां, तो इस पर इन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इन दोनों फैसलों व पुलिस सम्बन्धी इस विषय के उद्धरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) केवल सब–इन्सपेक्टर श्री जगदीशप्रसाद जिला उदयपुर जो ट्रैफिक में काम करते थे ने बस नम्बर आर. जे. वाई. १३७५ का दो दफा सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान किया।

(३) मुकदमा नम्बर २४६ में अवश्य अभियुक्त बरी हुए हैं, किन्तु मुकदमा नम्बर २५० में एक अभियुक्त श्री थावरदास पर २००) रुपया जुर्माना हुआ और अभियुक्त श्री मुरारीलाल बरी हुआ।

(३) केस नम्बर २५० में अदालत ने ऐसा कोई रिमार्क नहीं दिया है। मुकदमा नम्बर २४६ में अदालत ने यह अवश्य लिखा है कि मुकदमा संदिग्ध है तथा मोटर के चैकिंग मीमो में तादाद सवारी ५६ को ५९ बनाई गई सी प्रतीत होती है। अदालत के पूरे निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है।

(४) सब-इन्सपेक्टर श्री जगदीशप्रसाद को छः माह के लिए हैडकॉन्सटेबल के पद पर रिवर्ट कर दिया गया है। सम्बन्धित हर दो फैसलों के उद्धरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। हैड कॉन्सटेबल भंवरलाल के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : रिवर्शन क्या कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स के कारण किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, इसमें ओवर राइटिंग पाया गया, इसके कारण से किया गया।

श्री भैरोंसिंह : इसी कारण से किया गया न ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं और बता दूं। केस नम्बर २५० में अदालत ने कोई ऐसे रिमार्क नहीं दिये। केस नम्बर २४६ में ऐसा लिखा है कि मुकदमा संदिग्ध है तथा मोटर के चैकिंग मीमो में तादाद सवारी ५६ को ५९ बनाई गई सी प्रतीत होती है। अदालत के पूरे निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। तो यह है जो कुछ है।

Page No.25

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूँ कि जो कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं इसके कारण ही रिवर्शन किया है या दूसरे मामले में किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें यह है कि केस २५० में अदालत ने ऐसा कोई रिमार्क नहीं दिया है। केस नं० २४६ में अदालत ने यह अवश्य लिखा है कि मुकदमा संदिग्ध है। केस नम्बर १३७५ का दो दफा सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान किया। दूसरे चार्जेज़ जो थे for that he has been reverted for a period of six months.

श्री भैरोंसिंह : ये जो चार्जेज़ हैं जिनके बारे में सवाल पूछा गया है क्या पुलिस की इन्क्वायरी से ओवर-राइटिंग सिद्ध हो गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि पुलिस की इन्क्वायरी का रिज़ल्ट जितने भी चार्जेज़ थे....

श्री भैरोंसिंह : मैं तो इसके बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोर्ट ने यह लिखा है :

"It is a matter of doubt because there appears to be an overwriting and for this the Police enquiry was held and the conclusion of that enquiry was that there was a grave suspecion of tampering...

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी इन्क्वायरी की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोर्ट ने जब यह सन्देह प्रकट किया तो ये चार्जेज़ दिये गये थे, that goes without saying.

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका रिज़ल्ट यह रहा कि जो स्ट्रिक्चर कोर्ट ने पास किया वह सही था और ओवर-राइटिंग किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो चार्जेज़ थे उनकी सजा दे दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : सजा देने का सवाल नहीं है। कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया था वह सही पाया गया या नहीं और कोर्ट ने जो ओवर-राइटिंग के लिए लिखा था वह पॉइन्ट सही पाया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ओवर-राइटिंग का चार्ज था और साथ में दूसरे भी चार्जेज़ थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो कोर्ट के स्ट्रिक्चर के बारे में पूछ रहा हूं, बाकी के चार्जेज के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया गया है उसी से साबित होता है।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई इन्क्वायरी की है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा मैंने कहा कि कोर्ट ने जो फाइन्डिंग्स दी थी वह फाइन्डिंग नहीं थीं उन्होंने कहा था कि बहुत ही डाउटफुल था, because there appears to be an over-writing and that was found and perhaps this is sufficient for punishing authority. It may not be sufficient for a Criminal Court.

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस डिपार्टमेन्ट ने जो इन्क्वायरी की थी उसके आधार पर स्पष्ट नहीं होता कि ओवर राइटिंग है, या नहीं बल्कि कोर्ट ने जिस प्रकार संदिग्ध बताया था उसी तरह था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have given all the informations I had.

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन तो बिलकुल क्लियर है कि कोर्ट के जो स्ट्रिक्चर पास हुए थे वह पुलिस को इन्क्वायरी में सही साबित हुए या नहीं ? इसमें आप 'हां' या 'ना' कह दीजिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He may think whatever he likes. I have given my full information.

श्री भैरोंसिंह : No, Sir. There is no correct reply. The reply is evasive.

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि एक्शन ले लिया गया। वह चार्ज था और दूसरे भी चार्जेज़ थे।

श्री भैरोंसिंह : एक्शन तो दूसरे मामलों में लिया गया है। इसमें क्या हुआ मंत्री महोदय बताना, नहीं चाहते।

श्री दामोदरलाल व्यास : So I said this was also one of the charges framed against that officer, and as a result of the enquiry he was imposed this punishment. This was not for a particular charge but it was for all charges.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु आयोग की स्थापना

५००. **श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में गृह मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के लिए एक आयोग की स्थापना की जायेगी ?

(२) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा यह आयोग कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.27

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि होम मिनिस्टर साहब ने आबू में पुलिस अधिकारियों के सामने इस बात की घोषणा की थी कि राज्य सरकार पुलिस कमीशन नियुक्त करनेवाली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, 'जी नहीं'।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहता हूं कि यह स्टेटमेन्ट इन्करेक्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है आपका जो तरीका है वह काम में लीजिए आप इनकरेक्ट कहते हैं, मैं कहता हूं कि बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री विद्यासागर (फलसिया) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवा दिया जाये।

उदयपुर ज़िले के विकास खण्डों में सिंचाई के हैड में लैप्स्ड रकम

५१०. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) [श्री विद्यासागर (फलासिया) द्वारा पूछा गया] : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर जिला के तहसील फलासिया, खैरवाड़ा, सराड़ा एवं सलूम्बर के ब्लॉक्स में सन् १९५९ अक्टूबर के बाद से अब तक सिंचाई के हैड में कितनी रकम लैप्स हुई ? कृपया मय कारण के सूची सदन की मेज पर रखें।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : कोई रकम लैप्स नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह(उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ५१७ का उत्तर दिलवा दिया जाये।

वन समिति के प्रतिवेदन के अभिस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करवाना

५१७. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) [रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] : Will the Forest Minister be pleased to state:-

(1) When was the Committee to enquire about Forests in the State appointed and when was their Report submitted ?

Page No.28

(राव श्री नारायणसिंह)

(2) By when does the Government consider to implement the recommendations of the Report ?

(3) Is the Government considering formation of District level committees to implement the recommendations of the Report, particularly in regard to re-demarcation of forest boundaries ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (i) The Committee was appointed under Government Order No. D. 12443/F. 15 (163) Rev. A. 58 dated 1st June, 1958. The Committee submitted its report on 21st July, 1959.

(2) Government Orders on the various recommendations of the Report have already been issued.

(3) No.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह (बाडमेर): अध्यक्ष महोदय प्रश्न ५२० का उत्तर दिलवा दिया जाये।

प्रोसीक्यूशन ब्रान्च को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन करना

५२०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) [श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या यह सही है कि प्रोसीक्यूशन ब्रान्च को पुलिस विभाग से अलग करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं ।

(११.५८ म. प.)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन

श्री सम्पतराम (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७६,७६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

[इस मांग पर निम्नांकित सदस्यों के के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

डॉ० बहादुरसिंह :

(१) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर की पशु वन विहार स्थिति पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

(२) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर

(डॉ० बहादुरसिंह)

की नर्सरी के विस्तार पर वाद-विवाद करने हेतु)।

(३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में रेलवे लाइन के साथ वन लगाने पर वाद-विवाद करने हेतु)।

(४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर में वन लगाने पर वाद-विवाद करने हेतु)।

(१२) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा लकड़ी के दिये गये टेके पर बहस करने हेतु)।

(१३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों के लिये लकड़ी के अभाव पर बहस करने हेतु)।

(४७) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में एक रुपये की कटौती की जाय (वन विभाग के पुनर्गठन पर वाद-विवाद करने हेतु)।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :

(५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में एक रुपये की कटौती की जाय (जंगलात सम्बन्धी किसानों की कठिनाइयों पर बहस करने हेतु)।

श्री रामकरणसिंह :

(६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (सिरसका रेन्ज के आधीन हरिपुरा आदि प्लान्टेशन में हुई अनियमितता पर वाद-विवाद करने हेतु)।

श्री दलीपसिंह :

(७) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) की कटौती की जाय (कोटा डिविज़न में काश्तकारों को लकड़ी हासिल करने में होने वाली तकलीफ पर वाद-विवाद करने हेतु)।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(८) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में गोचर भूमि स्थापित करने पर विचार करने हेतु)।

श्री चन्दनमल वैद :

(१४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को वनों से लकड़ी न मिलने पर बहस करने के लिये)।

(१५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विकास पर बहस करने हेतु)।

(१६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (गेम सेंक्चूरीज़ पर बहस करने हेतु)।

(श्री चन्दनमल वैद)

(१७) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन् में १) रु० की कटौती की जाय (वन के ठेकों में बरती गई अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

श्री भीमसेन :

(२०) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जोड़ बीड़, बीकानेर की प्लाटेन्शन योजना की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

(२१) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (जोड़ बीड़,बीकानेर का प्लान्टेशन योजना के कारण, आम मार्ग जो बन्द कर दिया है, को खोलने पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

रावराजा श्री सरदारसिंह :

(22) Demand No. IV, Major Head 10-Forest-be reduced by Re .1/- (to discuss the wrong marking of Forest boundaries in Hilly villages leading to inconvenience to the people residing there).

श्री पी० के० चौधरी :

(23) Demand No.IV, Major Head 10-Forest be reduced by Re. 1/-(to discuss the causes of stone progress in accrual of Forest revenue).

डॉ० चन्द्रकला :

(२४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन संरक्षण पर बहस करने हेतु) ।

(२५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती को जाय (वनों के सृजन पर बहस करने हेतु) ।

(२६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (राष्ट्रीय उद्यान व आखेट पर बहस करने हेतु) ।

(२७) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (खराब हुए वनों का पुनरुद्धार और वनों का विस्तार पर बहस करने हेतु) ।

(२८) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (चराई एवं चारण भूमि की उन्नति पर बहस करने हेतु) ।

श्री किशनलाल शर्मा :

(२९) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती को जाय (वनों का ठेका देने पर बहस करने हेतु) ।

(३०) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास :

(३१) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रुपये की कटौती की जाय (इस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की चर्चा करने के लिये) ।

Page No.31

श्री बृजसुन्दर शर्मा :

(32) Demand No. IV, Major Head 10--Forests be reduced by Re. 1/ (to discuss the failure of the Govt. in arranging wood fuel and timber for the cultivators of Koth Division in accordance with the concessions granted to them by the Govt.)

श्री रामचन्द्र :

(३४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रुपये की कटौती की जावे। (झालावाड़ जिले में वन-व्यवस्था संतोषजनक न होने पर विवाद करने हेतु)।

(३८) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रुपये की कटौती की जावे। (वन श्रमिक सहकारी समितियों की कठिनाइयों पर वाद-विवाद करने हेतु)

(३६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रु० की कटौती की जावे। (झालावाड़ जिले में बांस उद्योग के लिये बांस उगाने का प्रबन्ध नहीं किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री सोहनलाल भटनागर:

(३५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रुपये कटौती की जाय (वन विभाग के मातहत कर्मचारियों की अल्प तनख्वाह पर बहस करने हेतु)

(३६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में १) रुपये की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन नहीं दिये जाने पर बहस करने के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल:

(४०) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में १) रुपये की कटौती की जावे (जयपुर जिले के वनों में काफी नुकसान होने पर वाद-विवाद करने हेतु)।

श्री मनरुपराम परिहार :

(४१) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय देसूरी रेंज में जलाने की लकड़ी की असुविधा पर बहस करने के लिये)।

(५०) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन में १) रुपये की कटौती की जाय (जोधपुर डिविजन में आंवले की लाल-जंगलात चमड़े के ठेके की प्रथा से चर्म उत्पादक घरेलू धन्धों वाले गरीब जाति के शोषण पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पतराज जैन:

(४२) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (किसानों को वन विभाग से जलाउ व कृषि के काम में आनेवाली लकड़ी आवश्यकतानुसार न मिलने पर बहस करने के लिये)।

(४३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वनों के नष्ट करने पर बहस करने के लिए)।

Page No.32

श्री सूबेदारसिंह:

(४६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जावे (धौलपुर उप-जिले में लकड़ी के अभाव पर बहस करने हेतु) ।

श्री गणपतिलाल:

(४८) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील की जनता को जंगलों से जलाउ सूखी लकड़ी न लाने देने पर बहस करने के लिये) ।

श्री नाथूराम:

(५३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में १) रुपये की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिले में वन विकास पर बहस करने के लिये) ।

(५५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिले में वनों का ठेका देने पर बहस करने के लिये) ।

श्री देवीलाल

(५४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रुपये की कटौती की जाय (सराड़ा तहसील में रिज़र्व जंगल में से चरनोट छोड़ने पर बहस करने के लिये) ।

श्री भैरोंसिंह:

(५६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में १००) रुपये की कटौती की जावे (वनों से होने वाली आय में कमी के कारणों पर विचार करने हेतु) ।

(५७) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में १००) रुपये की कटौती की जावे (वन विभाग की प्रशासनिक अव्यवस्था पर विचार करने हेतु) ।

श्री रावतमल पारीक:

(५८) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (छोटे बीड़ों की व्यवस्था पंचायत समितियों को सौंपने के बाबत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये) ।

श्री पन्नालाल हरित:

(५९) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (खेतों के बीच में आई हुई विभागीय घास की बीड़ों को खेती के लिये राजस्व विभाग को देने पर बहस करने के लिये) ।

(६०) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (कोटा जिला में विभागीय नाकों की संख्या कम करने पर बहस करने के लिये) ।

(६१) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय

(श्री धन्नालाल हरित)

(कोटा डिविजन में जलाऊ लकड़ी की समस्या पर बहस करने के लिये) ।

(६२) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (विभाग द्वारा बनाये गये कूपों को ठेकेदारों को न देकर वन श्रमिक सहकारी समितियों को देने पर बहस करने हेतु) ।

(६३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०--वन में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान के बोर्डर के जंगलों को साफ करने पर बहस करने के लिये) ।

श्री रावतराम (१४२)

(६४) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय (ग्राम लील की तहसील राजगढ़ जिला चुरू को बीड़ को कटवाकर काश्त के लिए भूमिहीन किसानों को देने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(६५) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रुपये की कटौती की जाय (छोटे बीड़ों की व्यवस्था पंचायत समितियों को सौंपने पर बहस करने हेतु) ।

(६६) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन में १) रुपये की कटौती की जाय (सरदार शहर के आस पास बढ़ते हुए धोरों को रोकने हेतु वहां पर जंगल लगाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बारे में विचार करने हेतु)]

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०-वन के संबंध में मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं, १, २, ३, ४, १२, १३, और ४७ नम्बर पर, जिन्हें मैं प्रस्तुत करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ तो कटौती के प्रस्ताव धौलपुर के लिए हैं और कुछ विभाग के बारे में हैं । मैं क्रमशः इन कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूँ । मैं यह आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय गम्भीरता से इनके ऊपर विचार करेंगे । पहला कटौती का प्रस्ताव धौलपुर के पशु वन विहार के लिए है । अध्यक्ष महोदय, पशु वन विहार गेम सेंक्चुरी के नाम से विख्यात है । हालांकि वह क्षेत्र एक्स-स्टेट के टाइम में बनाया गया था । मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में यह बहुत ही प्रसिद्ध था । उसकी क्या हालत बिगड़ी है । उसकी अगर कहानी उन लोगों से, जिन्होंने उसे देखा है और आज उसको देखते हैं, उनसे सुनें तो बड़ा अफसोस होता है । उसके बाद राजस्थान सरकार ने उस क्षेत्र को सुरक्षित करने का विचार किया । मैं इसके लिए तो सरकार को बधाई देता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके बारे में कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूँ । इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा यह पशु वन विहार जिसे कि एनिमल गेम सेंक्चुरी कहते हैं विशेषकर धौलपुर के अन्दर इसके प्रचार का बहुत भारी अभाव है । धौलपुर राष्ट्रीय मार्ग पर है । यदि कोई मनुष्य चम्बल और उटंगकन नदी के बीच में से निकाले तो उसको मालूम होगा कि इस क्षेत्र में गेम सेंक्चुरी है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चम्बल पुल एशिया

(डॉ० बहादुरसिंह)

के अन्दर रिगेस्ट है उसके पास एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि यहां गेम सैंक्चुरी है। इसके बाद मेरा सुझाव है कि उटंगकन नदी के पुल के पास भी इसी तरह का एक साइनबोर्ड लगाना चाहिए कि यहां पर इस प्रकार की गेम सैंक्चुरी है। इसके बाद मेरा एक सुझाव और है और वह यह है कि यह जो महल वन विहार के नाम से है, इसका थोड़ा सा निर्माण, जब शाहे अफगान पधारे थे, उसके बाद हुआ था। उसका जो दूसरा हिस्सा है उसका भी सुधार होना चाहिए और दूसरी बिल्डिंग्ज हैं उनको भी ठीक किया जाना चाहिए और उनका सुधार करके उनको थोड़ा रिहायसी तौर पर बनाना चाहिए। तीसरा सुझाव इसके बारे में यह है कि महलों के अन्दर जो पार्क वगैरह उस समय के अन्दर थे वे बिलकुल जंगल का रूप लिए हुए हैं। यदि उनको अच्छी तरह से सुधारा जाये और उनको आकर्षक बनाया जाये तो वहां ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षण हो सकता है। इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान आपको इसकी व्यवस्था के बारे में दिलाना चाहता हूं। इसके अन्दर जो फीस लगती है उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे शेर वगैरह देखने के बारे में है। मुझे हालात विशेष तो जानकारी में नहीं हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसमें इस प्रकार की बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति अगर शेर देखने जाये तो उसको ५० रुपये फीस देनी पड़ेगी, उसके ईटिंग वगैरह के चार्जेज के रूप में। ठीक है, कोई उसको देखने जाये तो उसके ईटिंग वगैरह के लिए उससे कुछ चार्जेज ले सकते हैं। यदि ईटिंग वगैरह नहीं करे और फिर भी हम चार्ज कर लें तो यह उपयुक्त बात नहीं है। और उसका आकर्षण भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो गेम सेंक्चुअरीज हैं उसके संबंध में माननीय सदस्य जो कहते हैं कि बेकार खर्च करते हैं, क्योंकि वे आते भी उस इलाके से हैं जहां कि जंगल के लाभ को लोग जानते नहीं हैं।........

(१२ मध्यान्ह)

श्री चन्दनमल बैद : (सरदारशहर) : मेरे यहां न जंगल हैं और न जंगली हैं।

डा० बहादुरसिंह : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके संबंध में कि कुछ नोमिनल फीस रखनी चाहिए जिसके कि विभाग को भी लाभ रहे और आने वालों को एक आकर्षण हो व जो दूसरे आने वाले व्यक्ति हैं उनको पूरी सुविधा हो।

अब मैं आपका ध्यान मेरे दूसरे कट मोशन की ओर ले जाऊंगा जो इस प्रकार है।

"मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०, वन में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर की नरसरी के विस्तार पर वादविवाद करने हेतु)।"

जो कि धौलपुर नर्सरी के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, यह नर्सरी एक बड़े, स्टेट टाइम के पुराने बाग में लगी हुई है और बाग का जितना मौजूदा हिस्सा है वह मौजूदा

(डॉ० बहादुरसिंह)

स्थिति में १/४ में है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से उसमें दो कुंए और काफी बड़ी जगह हैं, उसमें हम काफी विकास कर सकते हैं नरसरी का। तो क्यों न नर्सरी का अधिक विकास करें, क्योंकि यह इस प्रकार की चीजें हैं जिनको करने से पैसे की आमदनी होती है, और साथ ही साथ हमारा जो प्लान्टेशन है उसके अन्दर वृद्धि होती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि कम से कम इस नरसरी के विकास में बाग का जो क्षेत्र है उसका पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए।

तीसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है ?

"मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १० वन में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में रेल्वे लाइन के साथ वन लगाने पर वादविवाद करने हेतु) "

वह रेल्वे साइडिंग में फोरेस्ट लगाने के लिए है। मैं आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे राज्य के अन्दर जो रेल्वे लाइन्स हैं, उनके साथ साथ में फोरेस्ट लगाने चाहिए। फोरेस्ट लगाने के लिए दो कारण हैं। एक तो यह है कि जिस वक्त रेल्वे से, जो व्यक्ति बाहर से आने वाले हैं, वे इधर से निकलेंगे तो उनके सामने एक सुन्दरता का नजारा आयेगा। दूसरा जो रेलवे लाइन के साथ साथ जो गड्ढे हो जाते हैं उनके साथ में रेलवे का जो कटाव है वह रुकेगा। तीसरी बात यह है कि हमारी वन–संपदा के अन्दर वृद्धि होगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस बात का सर्वे किया जाना चाहिए कि रेल्वे लाइन के साथ साथ हम फोरेस्ट लगायें तो कितना लाभ होगा और उस लाभ से राजस्थान के अन्दर जो रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको चैक करने में सुविधा होगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव के तौर पर जो कटौती प्रस्ताव हैं उन पर इस प्रकार से विचार करेंगे कि जिससे हमारा फारेस्ट का जो केपिटल है वह बढ़े।

अब मेरा जो चौथा कटौती प्रस्ताव है :

"मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०, वन में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर में वन लगाने पर वाद–विवाद करने हेतु)"

वह धौलपुर के फोरेस्ट के बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में चम्बल और पार्वती के अन्दर जो रेविन्स हैं उनमें फोरेस्ट लगाने चाहिए। आजकल भी उनमें कुछ फोरेस्ट लगाये जाते हैं लेकिन जिस प्रकार वे फोरेस्ट लगाये जाते हैं उनमें जितनी प्रगति होनी चाहिए वह पूरी प्रगति उनमें नहीं है। आप शिकायत यह कर सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण कुछ लैण्ड एलाटमेंट फोरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं हुई और इसके कारण इसमें असुविधा आई है। मैं यह बात मानता हूं। मेरे सामने भी एक-दो दफा जो वहां के स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने शिकायत भी की थी। तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जमींदारी समाप्त हम कर चुके हैं। तो जमींदारी समाप्त हो गई तो अब उन रेविन्स पर उनका अधिकार नहीं है। अब फोरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको अपने अधिकार में लेकर फोरेस्ट लगा देने चाहिये। इससे दो

(डॉ० बहादुरसिंह)

फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि जो भूमि का कटाव है, विशेषकर धौलपुर नगर को जिससे नुकसान पहुंचने की स्थिति पहुंच रही है वह रुक जायगा और, उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा। इसके बाद जो पार्वती के रेविन्स हैं जिनके द्वारा एक बहुत बड़े कस्बे सेपऊ को काफी नुकसान हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन रेविन्स के अन्दर फोरेस्ट ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे तो अधिक लाभ होगा।

अब मैं आपका ध्यान मेरे जो दूसरे दो कटौती प्रस्ताव हैं; संख्या १२ और १३ उनकी ओर ले जाऊंगा जो इस प्रकार हैं;

"१२. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०, वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग द्वारा लकड़ी के दिये गये ठेके पर बहस करने हेतु)।

१३. मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०, वन में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों के लिये लकड़ी के अभाव पर बहस करने हेतु)।

कटौती प्रस्ताव १२ और १३ को मैं एक साथ ले लेता हूं जिनमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट की शिकायतें हैं जो कि करीब २ एक सी हैं।

आज जो वन की लकड़ी का ठेकेदारी को जो ठेका देते हैं तो या तो वे फोरेस्ट की नुकसान करते है या दूसरी तरह से जनता को परेशान करते हैं। जनता को परेशान करने का कारण यह है कि ठेकेदार जब लकड़ी लायेंगे तो विलम्ब से लायेंगे। इस तरह की वे कोशिश करेंगे कि उनको लकड़ी नहीं दी जाय, क्योंकि हमारे फोरेस्ट के नज़दीक आगरा क्षेत्र है वहां अक्सर लकड़ी का अभाव रहता है। धौलपुर के पास फिरोज़ाबाद में जो ग्लास इन्डस्ट्री है उसके लिए वह लकड़ी जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वे लोगों को जलाने के लिये लकड़ी का अकाल बना देते हैं, और लकड़ी भी थोड़ी थोड़ी करके लायेंगे और वह भी अनुपयोगी बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लायेंगे जिससे कि लोगों को जलाने में असुविधा रहे। खास तौर से बड़े बड़े ठेकेदार इस प्रकार की परिस्थिति ले आते हैं कि जो लकड़ी आये उसको लोग खरीदें नहीं और वे विभाग को शिकायत करते हैं कि खरीदते नहीं हैं। दूसरी तरफ जो नागरिक लोग है उनकी शिकायत रहती है कि जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। आखिर लकड़ी बाहर भेज दी जाती है, और बाहर भेजने के कारण हमारे यहां लकड़ी का अभाव रहता है।

दूसरे लकड़ी का अभाव है उन गांवों में जो गांव फोरेस्ट से लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो फोरेस्ट से लगे हुए गांव हैं वहां के लोग या तो चराई का काम करते हैं या टूटी हुई लकड़ियों को बीनते है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट की यह शिकायत मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि लकड़ी को काटकर वे लोग जमीन पर डाल देते हैं और वह लकड़ी लाकर मार्केट में बेच देते हैं। यह बात सत्य है। लेकिन इस बात के सही होते हुए भी यह ध्यान रखना चाहिये फोरेस्ट गार्ड को विशेषकर कि जो लकड़ी इस प्रकार से सूखी टूट कर गिर पड़े तो गांव वालों को जलाने के लिए और जहां कि कृषि के उपयोगी लकड़ी हो तो वह उनको मिलने की सुविधा मिलनी चाहिये।

(डॉ० बहादुरसिंह)

दूसरे ठेकेदारों के बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता से काम लेना चाहिये, क्योंकि यह लोग लकड़ी का कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं।

अब मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ४७ पर आता हूं जो इस प्रकार है :

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०, वन में १) रु० की कटौती की जाय (वन विभाग के पुनर्गठन पर वाद–विवाद करने हेतु)"

मैं इस विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी विशेष आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त हम विचार करते हैं किसी डिमान्ड पर तो हमें अच्छी तरह से सारे पलुहओं पर विचार करना चाहिए।

सबसे पहले मैं जो मुख्य वन संरक्षक हैं जिनको हम सी. सी. एफ. कहते हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि हमारे यहां सी. सी. एफ. राजस्थानी लाकर बिठाना चाहिए। इस बात को गम्भीरता से विचारना चाहिए कि जो व्यक्ति राजस्थानी नहीं है वह किस प्रकार से हमारे वनों की तरक्की कर सकेगा। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति कितने दिन ऑफिस अटेन्ड करते हैं, और कितने दिन रोगी रहते हैं। इस प्रकार से जहां फील्ड वर्कर्स रहते हैं, सारा काम जंगलों में जाने का है, वहां पर जिस व्यक्ति को बीमारी की २४ घन्टे शिकायत रहती है तो वह किस प्रकार से काम कर सकता है। इस बात के अलावा किसी के आचरण पर मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी व्यवस्था के अन्दर विभाग ने क्या तरक्की की है? थोड़ा सा इस पर नजर डालेंगे तो निश्चित तौर से हम इस मत पर पहुँचेंगे कि हमारा सी. सी. एफ. इन्कॉम्पीटेन्ट है।

विभाग को तरक्की के बारे में हमारी जो नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू है उसके स्टेटिस्टिक्स इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जहां हमारी रेवेन्यू सवा चार गुना बढ़ी है, हमने नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू के अन्दर सवा चार गुना तरक्की की है। लेकिन वन विभाग में यह तरक्की १।४ पर्सेन्ट बढ़ी है। जहां हमारा मुनाफा ५१ में १२ लाख का था वह मुनाफा अब केवल १६ लाख का है। इस वक्त की जो आमदनी और खर्च है वह आमदनी ६२ लाख की है और ७६,७६,०००) रु० का खर्चा है। इस प्रकार से अगर १६ लाख की बचत है, लेकिन ५१–५२ के आंकड़ों के अनुसार आमदनी ५५ लाख और खर्च ४३ लाख है। वहां पर मुनाफा १२ लाख का है। इस प्रकार से कुल आमदनी और खर्च बढ़ गया है वह है ढाई गुना है, लेकिन मुनाके का जो अंग है वह केवल सवाया हुआ है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से यह विभाग की योग्यता का नमूना है। आप यह कह सकते है कि हमने विभाग के अन्दर वृद्धि की है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : योग्यता का नमूना है या अयोग्यता का?

डॉ० बहादुरसिंह : योग्यता का नमूना है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा और भी विभाग की योग्यता का नमूना अर्ज कर दूं। विभाग को अभी तक इतने दिन हो गये लेकिन इस विभाग ने काम क्या किया ? अभी तक डिमार्केशन ऑफ सेटलमेंट भी पूरा नहीं हो पाया है डिमार्केशन ऑफ सैटलमेंट केवल ४३.३४ पर्सेंट हुआ है। यानी हम अभी तक आधा भी डिमार्केशन नहीं कर पाये हैं। अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाये कि इस विभाग के पास कितना जंगल है ? यहां आप कह सकते हैं कि हमने टेम्पोरेरी सैटलमेंट करवा रखा है। यदि उस टेम्पोरेरी सैटलमेंट की तरफ जावें तो मैं यह शिकायत करूंगा कि आपने क्या कर रखा है ? लोगों के दरवाजों पर खूंटियां गाड़ रखी हैं और कहते हैं कि ये टेम्पोरेरी हैं और आप पर्मानेन्ट होने के लिये जिस स्थिति में बढ़ रहे हैं और आपका पर्सेन्टेज बढ़ रहा है, जब कि हमको इस विभाग के द्वारा बहुत कुछ करना है, करना है तो करना चाहिये क्योंकि तीन हजार लोग इस विभाग में काम कर रहे हैं जिनमें से ऑफिस में ५०० लोग हैं और ढाई हजार फील्ड वर्कर्स हैं। इतना स्टाफ हमारे पास है तो हमें बहुत कुछ करना चाहिये। क्योंकि राजस्थान में रेत और फोरेस्ट ये परस्पर विरोधी धाराएं है। हमें राजस्थान से रेगिस्तान का नाम उठाना है तो हमें वन संपदा को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिये इस विभाग को सक्रिय करना होगा। वह सक्रिय तभी हो सकता है जब कि मुख्य वन अधिकारी राजस्थानी हों, जिनके अन्दर राजस्थान को तरक्की करने की भावना हो। इसके बारे में मैं एक नजीर आपके सामने रखूंगा। पिछली बार एक बिल आया था लकड़ी काटने के बारे में, तब सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने उसका विरोध किया था। एक राजस्थानी जानता है कि एक पेड़ की कीमत यहां पर क्या होती है ? इस क्षेत्र में एक पेड़ काटा जाय तो उसका क्या मूल्य हो सकता है ? इस स्थिति में बाहर का व्यक्ति उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। आशा है मैंने जो दो-तीन पोइन्ट्स आपके सामने रखे हैं उन पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और विचार करने के बाद, हमारे इस विभाग में दूसरे कर्मचारी हैं, काफी योग्य हैं, उनको यहां ला सकते है। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, न किसी की सिफारिश करना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि राजस्थानी लोग हैं, फोरिन ट्रेन्ड भी हैं उनको अग्रसर करना चाहिये, प्रोत्साहित करना चाहिये, वे वन-सम्पदा को बढ़ावेंगे। इस आशा के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १० के बारे में किसानों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिये मैंने कट मोशन प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट पर बोलते समय अपने भाषण में इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला था, इस आशा से, कि सरकार को थोड़ी बात वन के बारे में बतला दूं क्योंकि शायद कट मोशन के समय बतलाने का मौका आये या नहीं। उस समय मैंने थोड़ी सी बातें बतलाई थीं। जितनी दिक्कत हमारे गांव को वन से है उतनी दूसरी किसी से नहीं है। जब से हम आजाद हुए हैं तब से आज तक ७ मिनिस्टर इस वन विभाग के हो गये हैं।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

ऐसा दूसरा एक भी विभाग नहीं है। पहली मिनिस्टरी संयुक्त राजस्थान में बनी थी तब पं. अभिन्नहरिजी इस विभाग के मंत्री थे, मैं भूल गया उस समय बताना। फिर शास्त्रीजी के मंत्रि-मण्डल में वेदपालजी त्यागी थे, फिर व्यास जी के मंत्रीमण्डल में श्रीमान् सुखाड़िया जी के पास कुछ दिन तक यह विभाग रहा था। फिर जब सुखाड़िया जी का मंत्रिमण्डल आया तो बृजसुन्दरजी शर्मा अमृतलाल यादव साहब, नाथूराम जी मिर्धा के पास यह विभाग-रहा और अब सम्पतराम जी के पास आया है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आठवां और कोई आ जायगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जिसको सात गिरह लग जाते है उसका भगवान ही मालिक है।

(विराम)

तो यह वन की समस्या ८ वर्षों से लगातार चल रही है, इसकी ओर अब तक तो किसी मन्त्री ने गौर किया नहीं है। मुझे तो इतनी निराशा हो गई है इस बारे में कि मुझे एक शेर याद आ गया :

"खुदा के लिये इनसे बच के निकल जा,
ये अहले सिपहसालार हैं, न तेरे न मेरे"

रावराजा श्री सरदारसिंह : इधर आकर बैठ जाइये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब वन के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे मरीज को जब कड़वी दवा दी जाती है तो पीते समय शायद बुरा मानता होगा, डॉक्टर से नाराज होता होगा। मैं वन के बारे में आत्मा से कड़वी बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन कुछ कड़वी बात इसलिये कहना चाहता हूँ कि यदि कड़वी बात को रुचि से पी लेंगे तो मंत्रीजी को लाभ होगा। जनता को तो लाभ होगा ही, हमारे प्रतिनिधियों की भी इज्जत बढ़ेगी, यदि ध्यान दे दिया और पथ्य परहेज साध लिया तो। एक दिन मैंने कह दिया था कि किसान वन से दुखी होकर मन्त्रीजी को बद्दुआएं देते हैं, क्योंकि आदमी जब दुखी होता है तो भगवान को भी कभी कभी गालियां देता है। इससे उन्हें नाराज नहीं होना चाहिये। मैं मानता हु कि जिस मुद्रा में मंत्रीजी बैठे हैं उससे मैं समझता हूँ अब दुख दूर हो जायगा।

मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय बिजोलिया, बरड़ पंचेल, कूंडाल आदि जगहों पर आन्दोलन हुए थे। विजयसिंह पथिक ने आन्दोलन किया था, उनके साथ वर्मा साहब थे, साधु सीताराम जी थे। न जाने कितने ही लोगों को तकलीफें उठानी पड़ीं। स्वर्गीय नेनूराम जी शर्मा को बूंदी महाराजा ने बिना मुकदमा चलाये ही कैद दे दी थी। बाद में लंदन की पार्लियामेंट में प्रश्न आया कि पं० नेनूराम शर्मा को बिना मुकदमा चलाये ही चार साल की कैद कर दी है। तब ए. जी. जी, आबू से आये, इन्क्वायरी चली और उनको छोड़ा गया। हम पहले समझते थे कि हमारा राज्य होगा तब रजवाड़ों में जो अत्याचार होते हैं और इस समय सरकार जो हम

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

पर जुल्म कर रही है, वे आजाद होने पर दूर होंगे । बल्कि उस सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिये हम लोग गांवों में जाते थे, लोगों को आजादी की लड़ाई के लिये तैयार करते थे, हम उनको कई घन्टों तक प्रेरणा देते थे और कहते थे :

"नहीं रखनी सरकार, जालिम नहीं रखनी।"

एक ही शब्द कहते थे अंग्रेज जुल्म करने वाले नहीं रहेंगे और आज वाकई वे लोग नहीं रहे । लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्त्ताओं के दिल दिमाग में वह चिनगारी बुझी नहीं है, लेकिन ठंडी हो जाती है । वह सरकार तो विदेशियों की थी, लेकिन यह तो अपनी सरकार है और यह देख कर नम्र होना पड़ता है । हमारे दिलों में उन किसानों के प्रति चिनगारियां होते हुए भी यह समझ कर मौन हो जाते हैं कि यह सरकार हमारी है इसलिये मंत्रीजी का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ । आज मंत्रीजी को कहते हैं तो यह कह कर टाल देते हैं कि यह तो ११ साल का बच्चा है । हम भी नम्र हो जाते हैं, बच्चा है तो ठीक है, चलने दो जैसे चले । पर कितने दिन और चलायेंगे ? लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जंगल की क्या परेशानियां हैं, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा । पहली बात तो यह हुई—मुझे डर तो है नहीं क्योंकि मेरे पहले हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर बहादुरसिंह अपनी बहादुरी दिखा चुके हैं, इसलिए मुझे भय नहीं है, मेरे पहले बहादुरसिंह बहुत कुछ बोल गये हैं । तो अभी जो बिल आया था, वाकई उससे महसूस किया, पर मेरी समझ के अनुसार जहां तक मैंने पता लगाया है माननीय वन विभाग के अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें या तो कहीं से पेंशन मिल चुकी है या जिस स्टेट में उन्होंने काम किया, जहां कहीं भी काम कर चुके हैं, वहां पचपन साला मान कर, या दिल दिमाग के बीच कमजोरी है, और वहां काम करने लायक नहीं रहे, इसलिए पेन्शन दे दी । समझ में नहीं आता, दूसरी जगह से पेन्शन देने के बाद राजस्थान ने सर्विस कैसे दे दी यानी जिनका दिल दिमाग बूढ़ा हो चला है उनको राजस्थान में फिर से नौजवान बच्चा बना कर वन विभाग दे दिया ।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में जो स्टेटों के जमाने में किसानों पर दो पैसा फी रुपया लगान लगा हुआ है, किसी गांव के किसी जंगल में जाकर लकड़ी ले लिया करते थे अपने काम के लिए । अभी माननीय सदस्य ने कहा था, यह सही है कि किसान गोली लकड़ी को काट कर पहले जंगल में डाल देते हैं और सूखने पर ले जाते हैं । भाई भूखा बुरा काम करता है, यदि कोई भूखा होगा, उसे कोई चीज नहीं मिलेगी तो चोरी करके खायेगा, बेईमानी करके खायेगा, लायेगा जरूर और अपना पेट भरेगा । किसानों को जलाने के लिए लकड़ी न मिले, दूसरे कामों के लिए लकड़ी न मिले, तो किसी तरह से लायेगा । वह लकड़ी जरूर लाता है । मगर किसान उस तरीके से परेशान होता है, वन नष्ट होता है । वह लकड़ी लाता है. परेशान होता है और वन-सम्पत्ति नष्ट होती है । तो क्यों न इसका सही तरीका अपनाया जाय जिससे परेशानी नहीं हो । राजस्थान में वन सम्पत्ति बढ़े, इसकी सही नीति अपना लेनी चाहिए माननीय मंत्री को । वह यह है कि यदि

(श्री भैरवलाल'काला बादल')

उनको डांड–कवाड़ को जरूरत है, तो आपकी जो ब्लैक में चद्दर बम्बई तक बिक जाती हैं, वे उनको दे दीजिये ताकि वे अपने घरों पर छप्पर डाल लें और उन्हें डांड–कवाड़ की जरूरत नहीं रहे, एक बात। दूसरी बात यह हैं कि आप किसानों को कुल्हाड़ी लेकर जंगल में नहीं जाने देते। तो पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर उनको खेतों के लिए औजार के लिए जो लकड़ी काम में आती है उसकी टाल लगवा दीजिये। आप उस टाल में सामद की लकड़ी कटवा कर ढेर कर दीजिये, कटवाई के पैसे ले लीजिये और उनको इस लकड़ी की रियायत देनी है वह दीजिये। उनको इस तरह सानद को लकड़ी या कोई और लकड़ी दे दें।

अब रह जाता है किसानों के झाड़ का विषय। वह जंगली एरिया है, वहां पर जंगली जानवर आकर फसल उजाड़ जाते हैं। उनसे बचाने के लिए किसान झाड़ों को लगा कर फसल की रक्षा करते हैं। वहां पर ऐसी मिट्टी नहीं है रेगिस्तान जैसी कि जिससे दीवार बना दें। वहां पर काली मिट्टी है, उसकी दीवार बना दें। तो वह पानी से बह जाती है। उससे दीवार नहीं बन सकती है। वह सख्त मिट्टी है और खुदती भी नहीं है। जब कि रेगिस्तानी रेत एक फावड़े में आ जाती है, इसलिए उसकी डोली बना सकते हैं। हमने काली मिट्टी का भी प्रयोग किया था लेकिन फला नहीं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो उन खेतों में झाड़ों की जगह जहां माल खेत आता है, तार लगा दें। सरकार जब दूसरे दूसरे लोगों को अनुदान देती हो, हजारों लाखों, फलाने को अनुदान दे दिया, फलानी संस्था को दे दिया, खादी संघ को दे दिया, और और को अनुदान दे दिया। मैं कहता हूँ, सारी संस्थायें बनाने वाले किसान हैं, यह अनुदान उनको क्यों न दें, जिससे उनके खेतों की सुरक्षा हो जाय और खेतों में उत्पादन बढ़ जाय। अगर उत्पादन बढ़ जायगा तो संस्थाएं भी चलेंगी। पहले किसानों को अनुदान दे दें, उनको सर–सब्ज कर दें, फिर अनुदान देते रहना औरों को. आपको घाटा नहीं होगा। लेकिन पहले किसानों को उठायें। आज वनों में चोरियां होती हैं, आज अव्यवस्था हो रही है। किसानों के ऊपर कुछ दिनों पहले पाबन्दी थी—पहले यह साबित करो कि तुम किसान हो। वह भागता हुआ पटवारी के पास जाता है और कहता है महाराज, खेत की नकल दे दो। पहले दिन पटवारी टालम–टोल लगा देता है, आज खतरा टीप नहीं है, फलाने गांव भूल आया। किसान उस रोज वापिस आयेगा, दूसरे रोज जायेगा, तो फिर दो रुपये उसको देने पड़ेंगे, खेत की नक़ल के। वे रुपये सरकार में जमा नहीं होते, पटवारी की जेब में रहते हैं। दो रुपये देने के बाद किसान होने का प्रमाण-पत्र दिया। वह फिर रेंजर के पास जाता है, दो रुपये उसको देता है। दो रुपये उसको देने के बाद जो फोरेस्ट गार्ड नाके का है उसके पास जाता है। मुझे पर्मिट मिल गया है, लकड़ी बताओ। पहले दिन वह नहीं मिलता है, इधर-उधर चला जाता है। दूसरे दिन जाकर किसान कहता है। वह लकड़ी बता देता है गरीब को ऐसी जगह बताता है जहां एक भीपेड़ नहीं है। एक भी पेड़ नहीं होता, काली कलाई में जाओ, जहां एक भी पेड़ नहीं है। वहां जाकर किसान घूमता है, वहां एक पेड़ भी नहीं मिलता, वह

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

बेचारा करता क्या ? एक पेड़ भी तो नहीं हैं वह रुके हुए जंगल की सीमा के पास घूमता है और शाम को उसमें घुसता है, निर्भय होकर लकड़ी काटता है, अब तो जंगल वाला नहीं होगा। वह जंगल में पहुँच जाता है और चोरी से बहुत अच्छी लकड़ी के पेड़ काटता है। वह पेड़ काट कर चलता है सिर पर रख कर, वह दो मील जंगल में जाता है, जहां पर फोरेस्ट गार्ड दूर दूर से निगाह रखता है, किसान अब काटेगा और लकड़ी लायेगा क्योंकि लकड़ी जहां बताई थी, वहां है नहीं, वह हमारे जंगल से काटेगा; वह दो मील की दूर पर छिपा रहता है। वह किसान जब दो मील पहुँच गया तो वह आकर कहता है–लकड़ी कहां से लाये हो, यह हमारे रोके हुए जंगल की लकड़ी मालूम होती है, जिस जंगल की परमिट था उस जंगल में ऐसी लकड़ी नहीं है। जिसका पर्मिट दिया था, चल कर बताओ, कहां से काटी है, वह पेड़ बताओ। वह उसे परेशान करता है दो मील दूर जाकर। वह बेचारा थोड़ी दूर जाता है, वजन के मारे दिन भर का भूखा प्यासा किसान कहता है–महाराज, आपको जो लेना है वह ले लो, मुझे छोड़ दो। वह उसे पांच रुपये लेकर छोड़ देता है। फिर दो मील दूर जाने पर दूसरा फोरेस्ट गार्ड मिल जाता है, वह भी उसे परेशान करता है, किसान उसे भी घूस खिलाता है। एक दिन में सामद पर उसके २० रुपये खर्च हो जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे कि हमने किसनों को झाड़ बाड़ टोपा, डेगडी की रियायत दे रखी है, वे फ्री ले सकते हैं। यह परेशानी है हमारी !

माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राजस्थान में भी जब हमने मान्यवर वर्मा साहब को लिखा, ये दिक्कतें उन्हें बताई, उन्होंने हमारी दिक्कतों को बहुत अच्छी तरह समझा। समझने के बाद कानून बनाया संयुक्त राजस्थान में रियायतें देने का। हमने इन वन विभाग के अधिकारियों को बताया कि यह कानून है। उस जमाने में हमारे वन विभाग के अधिकारियों ने कह दिया कि यह कानून तो बागड़ बाग के लिए है, तुम्हारे हाड़ोती के लिए नहीं। हम कानून के बारे में समझते थे कि संयुक्त राजस्थान में सब जगह एक कानून लागू होगा लेकिन उन्होंने लिखा बागड बाग हाडोती नहीं। हमें हाडोती की दिक्कत रही है, बागड बाग की दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दिक्कत उस जमाने में हुई। मैं समझता हूँ आप कानून न बनायें, अगर बनायें तो सख्ती से उसका पालन करवायें।

आज मेरे क्षेत्र में, मुझे तो वन विभाग के लिये कहा जाता है तो जब भी वन विभाग की मांग आती है तो चाहे किसी भी जगह होता हूँ, भाग कर आ जाता हूँ और मांग रखता हूँ। इसलिये गांवों में जाता हूँ तो लोग मुझे याद दिलाते हैं, नहीं रखनी जालिम सरकार नही रखनी, हां नहीं रखनी, इसको क्यों भूल गये विधान सभा में जाते ही। आज भी जालिम सरकार हम पर जुलम कर रही है। तो शर्म के मारे मेरा मुंह नीचा हो जाता है, यह तो मैं कह नहीं सकता कि मेरी सरकार नहीं है। अब चुनाव का अवसर आया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि काले बादल ने तुम्हारी वन समस्या को हल नहीं किया। जन संघ वालों ने वहां नारा दिया कि वन समस्या को हल नहीं किया गया तो सत्याग्रह करेंगे,

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

आमरण अनशन करेंगे और सरकार ने, कलेक्टर ने उस समस्या को हल कर दिया। तो इस प्रकार से मन्त्री महोदय कांग्रेस की रीति-नीति को ध्यान में नहीं रखते हुए विरोधियों के सत्याग्रह से डरते हैं, घबराते हैं और यदि कांग्रेस का वर्कर यहां सदन में उन बातों को रखता है तो कहते है कि यह काला-बादल बड़ा क्रोधी है, इस तरह बुराई करता है यही कारण है कि आज आठ साल हो गये मुझसे नाराज हैं। मैं कहता हूँ, मेरी कड़वी बातें हैं वे आपके लिये अमृत तुल्य होंगी, मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूँ, या वेजिटेबल छाप कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं पथिकजी के जमाने का कांग्रेसी हूँ, मैं वर्माजी के जमाने का हूँ, मैं दा साहब के जमाने का कांग्रेसी हूँ....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'दा' साहब के जमाने के तो वेजिटेबल छाप कांग्रेसी होते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो मेरा फोरेस्ट मन्त्रीजी से कहना है कि उस दिन तो बद-दुआ इसलिये दी थी कि मेरी बात नहीं मानो....

श्री अध्यक्ष : अब तो वापिस ले लो।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब तो मुझे आशा हो चली है, क्योंकि मन्त्री महोदय धीरे धीरे हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुझसे वे अब नाराज नहीं हैं। आज हाउस में घोषणा करेंगे कि तेरा कहना किसी ने नहीं सुना होगा, मैं सातवां मन्त्री हूँ; सुन रहा हूँ। मैंने बजट सेशन में बद्दुआ दे दी थी; कि १० महीने बाद मिनिस्टर नहीं रहेंगे, मैं उस बद्दुआ को वापिस लेता हूँ। पर जो मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो डबल बद्दुआ दूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे मेरी बात नोट कर लें। मेरा एक और शेर है, अध्यक्ष महोदय, वह शेर मैं जरूर सुनाऊंगा :

" बहारे दुनिया है चन्द रोज,
न इसमें चल सिर उठा उठा कर,
बिगाड़ डाले खुदा ने कितने ही
ऐसे नक्शे बना बना कर। "

इसलिये आप भूल जायं। आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो कितने ही नक्शे बना दिये, कितने ही बिगाड़ दिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो वन लगाये जाते हैं, उनको लगाने का हमारा मकसद क्या है? सदन के सभी माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि जितने वन लगाये जाते हैं, कुछ अपने इलाके की बहबूदी के लिये ही लगाये जाते हैं, रेगिस्तान को मिटाने के लिये, वर्षा को बुलाने के लिये लगाये जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और अपने यहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये लगाये

(श्री रामकरणसिंह)

जाते हैं। पर जो कुछ प्लान्टेशन मौजूदा वन विभाग ने लगाये हैं, जो जंगल लगाने की कोशिश की है तो वास्तव में जंगल नाम के लिये एक जंगलीपनसा आ गया है। वह प्लान्टेशन लगाया कहां जा रहा है? या तो घने जंगलों में, जहां पहले ही बहुत घने जंगल मिलेंगे, वहां मानव का आना जाना कठिन होगा, उस जगह केवल गिनती गिनाने के लिये कि हमने इतने प्लान्टेशन लगाये और इतने पेड़ उगा दिये। वहां कुछ पेड़ों को अपना खुद का मकसद हल करने के लिये नष्ट करवा देते हैं और नष्ट करने पर नाजायज फायदा उठा कर कुछ जमीन को रोक कर, वहां कटे हुए पेड़ उग आते हैं और काटने पर उन्हीं से सरकार को अपने पेड़ों की संख्या गिना कर मैं कहूँगा कि धन का अपहरण कर लेते हैं।

इस प्रकार का एक उदाहरण मैं रखता हूँ। माननीय सदस्य, जिन्होंने बस से अलवर देखा होगा, देहली गये होंगे तो रास्ते में सिरीस के घने जंगल हैं, वहां प्लान्टेशन लगाने का हमारे मौजूदा वन विभाग ने चालू कर रखा है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जहां पर पहले ही घना जंगल है, जहां जंगली जानवरों की रक्षा के लिये पुराने समय के राजाओं—महाराजाओं ने तजवीज की थी, वहां शिकार करने के चिन्ह दिखाई देते हैं, सिरीस के महल इसलिये ही बने थे कि हमेशा हरे भरे जंगल रहते हैं। वहां पर प्लान्टेशन लगाने का वन विभाग ने किया है। जहां पड़ोस में इतने गहरे घने जंगल हैं उनके बीच में कुछ जमीन के हिस्से को पहले लोग पहाड़ों में पशुओं को चराते थे उनके लिये साफ करके हरिपुरा आबाद करवाया कि ये लोग पशु चरावें और चौबीसों घंटे पहाड़ों में न रह कर तलहटी में आकर रहें इसलिये बड़ी मुश्किलों से पहाड़ों के बीच तलहटी को तलाश करके हरिपुरा गांव बसाया। न जाने कितनी तरह से पहाड़ों के बीच जमीन को तलाश किया और हरिपुरा गांव बसाया, पर आज सरकार उससे उल्टा काम कर रही है, जिस हरिपुरा गांव को बसाने के लिये उस समय पहाड़ों में पशुओं को चराने लोग न ठहर कर वहां ठहरें, आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकें, उस जमीन को प्लान्टेशन के लिये चारों तरफ से रोका जा रहा है। वैसे ही हरिपुरा गांव पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और वे पहाड़ भी घने जंगलों से घिरे हुए हैं, तो हरिपुरा गांव के लोगों के घरों के दरवाजों के तीन तरफ जंगल लगाया गया है।

मैंने पिछले बजट सेशन के समय में भी मांग रखी थी और अब फिर मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं, १२ महीनों में पहले से ज्यादा चीजें देखने को मिली हैं। वहां लोगों के लिये यह कठिनाई पैदा कर दी गई है कि जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने लाग-बाग की बात कही, वहां और बढ़ाई है। इस हरिपुरा गांव के तीन तरफ प्लान्टेशन लगाया है और वहां के लोगों को मजबूर किया है कि आप लोग यहां से घास के लिये निकलते हो तो चाहे भाड़ में जाओ, जो प्लान्टेशन है उसके चारों ओर से गुजरना पड़ता है, इसलिये लाग लगाई है। एक दांतले के ऊपर रुपया बांध रखा है और वह रुपया उनसे वसूल किया जाता है। इसके साथ ही घी और दूध भी उनसे लाग के रूप

(श्री रामकरणसिंह)

में लिया जाता है और इस तरह वहां से इकट्ठा किया हुआ दूध और घी अलवर के बाजार में बिकता है। मन्त्री महोदय वहां के रहने वाले हैं, चाहें तो बता सकता हूं कि किस दुकान पर वहां का घी-दूध बिकता है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : बिकना नहीं चाहिये क्या ?

श्री रामकरणसिंह : आपके यहां भी पहुँच सकता है। अपने इलाके में, अपने जिले में जहां से आप आये हैं, ऐसी चीजें होती हैं तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे इलाकों में न जाने क्या होता होगा ? इसलिये मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की भावना एक रेंजर के दिल में है और इस प्रकार आपके अलवर में व्यापार करने की भावना है, जो चौबीसों घंटे चलने वाले रूट पर रहने वाला है, वह इस प्रकार के कार्य कर सकता है, लोगों से इस तरह नाजायज़ तौर से पैसा घी और दूध का वसूल कर सकता है। तो जो रेंजर घने जंगलों में रहते हैं, जिनका स्थान रूट से बहुत दूर है, वे तो इनसे न जाने कितने गुना अत्याचार करते होंगे ?

वहां के रेन्जर क्या क्या अत्याचार करते होंगे, कितना गबन करते होंगे। यह आपके सोचने के लिये है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि उन्हीं रेन्जर महोदय ने घास आपके अलवर में ले जाकर बेचा है। इस प्रकार की चीजें, जो आपके संरक्षक हैं, उनके द्वारा ले जाकर बेची जाती हैं। आपने प्लांटेशन लगाया। कोई पहाड़ी इलाका है। वहां पर कई करोड़ों का गबन होता है। आप महीने में एक बार तो अलवर जाते ही होंगे। आपने हरिपुरा के लोगों से जानकारी की हो तो आपको मालूम हुआ होगा कि वहां क्या होता है। लेकिन अभी एक माननीय सदस्य ने जो बात कही कि अकसर ऐसी बातें हो जाती हैं। जिस समय हम उस चीज को याद रखते हैं उस समय तो उसको कर नहीं सकते हैं और जब करने लायक होते हैं तो वे चीजें आंखों के सामने नहीं रहती हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप दूर क्यों जावें, आप अपने ही जिले को जा कर देखें और देख कर अन्दाज लगावें कि अन्य जगह क्या क्या होता होगा।

मैंने पिछली दफा बजट स्पीच में बताया था, अध्यक्ष महोदय, कि वे जो ऐसे काम करते हैं उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। इसने उनको कुछ हिम्मत दिलाई है। वे चाहे कुछ करें उन पर मोहर लग गई है और वे अब टकसाली हो गये हैं। मैं समझता हूं कि वे १६ आने की जगह १८ आने में चल सकते हैं, ऐसे हो गये हैं। जब वे ऐसी जगह से गबन कर सकते हैं जहां महीने में २० दफे अधिकारियों का आना जाना रहा है, तो दूसरी जगह, जहां पर अधिकारियों का आना-जाना न हो, तो वे क्या नहीं कर सकेंगे ? इस प्रकार की अगर भावना वन विभाग में हुई तो मैं यह कहूंगा कि कभी भी किसी प्रकार से आप वन विभाग को टेक अप नहीं कर सकते और थोड़े ही समय में आपका भी नम्बर ७ में आ जाएगा और आप भी समाप्त हो जावेंगे। ७ मिनिस्टरों की जिस तरह से हुई है। आपको इन

(श्री रामकरणसिंह)

सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये । बस यही मेरा अर्ज करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीपसिंह ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १० पर मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कोटा डिविज़न में काश्तकारों को लकड़ी हासिल करने में होने वाली तकलीफ पर वादविवाद करने हेतु ।"

कोटा डिविज़न भर में काफी जंगल हैं और लकडी की तकलीफ काश्तकारों और किसानों को कभी भी पेश नहीं आई थी क्योंकि एक तो रजवाडेशाही का जमाना, उसमें काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सहू-लियतें देकर उनको वहां पर बसाया जाता था और कोशिश यह की जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन काश्त में आवे और पैदा-वार बढे और इलाके के लोगों को खाने को अन्न वहां मिल सके । उसकी हालत बदलने पर, शासन बदलने पर कुछ ऐसी ला परवाही पैदा हो गई है । या तो यह है कि कुछ साहबान ऐसे जगह से होंगे जिनके चार्ज में यह विभाग है, जिनके वहां जंगल कतई नहीं होंगे, और वहां घास से या चारे से या लकड़ी से किसान लोग गुजर करते होंगे, ईंधन वगैरह जला कर या फिर यह होगा कि कुछ ऐसे लोग इस विभाग के शासन के सिरे पर आ गये जो जनता की तकलीफ को बिल्कुल महसूस नहीं करते और अगर उनके पास रिप्रेजेन्टेशन भेजा जाता हैं और एप्रोच करते हैं तो भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इसका कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि हमारे यहां जो मौजूदा कन्ज़र्वेटर आफ फोरेस्टस हैं, वे बाहर से लाये हुए हैं और वे कभी दौरा भी नहीं करते और कभी पब्लिक के दुःख और तकलीफ को सुनते नहीं और इन समझते हैं । लोकल ऑफिसर कुछ लिख कर भेजते हैं उसको देखते हैं और जब जुबानी कुछ कहते हैं तो वे नादिरशाही हुक्म छोड देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

अभी यह बताया गया है कि कोटा डिवीजन में यह हुक्म है कि सिर के बोझ के सिवाय कोई भी काश्तकार दूसरे तरीके से लकड़ी नहीं ले जा सकता है । अब सारी लकड़ी काश्ताकार क्या सिर बोझ से ला सकता है ? उसके घर में जितनी लकड़ी की जरूरत होती है, उसके घर में विवाह भी होते हैं, शादियें होती हैं और कुछ ऐसे रिवाज हैं जैसे मरने के बाद कई दिन तक भोज होते हैं उनमें काफी लकड़ी खर्च होती है, तो काश्तकार उस जरूरत को पूरा करेगा । खाना तो लकड़ी से उसको बनाना ही पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बिजली के चूल्हे पर बनाओ ।

श्री दलीपसिंह : वे कहां से आवेंगे ? वे बाहर वाले लोग तो जंगल से ही अपनी जरूरत को पूरा करेंगे । आपके यहां इतना स्टाफ नहीं है कि जो हर वक्त देख-

(श्री दलीपसिंह)

देख कर सके। वे लोग अपनी जरूरत पूरी करते हैं मगर चोरी छुपे से लकडी काटते हैं। वे अपना मतलब निकाल लेते हैं और अगर कहीं पकडे जाते हैं तो कभी चालान हो जाता है। मतलब यह कि जंगल का नुकसान हो रहा है इस प्रबन्ध से और इससे सरकार का नुकसान होता है। मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां एक पंचायत समिति है। उसमें दो तहसीलें हैं। उसका एरिया तीन तरफ से जंगलों से घिरा है। लोग जंगली जानवरों से तकलीफ पाते हैं। फसल की उनको निगरानी करनी पड़ती है। उनको भी यह तकलीफ पेश आती है। वे सिर के भार के अलावा लकड़ी नहीं ले जा सकते। यहां ४०–५० मील का जंगल है, वहां सब जगह पत्थर की खानों के खड्डे लगे हैं। मैंने यह तजवीज लिख कर दी थी कि इसमें आये दिन पेड़ भी कटाये जाते हैं और जो आदमी वहां पर रहते हैं वे आये दिन अपने काम के लिये सिर बोझ से लकड़ी लेते है, तो फिर क्यों न इस जंगल के टुकड़े बना कर साल में या दो साल में या ५ साल में इसको हिस्सों में बाट दिया जावे और एक टुकड़ा छोड़ दिया जावे जिससे गाड़ी से लकड़ी ले सकें और बोझे से जो आमदनी होती है वह गाड़ी से हो जावेगी।

तो अर्ज करने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी बद–इन्तजामी सी हो रही है इस महकमे में कि जिस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। इसका जो असर होता है उस पर मेरे से पहले कालाबादलजी ने कहा। लोग दर असल गालियां भी देते हैं। हम लोग जब जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं तो पहले ही वे जंगल का सवाल उठाते हैं। यदि देहात में जावें, किसानों से हालात पूछें कि खेती–बाड़ी का क्या हाल है तो सबसे पहले वे जंगल का ही सवाल रखेंगे। हकीकत में यह तकलीफ है। यह कोई एक प्रोपेगन्डा नहीं है। गवर्नमेन्ट को कोई बदनाम करने की बात नहीं है। सही तकलीफ है, जिसके लिए गवर्नमेन्ट को ध्यान देने की जरूरत है।

यह मैं जरूर अर्ज करूंगा कि लोकल ऑफिसर्स को वे कदर रखा जाता है। उस ओर जरूर ध्यान देना चाहिये। लोकल ऑफिसर लोकल हालात को ज्यादा समझते हैं। उम्र में भी कन्जर्वेटर से छोटे हैं, ज्यादा दौड़ भाग कर सकते हैं। कर भी चुके हैं। कोई कन्जर्वेटर कहीं रह चुका है। राजस्थान भर में कहां कैसी लकड़ी की जरूरत है जनता को, यह वे जानते हैं। बाहर से बुला कर एक कन्जर्वेटर को यहां रखें और उन लोगों की तरक्की का दरवाजा बन्द करें यह कोई शोभा की बात नहीं है। यहां पर ऐसे भी ऑफिसर मौजूद हैं जिनकी बाहर मांग होती है। बाहर मांग इसलिए होती है कि वे काबिल हैं। नाकाबिल हों तो बाहर कौन उनको मांगे ? आप उनको बाहर जाने नहीं देते हैं। बाहर मांग होती है तो आप उनको बाहर नहीं जाने देते। उल्टे उनके सिर पर यहां लाकर दूसरे को ठूंस देते हैं, उनकी तरक्की को रोक देते हैं। तो इससे वे असंतुष्ट रहेंगे ही। जो आदमी संतुष्ट नहीं है वह आदमी कभी दिल लगा कर काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि

(श्री दलीपसिंह)

वे इस बात पर जरा ध्यान दें। लोकल ऑफिसरों को तरजीह दें। मैंने सुना है कि चीफ कन्ज़र्वेटर महोदय की मयाद है यहां राजस्थान की वह मयाद समाप्त हो रही है और इसलिए उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी मयाद न बढ़ायें और लोकल ऑफिसर को चीफ कन्ज़र्वेटर बनायें, उनके हौसले अफजाई करें।

इसके मुतल्लिक यह सुनी-सुनाई बात नहीं है, महकमा जंगलात का सर्कुलर है, चिट्ठी देखी है, चीफ कन्ज़र्वेटर के हवाले से लिख दिया कि चीफ कन्ज़र्वेटर इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं और सिर बोझे के सिवाय किसी प्रकार की लकड़ी की इजाजत नहीं देते। सत्याग्रह और भूख हड़ताल के लिए कालाबादलजी ने कहा। मैंने अखबार आज नहीं पढ़ा। कलेक्टर के पास सत्याग्रह के रूप में मिल रहे हैं। उसमें तीन-चार पंचायत समितियों के प्रधान और अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। दो-एक तेज मिजाज के कार्यकर्ता है। उन्होंने कुछ भूख हड़ताल का भी नोटिस दे दिया है। आज ही एक सवाल आया था जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि हमारी सरकार ने फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी बिठाई थी जिसने यह सिफारिश की थी कि जिला लेवल पर कमेटीज़ बिठा दी जांय जिससे लोकल तौर पर सलाह मशिवरा देकर अपने ओफिस को सलाह दिया करें। अगर इस तरह की कमेटीज़ बना दी जावें तो अच्छी बात होगी जिससे लोकल तरीके पर तकलीफों को दूर किया जा सके। माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि सरकार का इरादा नहीं है।

श्री सम्पतराम (वन मंत्री) : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ठीक तरह से सुना नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि कमेटी नहीं बनाई। कमेटी बनाई जिला स्तर पर और तहसील लेवल पर।

श्री दलीपसिंह : धन्यवाद। मेरे सुनने में ऐसी कोई कसर रही होगी।

बस मुझे यह अर्ज करना था और यह फिर निवेदन करूंगा इसकी समाप्ति पर कि इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाय और किसानों की आम लोगों की इस दिक्कत को जरूर मिटाया जाय। हमारे कोटा डिविज़न में इस बात की बड़ी कठिनाई पेश आ रही है। अगर वहां मिटाई जायगी तो हकीकत में जिस संस्था की बदौलत यह शासन चल रहा है उसके ऊपर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। बाहर की तो मैं नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन कोटा डिविज़न में तो भारी प्रभाव पड़ने वाला है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, किसी विभाग की इस आधार पर आलोचना करना कि उसका अधिकारी राजस्थान का नहीं है बाहर का है और मैं समझता हूँ कि यह एक दुःखद घटना है। विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्था के सदस्य इसकी आलोचना करें कि विभाग का अध्यक्ष बाहर से आने से इस विभाग की तरक्की नहीं हो रही है, इस विभाग की प्रगति नहीं हो रही है, यह एक दुख की घटना है। सारे देश के अन्दर है। अपने राजस्थान के कई अधिकारी यू. पी. में हैं, पंजाब में हैं, मध्य प्रदेश में हैं,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सारा देश एक होने के कारण अधिकारी आपस में जाते आते रहते हैं, आदान-प्रदान होता रहता है। इस सम्बन्ध में शिकायतें करें, आलोचना करे, लोकल ओफिसर्स की तरक्की इसलिए नहीं हुई कि वहां बाहर का अधिकारी आ गया है। यह आलोचना गलत है। इस प्रकार की आलोचना सदन में होती रही तो उसका आधार कोई अच्छा नहीं रहेगा। दूसरे प्रान्तों के लोग यदि इस बात को सुनेंगे तो वे सोचेंगे कि किस आधार पर यहां आलोचना की जाती है।

एक बात अवश्य सोचनी होगी कि वर्तमान अधिकारी के काल में वन विभाग ने कुछ तरक्की की है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि भूतपूर्व रियासती काल में जो जंगल थे उनकी अवस्था गिरती जा रही है। घने जंगल पहले थे, घटते-घटते उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज प्रान्त में घने जंगल नहीं दिखाई देते हैं। कारण क्या है ? जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ, देश में वन-महोत्सव मनाये जाने हुए शुरु। इसका कारण क्या था कि जो हमारी वन सम्पदा है, वृक्ष नाम की वस्तु है उनको बढ़ावें, दिन ब दिन अधिक से अधिक वृक्ष लगावें और उसको लगाना प्रारम्भ किया। यदि हम प्रान्त में देखते हैं तो उनकी संख्या १ करोड़ तक पहुंच गयी है। सात–आठ वर्ष हुए प्रान्त में शुरु हुआ 'वृक्ष लगाओ अभियान'। वन महोत्सव शुरु हुए। वृक्ष लगे। उनके उपरान्त भी जंगल घटते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह ध्यान में आया कि वन विभाग का अच्छा संगटन नहीं हुआ। सन् ५५ में संगटन की दृष्टि से एक योजना बनाई गई थी। उसको सन् ५६ तक सेक्रेटेरियेट ने स्वीकार नहीं किया। गलती यह विभाग की है या सेक्रेटेरियेट की ? सन् ५५ में विभाग का संगटन होना चाहिये, इसके लिए एक योजना बनाई गई। उसको सन् ५६ तक भी स्वीकार नहीं किया और उसके बाद फिर यह सूचना मिली कि सन् ५६ में इस विभाग के लिए फिर पुनर्गठन की योजना बनाई गई है कि किस प्रकार से इसका पुनर्गठन किया जाय। इतने वर्ष हो गये इस विचार में ही कि विभाग का पुनर्गटन किस प्रकार से हो। जिसका गठन स्वतन्त्रता के बाद १३ वर्ष में नहीं कर सके वह कैसे काम कर सकेगा, यह एक सोचने की बात है। इसका दायित्व दिया जा सकता है मंत्री महोदय पर। यह दायित्व वन अधिकारी पर नहीं डाल सकते। वन अधिकारी ने तो सन् ५५ में योजना बना दी। रिकमन्डेशन मांगी तो ५६ में फिर भेज दी। ४ वर्ष तक योजना पड़ी रही और उसके बाद फिर दुबारा भेजी उसको कार्यान्वित करने के लिए, स्वीकृत करने के लिए क्या सोचा गया ? क्यों नहीं स्वीकार की गई; यह तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि अब तक क्या किया गया है ?

(१.०० म० प०)

इस प्रकार से हम इस विभाग का पुनर्गठन नहीं कर सके। जिस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जितने डिविजन बने हुए थे उसी आधार पर यह विभाग चलाया जा रहा है। हमारी प्राक्कलन समिति ने भी इन सारी बातों को देख कर सिफारिश की थी कि इस विभाग का गठन गलत है। अतः इसको

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पुनर्गठित किया जाय । और इसके दस डिविज़न बना दिये जाय पर अभी तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

जहां तक वन विभाग के पुनर्गठन का सवाल है वहां मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जंगलों का इस विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि कितने जंगल अपने पास हैं उस संबन्ध में पूरी रिपोर्ट विभाग के पास नहीं है । जो ठेका दिया जाता है विभाग की ओर से उसमें ठेकेदार अपनी मर्जी से वृक्षों को काटता है । उसको जंगल की सुरक्षा से क्या मतलब, वह तो अन्धाधुन्ध जंगल को काटने में लग जाता है। इससे होता क्या है ; जितना कूप बना कर दिया जाता है उससे कहीं अधिक वह जंगल को काट लेता है । आज १३ वर्ष के अन्दर जंगलों की यह हालत हो गई है कि हमारे यहां जो पहले घने जंगल थे आज कहीं भी घना जंगल दिखाई नहीं देता है । आखिर इतनी लकड़ियां जो जंगल में थी उनका ह्रास किस प्रकार से हो गया ? कहा यह भी जा सकता है कि आबादी बढ़ी और उस हिसाब से जंगलों से लकड़ी का प्रयोग ज्यादा होने लगा । लगभग ४० लाख की आबादी इन दस सालों में बढ़ी है । इस पर हम यह नहीं कह सकते कि सारा जंगल इस बढ़ी हुई आबादी के कारण समाप्त हो गया । जंगलों की कटाई के बारे में जिस तरह से ठेका दिया जाता है वह सर्वेक्षण किये बिना ही दे दिया जाता है और इस तरह से सर्वेक्षण नहीं होने के कारण जिस ढंग से भी वह ठेकेदार चाहता है जंगल काटना शुरू कर देता है। इस तरह से एक जो विभागीय योजना बनती है नये पेड़ लगाने की पुराने पेड़ जितनी मात्रा में कटते हैं उतनी पूर्ति नहीं कर पाते । मैं जहां तक जान पाया हूँ विभाग के पास पेड़ बढ़ाने की कोई योजना नहीं है । इस तरह से जंगल हमारे नष्ट हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में विभाग के द्वारा कुछ काम होना चाहिये । राजस्थान भर में जितने भी जंगल हैं उन सब का सर्वे होना चाहिये । योजनाबद्ध तरीके से जंगल काटने की अनुमति दी जाय । एक साल में जितने जंगल कटते हैं उसी अनुपात में जंगल बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । जिस प्रकार से अब ठेके दिये जा रहे हैं वह प्रथा समाप्त कर देनी चाहिये । आज जो इस बारे में शिकायतें आती हैं वह सब इसीलिये आती हैं कि जितने भी जंगल हैं वे इस ठेका प्रथा से समाप्त हो रहे हैं ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो वन महोत्सव का कार्यक्रम हमने रखा है और जो सरकार इसमें रुपया लगाती जा रही है वह रुपया बेकार जा रहा है । इससे जो हम टार्गेट्स अचीव करना चाहते थे उसमें हमें निराशा ही रही है । एस्टीमेट कमेटी ने इस संबन्धी आंकड़े अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किये हैं। जितने भी पेड़ लगाये जाते हैं उनमें से दो-तिहाई पेड़ तो नष्ट हो जाते हैं । यह स्पष्ट प्रमाण है कि इतने वर्ष हो गये वन महोत्सव मनाते हुए फिर भी हमारी वन संपदा में इससे वृद्धि नहीं हुई है । यह इसलिये कि यह गलत ढंग से मनाये जाते हैं । जिन-दिनों में वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है उन दिनों में हमारे मंत्रि मंडल के सदस्य-गण नगरपालिका क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हैं और उसकी फोटो खिंचवाते हैं। उससे यह मान लेते हैं कि लोगों में वृक्षा-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रोपण की भावना जाग्रत हो जाती है। वे एक बार पेड़ लगा कर और अपना फोटो खिन्चवाकर वन महोत्सव की इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन वे यह नहीं देखते कि उन पेड़ों का पालन भी होता है या नहीं। इस रिपोर्ट के अन्दर कोई सूचना नहीं है। तीन वर्षों तक सीकर को ज्यादा वृक्ष लगाने के उपलक्ष में वन मंत्री की शील्ड दी गई लेकिन सीकर जिले के रहने वाले लोगों को पता नहीं ये वृक्ष कहां लग रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : कौनसी शील्ड दी गई ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वन मंत्री महोदय की शील्ड चार बार सीकर जिले को दी गई। पता नहीं वहां के वृक्ष कहां चले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदयों द्वारा जो इस प्रकार की परम्परा चालू की गई है उससे लोगों में गलत भावनायें पैदा होती हैं, इसलिये इन परम्पराओं को समाप्त कर देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : उनके फोटो अखबारों में तो छपते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अखबारों में भी नहीं छपते, अखबार वाले तो कोई महत्व नहीं देते ; विभाग द्वारा जो बुकलेट निकाली जाती है केवल उसी में छपते हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार से नगरपालिका क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में वृक्ष लगाने का कोई महत्व नहीं है। सिलेक्टेड एरिया हो उसके अन्दर इस तरह से वृक्ष लगाये जाय और उनकी देख-रेख की जाय तो पेड़ों में वृद्धि हो सकती है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास ने इस प्रकार का प्रयत्न किया था। उन्होंने जोधपुर इलाके के अन्दर बबूल के पेड़ लगाने की योजना बनायी थी और हवाई जहाज से बीज गिराये थे। वह कुछ योजना थी। उस क्षेत्र में उससे कितना फायदा हुआ, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक विशेष क्षेत्र के लिये योजना थी उसी प्रकार से योजना होनी चाहिये। हमारे यहां राजस्थान में ८० हजार वर्ग मील में रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान की जो समस्या है वह हमारे लिये काफी पेचीदा है। इसलिये वन विभाग को चाहिये कि इस बारे में कोई ठोस योजना बनाये। इस रेगिस्तान में वृक्ष लगाने के लिए हमें भारत सरकार द्वारा १ करोड़, १५ लाख रुपया दिया गया था। लेकिन दुख की बात है कि उस रकम का उपयोग राज्य सरकार नहीं कर सकी है। जिन मन्त्री महोदय के काल में यह रुपया मिला था वे मन्त्री महोदय अब नहीं हैं। वन मन्त्री महोदय बदल गये हैं। उनके समय में जो रुपयों का दुरुपयोग हुआ माननीय मन्त्री महोदय के आने के बाद मैं समझता हूँ उन्हें इस प्रकार योजना बनानी चाहिये। रेगिस्तान की जो योजना है वह भारत सरकार की योजना है। लेकिन उसके लिये जो राजस्थान सरकार को रुपया दिया जाय उसका सही उपयोग नहीं हो पाया हैं या यह हैं कि हम उन रुपयों का उपयोग नहीं कर सकते। भारत सरकार द्वारा जो विशेषज्ञ बुलाये गये हैं उन्होंने भी इस ओर खास ध्यान नहीं दिया।

इस प्रकार से ये जो दोहरी योजनायें होती हैं इनमें हमें फायदा नहीं रहता। राज्य सरकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के अधिकारी भी उसी प्रकार का काम करते हैं, केन्द्रीय सरकार के अधिकारी वही काम करते हैं। आज दोनों प्रकार के कर्मचारी हर जिले के अन्दर बैठे हुए हैं। चरागाह बढ़ाते हैं। जहां राज्य सरकार को योजनायें होती हैं उसी प्रकार को केन्द्रीय सरकार की भी योजनायें होती हैं। इस तरह से कहीं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होने से इस प्रकार के जो चरागाह होते हैं वे बढ़ नहीं पाये हैं। सीकर जिले के अन्दर हमें देखने को मिलता है वहां भारत सरकार के अधिकारी भी बैठे हैं और राज्य सरकार के अधिकारी भी रहते हैं, उनके साथ उनके कर्मचारी भी रहते हैं। सभी के दौरे होते हैं। लेकिन जहां तक चरागाह बढ़ाने का सवाल है उसमें किसी प्रकार का फर्क नजर नहीं आया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भारत सरकार से जितना पैसा मिलता है वह राज्य सरकार अपने पास लेले और राज्य सरकार द्वारा ही उन योजनाओं को शुरू किया जाय। दोनों सरकारों के अधिकारी रहते हैं। सिवाय आपस में झगड़ने के और कोई काम नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कहा यह जाता है कि हम हरेक पंचायत को १५ बीघा जमीन देना चाहते हैं। सरकार ने घोषणा कर दी, हर पंचायत के पास १५ बीघा जमीन होगी लेकिन पंचायतों को जमीन मिले इस बारे में सरकार कोई प्रबन्ध नहीं करती। चरागाह की आवश्यकता है। सरकार ने तय किया, प्रति पशु पर इतनी भूमि होनी चाहिये। इस प्रकार का क्राइटेरिया बना देने के बाद भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि उसके अनुसार पंचायतों को जमीन मिले। लेकिन सरकार जमीन उपलब्ध कराती नहीं है। हमने अपने राजस्थान के अन्दर चरागाह की जमीन के बारे में विचार किया है कि वह पंचायतों को दी जाय। लेकिन वास्तव में वह मिली है या नहीं, इसको हमें सोचना है। अधिकांश पंचायतें इस तरह की हैं कि जिनके पास अपने कोई चारागाह नहीं हैं और इसके कारण से ही उनकी कई योजनायें क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं।

इसके बाद मैं और एक बात कहूँगा। जिन लोगों के पुराने समय से रियासतों के वक्त से जो अधिकार थे जंगलों के सम्बन्ध के उनको भी राजस्थान सरकार ने एकीकरण के नाम पर छीन लिया। अभी झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां जंगल सत्याग्रह हो रहा है। मैं कहता हूँ वहीं नहीं, जितने भी आदिवासी इलाके के लोग हैं या जो जंगल में रहते हैं उन सब जगह यही हाल है। उन इलाकों से आने वाले सभी माननीय सदस्यों को पूछा जाय तो मालूम होगा कि सभी के क्षेत्रों में इसी प्रकार की समस्याएं हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घर भी जंगल में हैं और आजीविका के सभी साधन वे ही जंगल हैं। उनका सभी कुछ वही जंगल है। पर सरकार ने सर्वे करने में इस प्रकार की कोशिश की है कि उनके घर को जंगल से निकाल दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की जांच की जाय कि उनके वे अधिकार छिनने से उनको क्या कठिनाइयां हो गई हैं। तभी इसका ठीक समाधान होगा। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह !

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों में एक मैं भी हूँ कि जिनकी मान्यता है कि राजस्थान में जंगल बढ़ाये जावें, रेगिस्तान में जंगल लगाये जावें। एक बार सुना भी गया था कि डेजर्ट में एफोरेस्टेशन के सिलसिले में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हवाई जहाज से बीज डाला गया था ।

श्री चन्दनमल वैद : यह भी सुना था। यह भी सुना था कि यू. पी. सरकार भी अपने आगरे के आसपास पेड़ों की लम्बी कतार लगाने वाली है ताकि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तरप्रदेश में न चला जावे । ये सारी बातें सुनी थीं । पर बजट के आंकड़े देखता हूँ और दूसरे आंकड़े देखता हूँ और सारी बातें देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने अपनी नीति अब बदल दी है ।

इकलेरा से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि इस विभाग में छः मिनिस्टर पहले चले गये और अब ये सातवें मिनिस्टर का नम्बर है । छः मन्त्री जंगल लगाते लगाते चले गये इसलिये शायद इस विभाग में जमे रहने का यह तरीका निकाला गया है कि जंगल लगाने से जब जाना पड़ता है तो इसमें टिके रहने के लिये इससे उल्टी नीति अपनाई जावे और अब शायद यह नीति अपना ली है कि जंगल लगाओ मत, जंगल काटो ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सब मन्त्रियों को जाना पड़ेगा । पचासों आ गये, पचासों चले गये । यह तो दुनिया है, इसी तरह चलेगा ।

श्री चन्दनमल वैद : तो कुछ हमारी नीति बदल रही है, ऐसा लगता है । एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई । उसके आंकड़े देखे तो मालूम हुआ कि ५७ में जंगल में ३५ लाख करीब एकड़ जमीन थी वह ५८ में घट कर २८ लाख, ६३ हजार रह गई, यानि ६३७ हजार एकड़ जमीन निकल गई । पता नहीं, अब ये ५७, आंकड़े सही हैं या ५८ के सही हैं । कौन सही हैं कौन गलत हैं ? ये आंकड़े प्रोग्रेस रिपोर्ट सन् ५६–६० के हैं । उसमें से मैं यह बता रहा हूँ । अगर पढ़ना जानते हों तो श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य उसे पढ़ लें ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप बता रहे हैं कि फोरेस्ट एरिया में नहीं लिया गया, यह बात नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं बता रहा हूँ कि जितनी जमीन ५७ में फोरेस्ट के नीचे थी करीब ३५ लाख एकड़ वह ५८ में घट कर २८,६३,००० हजार रह गई । अगर यह फेक्ट नहीं है तो आप पढ़ कर पता लगा लें । तो ६३७ हजार एकड़ जमीन कम हो गई ।

जहां रेगिस्तान में जंगल उगाने और बढ़ाने की सोच रहे हैं वहां नये लगाना तो दूर रहा, दूसरों को बचाने की बात तो अलग

(श्री चन्दनमल वैद)

रही, हम अपने आपको भी बचा नहीं रहे हैं। पता नहीं यह क्या स्कीम है।

जहां दूसरे विभाग उन्नति कर रहे हैं वहां हमारा यह जंगल विभाग जहां पहले था सन् ५१-५२ में वही आज भी पड़ा है। ५१-५२ में इसकी आमदनी ४२. ३७ हजार थी, ६०–६१ के रिवाइज्ड एस्टीमेट के अन्दर पूरे दस वर्ष बाद उसकी रेवेन्यू होती है ८२. ५० हजार। जहां आमदनी ५१-५२ में ४२.३७ हजार थी तो खर्चा उसका था ३३.२३ हजार वहां ६०–६१ में आमदनी जहां ८२.५० हजार बताई गई वहां खर्चा ८०.२६ हजार बढ़ा दिया गया। तो जहां आमदनी में बढ़ोतरी हुई तो खर्चे में भी उतनी ही बढ़ोतरी हो गई। नेट रिजल्ट कुछ नहीं।

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) : एक बात और देख लें, ४२ लाख के करीब प्लान का खर्चा है, जिसका रिजल्ट ४० वर्ष बाद मिलेगा।

श्री चन्दनमल वैद : मैं निवेदन करूं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह कॉमर्शियल विभाग थोड़े ही है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ। वे गलत नहीं हैं। आप या कोई इनसे इन्कार नहीं कर सकते। फिर यह किस तरह क्या है, कब लाभ मिलेगा, करेगा, इसका जबाब तो मिनिस्टर साहब फिर देंगे। पर अगर वे यह कहना चाहते हैं कि जो हमने प्लान में खर्च किया है वह जो आमदनी देगा वह २०,२१ साल बाद होने वाली है। तो मैं कह दूं स्पष्ट तौर से कि यह तरीका हमने ही शुरू किया हो, ऐसी बात नहीं है। यही तरीका सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है। तब से भी जंगल तरीके से कटते थे और तरीके से उगाते चले आ रहे हैं। पर मैं तो यह पूछता हूँ जब पहले से ही तरीके से उगाते चले आ रहे हैं तो जिन्होंने २०,३० साल पहले जंगल उगाया था उनका नतीजा आपको, हमको क्यों नहीं मिला, वह कहां गया ? यह सवाल है।

श्री सम्पतराम : उससे लगातार आमदनी बढ़ेगी।

(१. १८ म. प.)

(श्री निरंजनाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री चन्दनमल वैद : मैं रीजेनेरेशन की बात कह रहा हूँ। जंगल उगाने का एक तरीका है। रिजेनेरेट करते हैं। जंगल काटते हैं। आपने रिजेनेरेट करने के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। रिजनेरेशन में आपने पिछली साल १०६,००० खर्च किये जब कि इस वर्ष आप केवल ६ हजार खर्च करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौनसा प्लान्ड तरीका है कि दूसरी चीजों में, सर्वेन्ट्स में, अफसरों पर उनके रहने सहने पर, क्वार्टरों पर, सब जगह तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे पर जहां जंगल नये उगाने का सवाल है जिसको आप प्लान कहते हैं वहां आप ६ हजार ही खर्च कर रहे हैं ? उल्टा घटा रहे हैं पहले से और फिर कहते हैं कि इसका रिजल्ट हमें बीस साल बाद मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप प्लान का रुपया इस रिजेनेरेट जैसी चीजों में खर्च नहीं करना

(श्री चन्दनमल वैद)

चाहते तो फिर किस चीज में खर्च करना चाहते हैं ? क्या किसानों को ज्यादा तकलीफ देने में, उसको लकड़ी नहीं मिले, उसको रोका जावे तो उसके लिये चौकियां बनाने में, पाबन्दी लगाने में ज्यादा करना चाहते हैं आप खर्चा ? मैंने वे आंकड़े भी देखे हैं आपने जिस मद में आपने सेन्ट पर्सेन्ट खर्च किया है और वे आंकड़े हैं जिनमें आपने सेन्ट पर्सेन्ट खर्च किया है सड़कों और चौकियां बनाने की मदों में। यह किसान किसी तरह लकड़ी ले जाकर अपना काम आसानी से न कर ले तो उसको रोकने के लिये चौकियां बनाने में तो आपने बड़ी फुर्ती और तत्परता दिखाई। उसमें सेन्ट पर्सेन्ट खर्च कर दिया। पर जहां मूल सवाल है रिजेनेरेट करने का वहां १,०६,०००) रु० हजार से घटा कर केवल छः हजार कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार बैंगलोर गया था। वहां मैंने लोगों को कहते सुना कि "Bangalore is the Heaven for the retired people" लोगों की बात सुन कर मैं कुछ बोला नहीं, चुप रह गया। पर मन में मैंने सोचा कि यही एक स्वर्ग नहीं है, रिटायर्ड लोगों के लिये एक स्वर्ग और भी है और वह है राजस्थान का फोरेस्ट विभाग। Forest Department of Rajasthan Government is a heaven for retired people.

मैं देखता हूँ यहां चीफ कन्ज़र्वेटर आवेगा तो रिटायर्ड आदमी आवेगा। पता नहीं हमारे फोरेस्ट के मिनिस्टर साहब को रिटायर्ड आदमियों से क्या मोहब्बत है ? ये अब राजस्थान के अन्दर के हों या बाहर के, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। सारा हिन्दुस्तान एक है। अगर आदमी कॉम्पीटेन्ट है तो राजस्थान में आए, अगर राजस्थान का आदमी योग्य है तो दूसरे प्रदेशों में बाहर जावे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जंगलात के महकमे को इतने रिटायर्ड आदमियों के प्रति क्या मोहब्बत है कि वह इनको ही एम्प्लॉय करता है........

श्री उपाध्यक्ष : They can well rejuvenate themselves by having a nice walk in the jungle.

श्री चन्दनमल वैद : They can pull on their life by having good walk in the jungle.

श्री भैरोंसिंह : Along with the young Minister.

श्री उपाध्यक्ष : And the young Hon'ble members.

श्री चन्दनमल वैद : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इकलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य जंगलों से पैदा होने वाली दिक्कतों का जिक्र कर रहे थे और मैं खुश हो रहा था कि परमात्मा ने मेरे इलाके को तो कम से कम जंगलों से बचा दिया। अगर मेरे क्षेत्र में भी अफोरेस्टेशन की स्कीम लागू हो जाती और रेगिस्तान में भी जंगल उगा दिये जाते तो हमारे यहां के किसानों को भी वही दिक्कतें हो जाती जो कि आज दूसरे क्षेत्र के किसानों को हैं। मुझे भी इन दिक्कतों की मालूम है और विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुझे राजस्थान में घुसने का मौका

(श्री चन्दनमल वैद)

मिलता है। अभी कोटा के कुछ हालात मुझे मालूम हैं

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

क्या उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और समय नहीं दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ तो रखिये, लेकिन कटमोशन बहुत ज्यादा हैं ;

श्री चन्दनमल वैद : आप कहेंगे तो मैं पांच सात मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप तो बोल लें, हमारी तरफ से इजाजत है।

श्री चन्दनमल वैद : Thank you. We are waiting for your contribution. अभी माननीय सदस्यों का दल कोटा गया था तो वहां लोगों से बात करने पर मालूम हुआ कि उनके जंगल में जो अधिकार हैं लकड़ी काटने के उनको इस तरह से डेस्ट्रॉय किया जाता है कि लकड़ी काट कर लाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। पहले जो परमिट दिया जाता है वह जहां आदमी रहता है वहां से १५–२० मील दूर का दिया जाता है और फिर उसके उपरान्त भी कहा जाता है कि आप न तो वहां पर कुल्हाड़ी ले जा सकते हैं और न लकड़ी को बैलगाड़ी, गधे या ऊंट पर ला सकते हैं। तो अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप ही सोचिये कि कोई १५–२० मील जाये और फिर सिर पर रख कर लाये तो कितनी सी लकड़ी ला सकता है। ज्यादा से ज्यादा १ मन, या १॥ मन या कोई आदमी मंत्री महोदय की तरह मजबूत हो तो २ मन ला सकता है। फिर उन लकड़ियों से कितने दिन गुज़ारा कर सकता है ? तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मेरा इसमें कटमोशन है कि किस तरीके से ठेकों में इनएबिलिटी बरती जाती है। झालावाड़ में जब गया था तो मुझे मालूम हुआ कि शहर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं लाता है, बल्कि वहीं पर उसका कोयला बना कर राजस्थान से बाहर भेज देता है। तो एक किसान जो कि १ या २ मन लकड़ी काटकर लाता है उसको तो तंग कर सकते हैं और जो लोग लाखों मन कोयला बनाकर बाहर भेज देता है उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं। आज इस विभाग के द्वारा न तो आमदनी बढ़ी है और न जंगल ही बढ़े हैं, बल्कि हमारे किसानों के लिए एक दिक्कत अलग से पैदा कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय के लिए समय है। वह सारी चीजों को समझें कि उनके डिपार्टमेंट में खराबी क्या है, किस तरह से उनको ठीक करना चाहिये, जिससे राजस्थान में जंगल बढ़ें और किसानों की दिक्कतें मिटें। जो रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है न केवल उससे हमको तकलीफ हो रही है, बल्कि आपको भी तकलीफ होने वाली है। उसको रोकने के लिए अफोरेस्टेशन की स्कीम है उसको लागू करना चाहिये। आज हम दिनों दिन जंगलों को काट कर या तो उनको खेतों में दे रहे हैं या दूसरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। उसको रोका जाना चाहिये। बस, मुझे इतना ही अर्ज करना था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में केवल जोड़ बीड़ नाम का जंगल है । उस जंगल में हमारे वन विभाग की तरफ से प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुछ प्लान्टेशन की स्कीम चालू की गई थी । उन योजनाओं में सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, परिणाम कुछ भी नहीं निकला । वहां के किसानों को और वहां की जनता को यह उम्मीद थी कि जितना पैसा यहां लगाया जा रहा है उससे वहां खूब पेड़ पौधे लगेंगे; लेकिन जितने पेड़ लगाये उनमें अगर वहां मौके पर जाकर देखा जाये तो सिवाय इसके कि यहां उस एरिया में जहां एन्क्लोज़र बनाया गया कुछ पेड़ पौधों के अलावा कोई भी अन्य पेड़ पौधा नहीं लगा । तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी बात है कि जिसके लिए मैं सरकार से क्या निवेदन करूं; लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह पब्लिक के पैसों का एक तरह से मिस-एप्रोप्रियेशन है । इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वहां नर्सरी लगाते समय वहां के लोगों ने भी इसके बारे में एतराज किया था कि वहां किसी प्रकार की पानी की सुविधा नहीं है और यह एन्क्लोजर लगा कर आने–जाने वालों का रास्ता रोक रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह एन्क्लोज़र बनाया है उसके बीचों बीच एक पब्लिक थोरोफेयर चलता था जहां से किसान प्रति दिन अपने पशुओं और मवेशियों को लेकर और उन पर लकड़ी, चारा आदि लाद कर बीकानेर में लाते थे । उस रास्ते को रोक कर वहां के किसानों के सामने प्रतिदिन दिक्कतें पैदा कर दीं । तो हम पिछले तीन वर्षों से इस बात की कोशिश करते आये थे कि आपके पेड़ लगें या नहीं लेकिन जो किसानों का रास्ता आने–जाने का रुक गया है उस का एन्क्लोज़र हटा दें । अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि अब आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और इस योजना में जितने भी पेड़ लगाने थे वह लग चुके और जितना पैसा खर्च करना था वह खर्च हो चुका अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने एन्क्लोजर डाल रखा है कम से कम उसको दूर कर दें ताकि थारोफेयर खुल जाये और किसानों के सामने जो प्रति दिन दिक्कत थी वह दूर हो जाये । इतना ही मैं इन कटौती प्रस्तावों द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव इस मांग पर है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो फारेस्ट अधिकारियों के मुताल्लिक कहा कि रिटायर आदमियों से राजस्थान को क्यों मोहब्बत है और उनको क्यों यहां लाया जाता है, मैं इसके लिए किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ तो नहीं हूँ

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

लेकिन जब शुरू शुरू ही कोई कार्य कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकता होती है तो जहां आदमी होता है उसको वहां से ही बुलाना पड़ता है। लेकिन उसकी भी कुछ मयाद होती है, उसकी भी कुछ हद होती है। लेकिन जिस कार्य के लिए उनको बुलाया था वह कार्य अब सम्पूर्ण हो गया और अब उस आदमी के मुकाबले में अपने पास उससे भी ज्यादा क्वालीफाइड आदमी है, जवान आदमी जंगलात का एक्सपीरियेन्स्ड, जो जंगलों में खूब घूम–फिर सकता है वह मौजूद है, तो फिर वह जो आये हुए हैं उनसे हमें कुछ लाभ हुआ। वह यहां रहे और उनका हमने लाभ लिया और अब अपने पास अधिकारी हैं और उनसे भी ज्यादा क्वालीफाइड हैं तो फिर उससे लाभ राजस्थान सरकार क्यों न उठाये ? इसी तरह से राजस्थान के अधिकारी जो वैसे ही क्वालीफाइड होते हैं उनके ऊपर सरकार इस तरह से उदारता बरतती है तो उनके अन्दर बुरी–बुरी भावनायें पैदा होती हैं। वह कहते हैं कि हमें क्या पूछते हो 'घर की मुर्गी दाल बराबर'। तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि रिटायर आदमी अच्छे भी होते हैं और किसी काम को स्थापित करने के लिए बाहर से बुलाना भी पड़ता है, लेकिन अपने पास ही आदमी मौजूद हैं और सब आदमी आलोचना करते हैं कि जंगलात की उन्नति नहीं हुई तो उनका लाभ तो आपने ले ही लिया और अब जो अच्छे क्वालीफाइड हैं उनका लाभ क्यों नहीं लिया जाये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी आदमियों ने यही कहा कि जंगलात का जो महकमा है उससे आदिवासियों को और जो वहां रहने वाले आदमी हैं उनको, सभी को बहुत तकलीफ है और यही सब लोगों ने यहां पर कहा है।

तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ और जिनके जंगलात थे उनका भी हुआ। उसके बाद में डिमार्केशन कायम किया गया। तो डिमार्केशन कायम करते हुए उस वक्त में न तो पटवारी को बुलाया न वहां पर पटेलों को बुलाया। सट-सट जंगलात वाले खुद जाकर डिमार्केशन कर आये। चाहे उनके टाइम में वे जंगल उनके एरिया में थे या नहीं, लेकिन घरों के पास होकर कर आये। लेकिन उसके बाद में सरकार ने वन सेटलमेंट अधिकारी को मुकर्रर किया। वे बहुत जगह गये। उन्होंने किया भी इन्तज़ाम, बल्कि फैसले भी दिये, लेकिन जंगल की तारीख देने के बाद उधर नहीं झांकते हैं।

एक विज्ञप्ति रेवेन्यू से जो निकाली गई थी कि यह जो डिमार्केशन हुआ है इस वक्त यह सिर्फ जंगलात वालों ने अपनी मर्जी से किया है वह अन्तिम नहीं है। फैसला होने के बाद में वह अन्तिम होगा। तो जिनको फरियाद करना हो वह कानून के माफिक हमारे कार्यालय में दरख्वास्त करें। तो जब तक इसका अन्तिम निर्णय नहीं हो तब तक वे ही अधिकार जो पहले से हैं कायम रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि इधर तो विज्ञप्ति निकाली जाती है, लेकिन जिनको अख्त्यार थे, बेचारे आदिवासी जो जंगल के आश्रित थे और वे जंगल में हमेशा रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो बाउन्डरी खिंची हुई है। वे मवेशी वहां पर चराते हैं तो वह बाउन्डरी इतनी नज़दीक होती है, मेरे इलाके में दो इलाके ऐसे हैं, एक तो पाटवा का इलाका और देवली का इलाका जंगलात है, कि वहां पर आन्दोलन

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हुए । मैं अर्ज़ियां लेकर हमारे मिनिस्टर साहब के पास भी आया पहले के, उसके बाद में सी. सी. एफ. के पास गया । सी. सी. एफ. ने महरबानी करके लिख दिया कि फलां तारीख से चराई मवेशी और लकड़ी लाने में कुछ नहीं रुकावट है । इसलिए इसको सस्पेन्ड कर दिया जाय और बाद में लिख दिया कि टिल दी बाउन्डरी इज़ नॉट सेटल्ड । उस सेटलमेंट की कोई परवाह नहीं की । ५.६ हो गया और ५६ के बाद में चराई लगा दी । फिर आन्दोलन हुआ तो क्या करते हैं कि गाय की चराई माफ कर दी जाय और बैल, भैंस, ऊंट इन तमाम से ले लिया जाय ।

जब बाउन्डरी वहां पर स्थापित नहीं हुई और राजस्थान सरकार की यह विज्ञप्ति है और आदिवासियों के लिए भी आपके रेवेन्यू विभाग की एक विज्ञप्ति है । वह इस तरह की है कि राजस्थान गवर्नमेंट के निम्नलिखित फॉरेस्ट डिविज़न के लिए निम्नांकित नियम जंगल की पैदावार के सम्बन्ध में रियायतें देने के लिए प्रचलित किये हैं । इसमें किन–किन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक और आदिवासियों के लिए लिखा है, बावरी, भील, मीणा आदि ।

इस तरह से जो पहले उनके मवेशी चरते थे उनसे कोई चराई नहीं ली जायगी, लकड़ी जो लेते थे वह रिवाज बदस्तूर कायम रहेगा । लेकिन आज होता क्या है कि बेचारे जो जंगल के रहने वाले हैं, जिन पर वे आश्रित थे, बहुत से आदमी तो ऐसे थे कि केवल मवेशी चरा–चरा कर अपना गुज़ारा करते थे, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, इस वक्त सेटिलमेंट हुआ तो जंगल की सरहद पर जो है वह भी जंगल के अन्दर कायम है । अब जो नये जंगलात कायम हुए तो फोरेस्ट में उनको ले लिया । तो या तो सरकार को नोटिस देकर दूसरी जगह उनको आबाद करना चाहिए और दूसरी जगह आबाद करने के बाद में फिर सरकार को वहां पर डिक्लेअर करना चाहिए कि वह फोरेस्ट है । डिक्लेअर नहीं किया । वहीं की वहीं आबादी है । न कम्पेन्सेशन दिया लेकिन वे चराई से महरूम हो गये । वे लकड़ी नहीं ला सकते; बल्कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं, एक तो आपने यह कर रखा है कि जंगल में से यदि कोई करवाड़ा लेकर निकल जाय और इतना सा (हाथ के इशारे से बताते हुए) टुकड़ा काट दे तो ५०) रु० जुर्माना, २००) रु० जुर्माना और कम्पाउंडिंग का मामला है तो इतना जुर्माना । लेकिन पानी में से जायेगा तो पैर तो भींजते ही हैं । मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इन्टेंशनली लकड़ी काटने की गरज़ से जाय तो सरकार को पकड़ कर जुर्माना करना चाहिए । लेकिन यहां तक नौबत आ गई है कि काश्तकार मकान बनाने के लिए डूंगर से पत्थर लाता है और पत्थर लाते वक्त उधर से गुज़रता है तो जंगलात वाले कहते हैं कि हमारे पौधे तोड़ते हो । डूंगर में पौधे कहां से लगाये हैं ? मिनिस्टर साहब वृक्षारोपण कर जायं तो अलग बात है । यह तो आजकल का फेशन है । जंगल वालों का कानून यही होता है कि यहां पर मिनिस्टर साहब को बुलायें और उनका स्वागत करें और झूठा सच्चा कुछ कर दिया । तो मंत्री-जी आ गये और चाहे वह जितना भ्रष्टाचार

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

करें, कोई बात नहीं। यदि मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया और किसी विरोधी दल वाले के हाथ से वृक्षारोपण करवा लिया तो 'साला' बहुत ही भ्रष्टाचार मचाता है....

श्री उपाध्यक्ष : गाली भी देते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : बिल्कुल, साहब, ऐसा कहते हैं। मैं आपसे सच अर्ज कर दूं।

जंगलात का जो महकमा है इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। सुधार जो है उसमें अन्तिम रूप से बाउन्डरी सेटल्ड हो जाय तो जितने हकूक हैं लकड़ी लाने वगैरह के वह भी मालूम हो जायं। आज कल वहां लकड़ी नहीं मिलती है जहां कि पहले लकड़ी की बहुत इफरात थी। वहां पर यह हालत हो गई है कि पकाने के लिए तो दरकिनार रहा लेकिन मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी के लिए घंटों बैठा रहना पड़ता है। पहले तो यह सिस्टम था कि मोली लाते थे। भील, मीणे, बागरी तमाम इस पर आश्रित रहते थे। वे जंगल से जब कि फायदा उठाते हैं तो या तो सरकार उनके लिए, उनके मवेशियों के लिए दूसरा इन्तज़ाम करें उसके बाद में आप जंगलात का डिमार्केशन करें। और उनको फिर कहते हैं कि कायदे के अनुसार इस तरह से हमारे पास फलां जगह आकर दरख्वास्त करो। कहां तो जंगल का रहने वाला है, और कहां उसको इत्तला पहुँचे, और हम लोग भी इत्तला करने जायं तो ६०० गांव हैं। एक एक गांव जायं तो कॉन्स्टीटुएन्सी ही सारी खत्म हो जाय।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कॉम्पीटेन्ट आदमी ऐसा रखना चाहिए और जो ऑफिसर हो वह ऐसा स्वस्थ हो कि पैदल भी चल सके, घोड़े पर भी बैठ सके, ऊंट पर भी बैठ सके और हाथ में लकड़ी लेकर सब जगह इन्तज़ाम करे। रियासतों के टाइम में और ठिकानों के टाइम में क्या होता था कि लोग लकड़ी लेकर सब जंगल में फिरते थे और जंगल का इन्तजाम रहता था। आजकल हम देखते हैं कि वहां पर नाकेदार, फोरेस्ट गार्ड जो जंगल के हैं उनको वहां के सी. सी. एफ. ही समझिये। जो कुछ है वही हैं। वहां पर वही आदमी जा सकता है जो जवान आदमी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जंगल की हालत से आदमियों की दिन प्रति दिन कठिनाई बढ़ती जा रही है और सरकार के प्रति बहुत अविश्वास फैल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप भी तो जंगलात के ऑफिसर हैं। मैं कहता हूँ कि शहर के रहने वाले हैं। आप कोई पहाड़ के रहने वाले होते तो आपको वहां के मज़दूरों का हाल मालूम होता। लेकिन आप भी चल कर देखें कि कैसी-कैसी शिकायतें हैं। आपके प्लान्ट डेवलपमेंट के ऑफिसर नये आ गये हैं। वे क्वालिफाइड हैं। उनको भी टाइम है। मगर मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि पहले लकड़ी की समस्या को ज़रूर मिटा दें। न हल की लकड़ी मिलती है, न पूली की लकड़ी मिलती है, न जलाने की लकड़ी मिलती है। यह तो हद हो गई। कम से कम इसके लिए तो लकड़ी देना चाहिए। नहीं तो अगर यह हाल रहा तो लोग कच्चा नाज खायेंगे और मर जायेंगे, बेचारे।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कट मोशन है, कट मोशन नं० २३ "To discuss the causes of slow progress in accrual of forest revenue".

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो कट मोशन दिया है यह उस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये है कि मैं समझता हूं कि अपने यहां की जो फोरेस्ट रेवेन्यू है वह आज फोरेस्ट के रिसोर्सेज को देखते हुए उसका प्रॉपर एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ है। कम से कम पब्लिक एडवान्टेज में नहीं हो रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। इसके दो कारण हैं। कुछ तो इस वजह से नहीं हो रही है कि कुछ फोरेस्ट्स ऐसे हैं जिनमें जागीरदारों के समय से लगे हुए ये कान्ट्रेक्ट्स चले आ रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कांट्रेक्ट या लीज दिये गये थे वे कहीं चीप रेट से, अनइकोनॉमिक रेट से दिये गये थे। इसका एक कारण यह हो सकता है। अब इन कांट्रेक्ट्स को गवर्नमेन्ट रिवाइज नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम मैं महसूस करता हूँ कि जहां रिवाइज नहीं कर सकती और जहां रिन्यूवल निश्चित टाइम पर नहीं हो वहां गवर्नमेन्ट निश्चित नीति अपना सकती है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा कहीं किया गया या नहीं कि ओल्ड कांट्रेक्ट्स है उनको इन टाइम रिन्यू नहीं किया जायगा।

दूसरी बात यह भी है कि जिनको लीज मिल गयी हैं या जिन्होंने लीज ली हैं उनको गवर्नमेन्ट कैंसिल कर सकती है या नहीं by payment of compensation. इसकी पॉसिबिलिटी को गवर्नमेन्ट को देखना चाहिये।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि इसका जो ऑक्शन किया जाता है कूप्स का, मुझे मालूम है कि कूप्स का डिमार्केशन राजस्थान के फॉरेस्ट का कंपलीट नहीं हुआ है। मैं महसूस करता हूं कि जब तक पूरे कूप्स डिमार्केट नहीं होते हैं तब तक उसकी वजह से जो लीज़ दिये जाते हैं वे ह्यूज फोरेस्ट ट्रेक्ट को एक ही आदमी ले लेते हैं, वे लेते रहेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी प्रोपर कूप्स का डिमार्केशन वर्क कम्पलीट करदें ताकि they may be auctioned in small coupes and given to persons. इसके अलावा उपाध्यक्ष, महोदय, इस सदन में एक दो मिसाल ऐसी भी आई थीं जिनमें बताया गया था कि एक ऑक्शन होता है, कई दफा, इस ऑक्शन में ऐसा रूल है कि एक दफा ऑक्शन क्लोज होने के बाद भी यदि देअर इज ए हायर बिड तो रिओपन किया जा सकता है और हाइयेस्ट बिड के बेसिस पर दूसरे मेम्बर को दिया जा सकता है। ऐसी एक, दो मिसाल सदन के सामने भी साल भर या ६ महीने पहले आई थी। कुछ कूप्स क्लोज हुए, बिड्स क्लोज करने के इमिडियेटली बाद में हायर ऑफर आया था वह इस वजह से आया था कि जो ऑक्शन हुआ था उसकी प्रॉपर नोटिसेज जो लोग डील करते हैं, फोरेस्ट कांट्रेक्टर्स हैं उनको नहीं मिली थी। उनको इत्तला मिली उससे पहले ही ऑक्शन हो गया था। इसलिये उन्होंने लिखित रूप में दरख्वास्त दी थी और

(श्री पी० के० चौधरी)

टर्म के अनुसार २५ पर्सेन्ट या ऐसा ही कुछ चैक डिपॉजिट किया था। परन्तु इसके बाद भी, ऐसा रूल होने पर भी कि रिओपन किया जाना चाहिये, उसे रिओपन नहीं किया गया....

श्री सम्पतराम (वन मंत्री) : इस ठेके के पर्टिक्युलर्स बता सकते हैं क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : सदन में ऐसा रेफरेंन्स आया था, मैं प्रोसिडिंग्ज देख कर बतला सकता हूं।

मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की इन्स्टान्सेज न हों, इसके लिये सरकार की तरफ से उपाय होने चाहिये।

दूसरी बात, मैं यह देख पाता हूं कि फोरेस्ट का अप--कीपिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। इस सदन में भी कुछ माननीय सदस्यों ने राय दी थी कि जलाने के लिये लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेन्ट ने रोक लगादी है कि कार्ट लोड से लकड़ी नहीं ले जा सकते, हैड लोड से ले जा सकते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेन्ट की तरफ से जंगल को काटने से रोकने के लिये इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लिये जाते हैं to protect the forest from depletion. दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट आती है कि कांट्रे-क्टर्स को जिन टर्मस पर फॉरेस्ट लीज दी जाती हैं वे एक्च्युअली उन टर्म्स पर स्टिक नहीं रहते हैं। वे जो टिम्बर काटते हैं, लकड़ी काटते हैं वे एग्जेक्टली उन टर्म्स पर नहीं काटते हैं, ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आती हैं। इस सम्बन्ध में भी गवर्नमेन्ट को सतर्क रहना चाहिये और कम से कम कांट्रेक्टर्स को जिन टर्म्स पर कांट्रेक्टस या लीज देते हैं उनको वे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये। और वे जो फॉरेस्ट से लकड़ी काटते हैं उससे जंगल की एक्च्युअली ग्रोथ को स्टोप तो नहीं कर देते, रोक तो नहीं देते, डेट्रिमेन्टल न हो, इसका चैक होना चाहिये।

इसके बाद एक और बात की तरफ मैं ध्यान आकेर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि पिछले साल हम माउन्ट आबू गये थे। वहां हमको ऐसी जानकारी मिली कि वहां जो फोरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसके प्रोपर मेन्टेनेन्स के लिये गवर्नमेन्ट की ओर से उचित कार्यवाही नहीं हो रही है, बल्कि वहां पर लोगों ने यह बताया कि आज से ५० साल पहले आबू की एवरेज रेन फॉल ७०, ८० इंचेज़ थी और आज वह गिर कर ३० से ४० इन्चेज़ तक पहुंच गई है। जब कि ऑल ओवर राजस्थान एवरेज रेन फॉल बढ़ी है। जैसा कि जोधपुर और बीकानेर का इलाका है उसमें फॉरेस्ट एफोर्सटेशन की वजह से आज से २५ साल पहले जो रेन फॉल थी वह बढ़ी है, भीलवाड़ा के इलाके में भी बढ़ी है। इसके जानकार लोग कहते हैं कि एफॉर्सटेशन की वजह से बढ़ी हैं। लेकिन आबू के लिये बताते हैं कि आबू में जहां रेनफॉल ज्यादा थी, ७०, ८० इन्चेज के करीब थी वहां गिर कर ४०. ३० इन्चेज़ रह गई है। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि डेस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से ऐसा हुआ। इसलिये मैं सरकार का ध्यान खास करके आबू की तरफ आकर्षित करना चाहता

(श्री पी० के० चौधरी)

हूँ और उसकी प्रोपर देख–रेख क्यों नहीं हुई, इसको भी गवर्नमेन्ट देखेगी।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले सिरोही के एक मंदिर के पास के फोरेस्ट लीजिंग आउट की इतला मिली थी। इस सम्बन्ध में मैंने सदन में भी सवाल रखा था। इसमें सरकार का ऐसा रूल है, ऐसा बताते हैं कि फोरेस्ट का कटिंग बाई टर्न से होता है। अमुक साल जंगल का एक हिस्सा काटते हैं तो उस हिस्से का नंबर दुबारा नंबर ऑफ इयर्स के बाद आयेगा। ट्री कटिंग हर साल नहीं होना चाहिये। लेकिन वह जो मंदिर है और उसका ट्रस्ट गवर्नमेन्ट के नियंत्रण में है उस इलाके को लीज आउट कर दिया है। उस इलाके में felling of trees should not be done normally because they are still under growth, इस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी प्रकार से जहां एफोर्सट्रेशन करते हैं वहां प्रोपर स्पेसिंग हो। ट्री कटिंग में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनकी ग्रोथ नहीं रूके। इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करके मैं अपने कट मोशन प्रस्तुत करता हूँ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन केसम्बन्ध में मेरे ५ कटौती प्रस्ताव हैं, उनको सदन में प्रस्तुत कर रही हूं।

मेरा पहला कटौती प्रस्ताव है वन संरक्षण के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं वन हमारे लिये प्रकृति की एक देन हैं जिनको हम अच्छी तरह से संभालें तो सदियों तक हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करती रह सकती है। यद्यपि हमारा प्रान्त रेगिस्तान या कम वर्षा वाला प्रान्त कहा जाता है फिर भी हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में वन मौजूद हैं और वे हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको अच्छी तरह सुरक्षित करते हुए उसका उपयोग करें। वन का संरक्षण दो अवस्थाओं से करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जब वह शुरु में विकास की अवस्था में होता है, उसके बाद उस अवस्था की ओर भी हमारी सरकार का पर्याप्त ध्यान कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं पर अवश्य ही वह सुरक्षित वन का एक साइन बोर्ड लगा कर उस स्थान को घेर देती है लेकिन उसके बाद उसमें पौधे लगाने की, जो पौधे लग चुके हैं, उनके संरक्षण और विकास आदि की तरफ जिस तरह ध्यान देना चाहिए उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि वन मात्र से ऐसा संकेत होता है–ऐसी चीज़ को प्रकृति की देन है, अपने आप बढ़ती रहे, उसमें आपका कुछ न जाय और उसका लाभ सारा का सारा हमको मिल सके।

दूसरा संरक्षण, जब वन तैयार हो जाता है तो अपने उपयोग के लिए उसकी लकड़ी, घास, पत्ते, उससे पैदा होने वाले लाभ या दूसरी दूसरी चीजें उपयोग की होती हैं जहां तक इस प्रकार के संरक्षक का सवाल है, सदन में पहले कहा जा चुका है और मैं भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री

(डॉ० चन्द्रकला)

का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस ओर हमारी सरकार अधिक सक्रिय और सतर्क नहीं है। मैं दूसरी जगह का उदाहरण नहीं दूंगी, अपने जयपुर शहर की सीमा से मिले हुए किशन बाग और नाहरगढ़ वन का उदाहरण देना चाहती हूं। मन्त्री महोदय किसी दिन चाहें तो मैं उनको वहां की असंरक्षित अवस्था का दिग्दर्शन अवश्य करा सकती हूं....

श्री सम्पतराम (वन मंत्री) : I am ready.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Minister is ready to accept.

डॉ० चन्द्रकला : शब्दों में और यहां पर और इसके बाद बाहर जाकर वे भूल जाते हैं कि आपने कुछ यहां पर कहा था।

उन वनों में विशेष तौर से घिरे हुए वन हैं, वे सुरक्षित वन हैं, चौकीदार वहां रखे हुए हैं तीन-तीन। वे वन की सुरक्षा का काम करते हैं लेकिन होता यह है कि वहां से बराबर लकड़ी कटती चली आ रही है। किसी दिन छद्म वेष में जाकर देख लें। वैसे मिनिस्टर साहब आये तो दूसरा रूप ही सामने आयेगा, किसी दिन प्रच्छन्न रूप से आयें तो मालूम होगा कि काठियां चार–चार आने की बंधी हुई होती हैं। इस तरह की सैकड़ों काठियां लाई जाती हैं। अगर किसी दिन कार्यवाही करनी होती है तो एक काठी को पकड़ कर ग्यारह रुपये जुर्माना करते हैं, जो उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। यह रोज का किस्सा है। इसके अलावा वहां पर उस जंगल के पास रहने वाले लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने कुछ हिस्से बांट रखे हैं। वे लकड़ी ले आते हैं, यह लकड़ी अधिकारियों के पास भी जाती है। मैं नहीं जानती कि मिनिस्टर साहब का नम्बर आता है या नहीं, इनके घर पर भी पहुंचाई जाती है या नहीं, लेकिन उस लकड़ी का कुछ हिस्सा जाता है और लकड़ी लाने वाले कुछ हिस्सा ले जाते हैं और उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। यह संरक्षण का सवाल है। यह शहर के पास जो जंगल है उस जंगल का उदाहरण दिया है जो जंगल हरा भरा अच्छा दिखाई देता है, अब वह धीरे धीरे उजड़ रहा है और धीरे धीरे पहाड़ियां दिखाई देने लगी हैं। यह कुछ दिन में उजाड़ हो जाने वाला है ऐसा लगता है। आइन्दा हमारी सरकार अधिक सतर्कता से काम ले और वन संरक्षण की ओर ध्यान दे। इसके साथ ही चोरी चोरी वन संहार होता चला जा रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान दे। मैं आशा करती हूँ कि सरकार इस ओर कदम उठायेगी।

दूसरा प्रस्ताव मेरा वन सृजन के सम्बन्ध में है। इस बारे में जयपुर शहर का उदाहरण मेरे सामने आता है। वैसे शहर और वन, दोनों की बात विचित्र लगती है लेकिन हमारे वन विभाग ने जयपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत दो जगह वनों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। उस सुरक्षित भूमि में प्रकृति का शस्य–श्यामल रूप देख कर आनन्द होता है, आनन्द हो सकता है। लेकिन शहर में वन उस तरह का नहीं हो सकता है जिस तरह का और जगह हुआ करता है। अगर

(डॉ० चन्द्रकला)

सरकार को यहां वन-सृजना करनी है तो शहर के अनुकूल करनी पड़ेगी। टी. बी. सेनिटोरियम के पास कीकर का वन लगाने से क्या फायदा होने वाला है, मैं नहीं समझती। उस सेनिटोरियम के पास कोई हरियाली होनी चाहिए, इस दृष्टि से, शहर वालों के घूमने की दृष्टि से मैं इसका स्वागत करती हूँ लेकिन वहां और पेड़ भी जो और और दृष्टिकोण से अच्छे होते वे लगाये जाते तो अच्छा होता। इस कंटीले वन का उपयोग शहर के लिए उतना नहीं रह गया जितना हो सकता था। लेकिन यह तो केवल तार से उस जगह को घेर दिया गया है और कीकर, बबूल के कांटेदार पेड़ लगाये हैं। कुछ दूर से लोगों को यह हरियाली अच्छी लगती है, लेकिन भीतर जाकर कोई आनन्द नहीं ले सकता है। हां, पास पड़ोस के लोग टट्टी जाने के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं, इतना ही इसका उपयोग है। हमारी सरकार जिस समय वन–सृजना की बात सोचती है और जिस समय ऐसे स्थानों को सुरक्षित करती है उस समय यह जरूर सोचे। हमारा वन विभाग, जिसकी कि रूप-रेखा संक्षिप्त नहीं, वह थोड़ा सक्रिय होकर सोचे और इन जगहों में किस तरह के पौधे बढ़ाने के लिए, किस तरह के पौधे लगाये जायं, सुरक्षा की जाय, इस विषय पर सोच कर करें ताकि इसका उपयोग हो सके। जहां तक लकड़ी के उपयोग का सवाल है, वह लकड़ी वन विभाग के पास जाय। सौन्दर्य और हरियाली के लिए आवश्यक है कि उनमें ऐसे पेड़ लगाये जायं। केवल आड़ू के पेड़ लगाने से ही आप के वन ठीक नहीं हो सकते। जहां तक हरियाली और वन लगाने की बात है, वह तय करते हैं तो पेड़ों का उपयोग देख कर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। माननीय मन्त्रीजी कभी टहलते टहलते चले जायं, उनको नजर आयेगा कि उनके वन हैं वे दूसरे वनों से गये बीते हैं।

अगला प्रस्ताव मेरा है राष्ट्रीय उद्यान के विकास के सम्बन्ध में। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने और बढ़ाने के लिए रखा है लेकिन उसके साथ आखेट की बात आती है। और जगह यह आखेट की परम्परा सामन्तशाही की परम्परा के साथ खत्म होती जा रही है। मैं ही नहीं, मैं सोचती हूँ कि सदन इसका स्वागत करेगा; लेकिन कहीं कहीं जब यह परम्परा सिर उठाती दिखाई देती है तो लगता है कि यदि हम इस चीज को सही रूप में लें तो अच्छा होगा। आखेट बुरी चीज नहीं है लेकिन आखेट शौक के लिए नहीं होकर हिंसक जानवरों का संहार करने की दृष्टि से हो तो उसका अधिक उपयोग हो सकता है। इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है, उसको ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे और मैं समझती हूँ कि इस तरह के आखेट को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देगी: क्योंकि वह जानवरों का पालन करती है, लोगों को दिखाने के लिए, उनका आनन्द लेने के लिए पशु–पक्षियों का संरक्षण करती है। लेकिन सरकार की जानकारी में ऐसी बात आती हो तो उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। कोई विदेश से अतिथि आते हैं, मैं अतिथियों के स्वागत और सत्कार का विरोध नहीं करती लेकिन अतिथि का स्वागत सत्कार कराने के लिए आखेट कराया जाय, जंगली जानवरों की हत्या कराई जाय, अगर करानी है तो बहादुरी से करवायें, गांवों में जो लकड़बग्घे उपद्रव करते हैं, अतिथि

(डॉ० चन्द्रकला)

को कह दिया जाय कि वे उन पर बहादुरी दिखायें, जहां जानवर जनता को दुःखी करते हैं उन पर बहादुरी दिखायें और आखेट करायें। ठीक है, जानवरों को नशे में लाकर, दूसरे छोटे पशुओं को दिखा कर....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any reference so far as visit of a dignitary to this country is concerned. I have given my observations and the Hon'ble member will please treat it as a very delicate point.

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह की आखेट की परम्पराओं को बन्द करने की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ।

इसके बाद मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है, जो वन नष्ट हो चुके हैं या नष्ट होते चले जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान देने का है। कई जगह हमारी सरकार, जहां तक मेरा ख्याल है, अपनी पूरी वन सम्पदा का सर्वेक्षण कराके यह मालूम नहीं कर सकी है कि कहां कहां किस किस तरह का वन है और वे किस तरह नष्ट होते चले जा रहे हैं। कहीं कहीं पर मामूली मामूली जगहों पर सुरक्षा के नाम पर वनों की सुरक्षा कर रही है; लेकिन दूसरे दूसरे वन हैं उनको जनता के द्वारा या दूसरे अपने स्वार्थी लोग हैं, उनके द्वारा उन जंगलों का पूरा पूरा फायदा उठाने की दृष्टि से सरकार उनको नष्ट करने के लिए तैयार होती है या उनको नष्ट होने देगी। जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि हमारी वर्षा पर असर पड़ता है, जमीन की नर्मी कम होती है इसी तरह से हमारी उपज पर भी असर पड़ता है। इसके लिए वनों की सुरक्षा की आवश्यकता है। नीदड़ की वनी इतनी अच्छी वनी थी, वह धीरे धीरे बर्बाद हो गई। वहां के लोग शोर--ओ--गुल मचाते रह गये! वह वनी धीरे धीरे मिटती चली जा रही है। वहां के लोगों ने काफी पुकार मचाई, पर ऐसा नहीं लगता कि हमारी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया। इस तरह जहां वन हैं मैं नहीं कहती कि वन को उस तरह बढ़ने दिया जाय, जिस तरह बढ़ता है बढ़ता जाय। अगर विकास की आवश्यकता होगी तो वह उनको नष्ट करेगी, उनको काटेगी; लेकिन जो हमारी इस आवश्यकता के अन्तर्गत नहीं आते हैं, जो इस तरह नष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें दूसरे लोग हमारी लापरवाही की वजह से नष्ट करें, इसे रोकना होगा। हम लापरवाही करते जाते हैं और वे नष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए उनके सर्वेक्षण की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

(२. ०० म० प०)

मैं देखती हूँ कि अधिकतर चराई की बात को लेकर हमारे वनों में बहुत संघर्ष होते हैं और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने प्रकट किया कि लकड़ी की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरी दिक्कत होती है जानवरों की चराई को लेकर। पहले गांवों के जानवर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते थे और चर कर आ जाते थे, पर जब से हमारी सरकार ने जंगलों को प्रिज़र्व करने के लिये अपने संरक्षण में ले लिया तो चराई की बड़ी

(डॉ० चन्द्रकला)

समस्या हमारे सामने आती है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि वनों के विकास के साथ साथ चराई की समस्या को भी हल किया जाय, जंगल भी सुरक्षित रहें और जनता के जानवरों की चराई का भी प्रबन्ध हो। यह मैं जानती हूं कि जानवरों को यदि खुला छोड़ दिया जाय तो वन पनप नहीं सकते, पर हमें वनों के साथ साथ जानवरों की चराई का भी ध्यान रखना है। वनों की देख-रेख करने वाला विभाग अलग है और चराई का प्रबन्ध करने वाला विभाग अलग है, पर गांव वालों के लिये अलग अलग विभागों का बंटवारा बड़ा भारी पड़ जाता है और जानवरों की चराई का इन्तजाम नहीं हो पाता। इसलिये चराई और चारण भूमि की उन्नति के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है।

वैसे राजस्व विभाग की ओर से हर गांव में चराई की भूमि को छोड़ने का प्रश्न है, पर केवल भूमि छोड़ने से चराई की समस्या का हल नहीं होता। हमें देखना होगा कि उस जगह कौनसे पौधे और वनस्पति पनप सकती है जिससे कि चराई की समस्या का हल हो सके। इससे अच्छा हो कि वनों के पास कुछ भूमि चराई के लिये प्रिज़र्व की जाय और कुछ वनों के लिये प्रिज़र्व की जाय। एक साल एक जगह पशुओं को चराई के लिये छोड़ दिया जाय और दूसरी साल उस जगह न छोड़ कर दूसरी जगह छोड़ दिया जाय, वहां जो घास हो उसमें छोड़ा जाय। तो मेरा निवेदन है कि वनों के विकास के साथ साथ चराई की ओर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से यह काम हो सकता है। अभी गांव वाले अपने मतलब के काम की ओर ध्यान देते हैं। वे केवल अपने जानवरों की चराई की ओर ध्यान देते हैं पर उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि वनों का संरक्षण हो, वनों के विकास की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। इसका कारण यह है कि सरकार उनके दृष्टिकोण को नहीं देखती तो वे भी सरकार के दृष्टिकोण को नहीं देखते। सरकार उनकी चराई की समस्या को हल करने की ओर ध्यान नहीं देती तो वे लोग भी वनों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देते।

अब तो पंचायतों को अधिकार दे दिये गये हैं। तो वनों का इस तरह से विकास करें कि वनों का भी विकास हो और साथ ही साथ चरागाहों का भी विकास हो। दोनों का विकास साथ साथ हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

अपने कटौती प्रस्ताव इन्हीं विचारों के साथ रखती हुई मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम हमारे जयपुर जिले के वन हैं उनके संरक्षण की ओर और जयपुर शहर के वनों का विकास हो रहा है उनको जयपुर शहर के लायक बनाने की ओर ध्यान दें।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्तुत मांग में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो है ठेका देने के बारे में विचार करने के सम्बन्ध में और दूसरा है विभागीय अव्यवस्था के बारे में विचार करने के सम्बन्ध में।

वन विभाग का जहां तक प्रश्न है राजस्थान के किसानों के सामने दो समस्याएं हैं, एक तो पटवारी की और दूसरी जंगलों की। जंगलात का महकमा राजस्थान के लिये इतना

(श्री किशनलाल शर्मा)

महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्र के लिये यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक ठेके देने का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर ठेके नहीं दिये जाने चाहिये, सहकारी समितियों को ठेके दिये जाने चाहिये। मैं मंत्री महोदय को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है और कई सहकारी समितियों को ठेके दिये हैं। पर मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सहकारी समितियों को दिये गये कूप्स, ठेकेदारों को दिये गये कूप्स के मुकाबले में अच्छे नहीं थे, इसके फलस्वरूप उन सहकारी समितियों के सामने आर्थिक कठिनाई पैदा हो सकती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि सहकारी समितियों को अच्छे से अच्छे कूप्स देने चाहिये।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है विभागीय अव्यवस्था के बारे में। इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब राजस्थान के गरीब किसान लकड़ी लाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर भारी भारी जुर्माने होते हैं लेकिन जब बड़े बड़े लोग और ठेकेदार जंगलों से लकड़ी चुरा कर ले जाते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं धरियावाद तहसील का उदाहरण सदन के सामने रखता हूँ। धरियावाद तहसील से काफी लकड़ी नाजायज़ तौर पर काट काट कर बाहर भेज दी गई। इसकी शिकायत वन विभाग के पास की गई, पर वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार उस ठेकेदार का इस प्रकार की नाजायज तौर से काटी हुई लकड़ियों से भरा ट्रक भी पकड़वाया। पर आज तक पता नहीं उस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। उदयपुर जिले में गिरवा तहसील के अन्दर वनों से कितनी ही लकड़ी नाजायज़ तौर पर काटी। तहसील में जंगलात में इसकी शिकायत की गई, जांच भी की गई और मालूम हो गया कि उसने लकड़ी काटी है। पर क्या कार्यवाही उसके खिलाफ की गई, इसका आज तक पता नहीं। कुछ ठेकेदारों ने इस साल मंजूरी मिलने से पूर्व ही जंगलों में जाकर लकड़ी काटना शुरू कर दिया, पर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। यह सब कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो हमारा गरीब किसान है जो अपने खेती के काम के लिये थोड़ी सी भी लकड़ी लाता है तो उस पर बड़े बड़े जुर्माने किये जाते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बड़ी भारी तादाद में जंगलों से नाजायज़ तौर पर लकड़ी काट कर ले जाते हैं, बाहर भेज देते हैं, उनको इतनी भारी चोरियां करने पर भी किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती।

कुछ समय पूर्व राजस्थान सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी और उसके जरिये किसानों को जंगलात से कई प्रकार की सहूलियतें दी गई थीं। उन सहूलियतों को किसान काम में लाते रहे। पर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति के खिलाफ हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिये और जो सहूलियतें किसानों को उस विज्ञप्ति के द्वारा दी गई थीं उनको उनसे छीन लिया। मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उनके ध्यान में लाये जाने पर उन्होंने वे सहूलियतें किसानों को वापिस दिलवाईं। मैं

(श्री किशनलाल शर्मा)

मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो जंगलात विभाग जंगल लगाने की कार्यवाही करता है और 'जंगल लगाओ' आन्दोलन करता है और दूसरी तरफ जंगलों की बेरहमी से तबाही और बर्बादी की जाती है । उस ओर महकमे का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो ध्यान नहीं देता । आज किसान खेती के औजारों के लिए आवश्यक लकड़ी के लिये मारा मारा फिरता है, जलाने के लिये किसान के पास लकड़ी नहीं ।

राजस्थान के सभी इलाकों में यह समस्या समान रूप से नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग २ तरह की समस्या है । मैं उदयपुर जिले और कोटा जिले की समस्या की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उदयपुर जिले में कई पहाड़ियां नंगी पड़ी हुई हैं । जब वहां जंगल लगाने की विभाग कोशिश करता है तो एक तरफ ऐसी डिमार्केशन लाइन लगाता है कि किसान की झोंपड़ी के दरवाजे के सामने से वह लाइन जाती है पर जो पहाड़ियां नंगी पडी हैं उधर बढ़ने की कोशिश नहीं की जाती । खमनोर, सराड़ तहसीलों में इसी प्रकार की कार्यवाही की गई है । खमनोर तहसील में हल्दी घाटी के पास डिमार्केशन लाइन लगाई गई। वह इस प्रकार की है कि किसान ज्यों ही अपने बाड़े से मवेशी छोडता है तो वह मवेशी सीधा जंगल में जाता है । इसलिये मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक जंगलों की सुरक्षा का प्रश्न है, मैं इस बात का विरोध नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे जिले में मेवाड़ में यह रिवाज था कि उस जंगल के पास रहने वाले उस जंगल की सुरक्षा के लिये दौड़े पड़ते और अपने शरीर से पानी लाकर जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करते । तो जहां तक जंगल की सुरक्षा का सवाल है पहले भी जंगल की सुरक्षा वे लोग करते थे और जो चीज उनको चाहिये थी वे वहां से लेते थे । अगर उनको वही सुविधा मिलेगी तो वे जंगल की सुरक्षा खुद करेंगे, जैसा कि आज तक वे करते आये हैं । इसलिये मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि आये दिन किसानों के सामने जंगलों की समस्या है जंगल लगने के बारे में और ठेके देने के बारे में वन विभाग की जो शिथिलता है उसके लिये मैं यह कहूँगा कि आइन्दा सहकारी समितियों को ही जंगल का ठेका दिया जावे, इस बारे में कोई नीति निर्धारित करें ताकि हम समाजवादी समाज को सफल बनाने में सफल हों ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही कटौती का प्रस्ताव है, वन विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार की चर्चा करने के लिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): आपके यहां तो कोई जंगल नहीं होने चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां जंगल होने चाहिये, हो नहीं रहे हैं । हमारा बीकानेर डिविज़न जंगलों के मामले में बहुत गरीब है ।

श्री उपाध्यक्ष : गरीब हो रहा है, इसलिये होना चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : हमारा इलाका इस सम्बन्ध में गरीब है लेकिन फिर भी सहूलियतें मिल नहीं रही हैं।

मैं यह समझता हूँ कि वन राज्य की संपदा है और इसको बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार से मनुष्य को तन्दरुस्त रखने के लिये एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी राज्य को और वहां की पब्लिक के जीवन को हर प्रकार से संतुलित रखने के लिये राज्य में एक इसी प्रकार की वन संपदा की भी आवश्यकता है कि जिससे राज्य धीरे धीरे फले फूले और आगे बढे।

वनों का महत्व कुछ कम नहीं। प्राचीन काल में भी वनों के विकास के सम्बन्ध में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ध्यान रखा है और उसका एक मात्र कारण यह है कि अगर वन—संपदा किसी देश की बढेगी तो अन्य संपदा बढेगी, जनता का स्तर ऊंचा होगा और इसी तरह राजस्थान सरकार भी उसी मूल उद्देश्य को लेकर वन संपदा का विकास कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी भावना को लेकर इसमें करोड़ों रुपयों को खर्च करके राजस्थान में विशेष तौर से और राजस्थान के उन इलाकों में जहां मरुस्थल है उसके लिये भी काफी विकास के लिये रुपये खर्च करना चाहती है और जैसा इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिये रुपया रखा है और खास करके बीकानेर और जोधपुर में जहां मरुस्थल है और जो दिनो दिन बढ़ता जा रहा है उसको किसी तरह से रोका जाना चाहिये।

मैं यह कहूँगा कि यह सब कुछ रखने के बाद में देखना क्या है। हमें देखना यह है कि यह विभाग इसके पीछे खर्च करता है उसके अनुपात से हमारी वन संपदा बढ़ी और उसका विकास हुआ या नहीं। मगर हम देखते हैं कि खर्चा इसमें काफी बढ़ा है और इसके साथ साथ आमदनी को भी देखते हैं तो कभी बढ़ी है और कमी कम हुई है।

अभी कुछ चर्चा खर्चे के संबन्ध में चली कि जो खर्चा हो रहा है उससे पहले से हमारी आमदनी कम हुई है और इस साल में थोड़ी सी बढ़ी है इसके संबन्ध में मैं थोड़े से आंकड़े इसलिये रखना चाहूँगा कि आखिर हमारा असली मकसद जो है वह यह है कि वन संपदा बढ़े और उसके साथ साथ लोगों को जो दिक्कत है वह हल हो और जो राज्य की आमदनी है और वन संपदा है वह भी बढ़े। अगर वन संपदा घट जावे तो यह नहीं होना चाहिये। होना तो यह चाहिये कि वन क्षेत्र बढ़ने चाहिये। आज हमारे यहां १५ हजार वर्ग मील का जंगल है। वह संतुलित होना चाहिये। किसी भी राज्य में उस राज्य का १।४ भाग वन एरिया हो जो उसके आसपास में हो या बीच में हो, कहीं हो तो उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहती है, अनाज अच्छा होता है। इतना तो संतुलन रखने के लिये वन होना चाहिये। हमारे पास वन कम हैं। हमारे पास ११ पर्सेन्ट के आसपास वन हैं। हमें वनों को और बढ़ाना चाहिये। हमें यह देखना है कि हमारे पास ११ प्रतिशत वन संपदा है। वह किसी प्रकार से आगे बढ़े और इसके साथ साथ हमारी रेवेन्यू भी बढ़े। ये दोनों दृष्टिकोण होने चाहिये। आज हमारे पास ११ प्रतिशत जंगल हैं। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर २०—२५ करोड़ रुपये खर्च किये। फिर भी इस खर्चे के

(श्री मुरलीधर व्यास)

हिसाब को देखते हुए हमारी वन संपदा बढ़ी नहीं। इस हिसाब से हमारी वन संपदा १५ पर्सेन्ट हो जानी चाहिये थी या २० पर्सेन्ट हो गई होती तो हम समझते कि कुछ हुआ। अगर इसको लेकर हम चलते हैं तो समाज कल्याणकारी राज्य के लिये मूलभूत उद्देश्यों को लेकर जो हम चलते हैं उसको प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। मगर जिस प्रकार सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रोग्रेस के आंकड़े बताये उससे यह मालूम होता है कि हमारी वन संपदा कम होती जा रही है। जो खर्चा करते हैं वह तो बढ़ता जाता है और आमदनी कम होती है। खर्चे का जैसा १९५९-६० की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है उस हिसाब से सन् १९५४-५५ में ४१,१५,७१४ की आमदनी हुई और २७,२१,१६५ का खर्चा हुआ।

बचा १३,९४,५४९। ये ५४ के आंकड़े हैं। सन् १९५५ में ५१ लाख की आमदनी हुई। ३३ लाख का खर्चा हुआ। १८ लाख की बचत हुई।

एक दम १३ लाख से बढ़ कर १८ लाख हो गई यानी ५ लाख बढ़ी। उसी तरह से १९५६ में हम देखते हैं कि खर्चा और आमदनी है उसको मिलाकर १४ लाख की बचत रहती है। सन् ५७—५८ में १७ लाख की बचत रही।

सन् ५८—५९ में ६७,५६,३३५ की आमदनी। ६८,७३,९६६ का खर्चा हुआ।

इस तरह से १,७७,६३१ का घाटा रहा। इसके बाद में सन् ५९-६० में ७४ लाख की आमदनी हुई। ७७ लाख ६९ हजार खर्च हुआ। ३ लाख, ६९ हजार का घाटा रहा।

यह परिस्थिति जब हम देखते हैं कि इतना रुपया खर्च किया, उससे जंगलात को सीमा जिस अनुपात में बढ़नी चाहिये उस अनुपात से नहीं बढ़ी है और दिनों दिन हम देखते हैं कि खर्चा इतना बढ़ गया कि जो खर्चा सन् १९५४ में था वह २७ लाख का था और वह बढ़ते बढ़ते ७७ लाख हो गया।

तो इतना खर्चा चार-पांच साल में बढ़ा है और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट इस स्थिति में आ गया है। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को थ्रू आउट इन्डिया किसी भी स्टेट में देखा जाता है तो इस दृष्टि से देखा जाता है कि यह आमदनी का विभाग है। लेकिन यहां बात उल्टी है। यहां घाटा बढ़ता ही जा रहा है। एस्टीमेट कमेटी ने भी लिखा है और आश्चर्य प्रकट किया है:—"इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि वन विभाग की आय प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, किन्तु खर्चा भी तेजी से बढ़ रहा है, और बचत की राशि प्रति वर्ष कम होती जा रही है। यहां तक कि पिछले दो वर्षों से बचत

(श्री मुरलीधर व्यास)

की अपेक्षा घाटा ही हो रहा है और घाटे की राशि १ लाख १७ हजार से बढ़कर ३ लाख १६ हजार रुपये हो गई है। इस प्रकार यह विभाग भी राजस्व वाला विभाग न रह कर अन्य विभागों की भांति खर्च वाला विभाग हो गया है।"

यह जो वस्तुस्थिति है, आखिर हम किसी विभाग में खर्चा करते हैं, विभाग रखते हैं और उसकी यह स्थिति हो तो उससे यह मालूम पड़ता है कि इस विभाग को कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई देखरेख करने वाला इस विभाग का नहीं है। कोई आखिर उसका लक्ष्य हो कि किस तरह से इसको देखना है। जनता के प्रतिनिधि बन कर जनता की सरकार चलाने का आप जिम्मा लेते हैं। दूसरे लोगों के जमाने में कमियां थीं, खामियां थीं, मनमानेतरीकों से काम चलाते थे, इसलिए तो उनको हटाया कि उन्होंने गड़बड़ियां कीं, घोटाले किये, जनता का जहां कल्याण होना चाहिये वह उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको हटाया गया। जनता के शासन में तो, अब जनता का कल्याण होना चाहिये। उनकी सुविधाएं बढ़नी चाहिये। आज के राज्य में भी इस प्रकार के घोटाले होते रहें, इसी प्रकार से काम चलता रहा, गड़बड़ियां होती रहें और यह विभाग इस स्थिति में आ जाय कि इस विभाग को दिवालिया विभाग कह दें, जनता की सुविधा के अभाव की दृष्टि से, जनता के कल्याण की भावना के अभाव की दृष्टि से तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी।

कल्याणकारी राज्य कायम करने के लिए जनता ने प्रतिनिधि बनाया आपको। आप जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं। आपका पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि आप यह देखें कि जहां जनता की एक एक पाई खर्च की जा रही है उस एक एक पाई का आम जनता में ही नहीं एक एक आदमी के प्रति क्या सुविधा देते हैं, क्या खर्च करते हैं, क्या आमद देते हैं। यही एक मूल दृष्टिकोण होता है किसी समाजवादी राज्य का। जो माननीय सदस्य पहले बोले उन्होंने कहा कि लकड़ी मिलती नहीं, लोगों को जहां सुविधा देने की बात करते थे उनकी असुविधा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं। जनता का राज्य इसलिए बना था कि जनता को तकलीफ न हो, जनता की दिक्कतें न बढ़ें, बल्कि उनको अधिक, पहले से सुविधा मिले कहते थे कि जनता का राज्य होगा तो लकड़ी सस्ती मिलेगी, हर प्रकार की सुख–सुविधा मिलेगी, जनता का कृषि उत्पादन बढ़ेगा। मूलभूत उद्देश्य लेकर जो चले थे उन उद्देश्यों को छोड़ दिया। इसलिए आज सब तरफ से यही आवाजें आ रही हैं कि जनता की तकलीफें बढ़ गई हैं। आवाजें आती हैं। जनता चिल्ला रही है। यदि मैं यह बात कहता हूँ कि जनता चिल्ला रही है, दिक्कतें बढ़ रही हैं तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं; क्योंकि मैं विरोधी पक्ष का हूँ, प्रतिपक्षी हूँ। लेकिन आपकी तरफ के भी जिम्मेदार लोग ये बातें कहते हैं। किसानों को आप सस्ती और सही तरीके से लकड़ी प्राप्त नहीं करा सकते, जनता परेशान है, जनता को इस राज्य से क्या लाभ मिल रहा है, अन्दाज लगाइये।

इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि मेरे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे यहां तो कोई जंगल

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे इलाके में जंगल नहीं है। भरतपुर, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और दक्षिण के परे देखिये, यह सारा इलाका जंगलात का इलाका है, काफी जंगल हैं। परन्तु राजस्थान का वह ३।४ हिस्सा मरुस्थल है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है। तो इस इलाके को भी आज के युग में जनतान्त्रिक युग में जो सरकार बनी है जनतान्त्रिक सरकार और इसका जो सोचने का तरीका बना है उसको भी देखें। मरुस्थल को भी ठीक करना है। यह ठीक है कि यहां घने जंगल नहीं हैं। यह इतना बड़ा इलाका मरुस्थल पड़ा हुआ है, इस तरीके से गैल नहीं लगा सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, पौधे नहीं लगा सकते। इस स्कीम को कामयाब नहीं कर सकते तो सारी स्कीम नाकामयाब हो जावेगी। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने करोड़ों रुपया इस विभाग के लिए रखा था। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बीकानेर के पास में आखिर लाखों रुपया प्लान्टेशन स्कीम के मार्फत लग रहे हैं, बीकानेर के पास के एरिया को घेरा जा रहा है, लाखों रुपयों की योजना बनती है। उसको घेर करके उसमें पेड़ लगे, पुराने पेड़ लगे हुए थे, नये ढंग से पेड़ उनमें लगावेंगे इस आशा से बड़े एरिया को घेर लिया। मैं भी उसको देखने के लिए गया। आखिर मरुस्थल है, उसमें पैसा लग रहा है। मेरा भी थोड़ा कर्त्तव्य है कि मैं भी उसको चल कर देखूं तो सही कम से कम। पहले योजना प्रारम्भ हुई तो बड़ी २ खाइयां बनीं। जब खाइयां बनीं तो आस पास के किसानों के ढोर उनमें गिरने लगे। उन्होंने शिकायतें की कि बड़ी बड़ी खाइयां बना दीं इसलिए उनके जानवर उनमें गिर जाते हैं। फेन्सिग की स्कीम नहीं की इसलिए बड़ी २ खाइयां बना दीं जिससे कि जानवर न जा सके। जानवर घास देखते हैं और उधर जब जाते हैं तो वे धड़ाधड़ उन खाइयों में गिरने लगे। एक ऊंट भी मर गया और एक गाय भी मर गई। ठीक है, विकास के लिए सरकार यह कर रही है। पेड़ पौधे लगाने हैं और जहां इस तरह का विकास हो रहा है उसमें यदि दो–चार गाय–ऊंट मर भी जाय तो इस दृष्टिकोण से सरकार उसको मान लेती है, कोई बात नहीं....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : खाद लग जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन मैं यह कहता हूँ कि इतने रुपयों का खर्चा करने के बाद भी वहां पर कोई पेड़ नहीं लगा। कुंआ एक बना तो उसमें २० हजार रुपया लगा दिया। मैंने इस विषय में एक प्रश्न पूछा और उसके दौरान में बहुत पूछने पर यह पता चला कि कुंआ तो पुराना था और उसकी मरम्मत में २० हजार रुपया लगा दिया। यह सब कुछ करने के बाद भी उस क्षेत्र में जाकर देखिये कि पेड़ नजर नहीं आवेंगे। जो पहले पेड़ थे वे भी सब साफ हो गये। उस एरिया को घेरा इसलिए कि पेड़ लगाना चाहते हैं, उसको छांटना चाहते हैं। वे पेड़ भी साफ हो गये। जब घास बढ़ा तो धन्धा क्या शुरू किया; मूलचन्द या भारतीय, नाम मैं जानता नहीं, उन्होंने यह काम शुरू किया कि घास तो हो गई तो जानवरों के आने का रास्ता दिया। बीकानेर से और आसपास से

(श्री मुरलीधर व्यास)

हजारों लोग गायों को लेकर जाते हैं तो छः, छः रुपया प्रति गाय के हिसाब से लेना शुरू कर दिया। मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूँ कि सरकार के खजाने में छः रुपया के हिसाब से जमा हुआ हो तो रसीदें बता दें। छः रुपये के हिसाब से गाय, जानवर आदि जाते हैं उनके ऊपर चराई वसूल की और दो रुपये की रसीद दी जाती है। मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। मंत्री महोदय खुद बतायें कि छः रुपये के हिसाब से रुपया खजाने में जमा हुआ या २) के हिसाब से? लेकिन यह छः रुपया वसूल करता है और २) रु० की रसीद दी जाती है। मैं यह बात कहता हूँ; आप उसकी इन्क्वायरी करा सकते हैं। इस प्रकार से पैसा लिया जाता है और वह खजाने में जमा नहीं होता। यह प्लान्टेशन स्कीम केन्द्रीय सरकार के मार्फत चलती है, लाखों रुपया लगता है, वहां पर एक पेड़ नहीं लगा। पैसा भी अधिक देकर चराया लोगों ने, पर सरकार के खजाने में भी पूरा पैसा नहीं आया। तो आखिर यह स्कीम क्या है?

मैं यह कहना चाहता हूँ, इस इलाके के विकास के लिये योजना होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने जो करोड़ों रुपया रखा है उसके लिये हम प्लान्टेशन स्कीम नहीं बनायेंगे तब तक वह स्कीम पूरी नहीं हो पायगी। हमें इस तरीके को बदलना होगा। लाखों रुपया हम जो खर्च कर रहे हैं फिर भी पेड़ नहीं लग रहे हैं। इसलिये हमें चाहिये कि हम पंचायतों को यह काम सौंप दें और उनसे कह दें; आप पेड़ लगाइये, हम आपको सौ रुपये साल के देंगे। इससे क्या होगा जहां वे वृक्ष लगायेंगे वहां उसका सही रूप से पालन–पोषण भी करेंगे। इस तरह से देखरेख में दस, बीस हजार रुपया खर्च भी हो जाता है तो कोई ऐतराज नहीं। आखिर कुछ न कुछ पेड़ सुरक्षित रहेंगे। जब पंचायतों को कुछ न कुछ मिलेगा तो वे अपनी जिम्मेवारी भी समझेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude the debate.

श्री मुरलीधर व्यास : दो ही मिनट में। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हर इलाके के लिये अलग से कोई कमेटी न बनाई जाकर इसके लिये एक बोर्ड बना दिया जाय; जैसी कि एस्टीमेट्स कमेटी ने भी सिफारिश की है....

श्री उपाध्यक्ष : You kinddly refer the page only.

श्री मुरलीधर व्यास : एस्टीमेट्स कमेटी ने बोर्ड के लिये लिखा है :

"राज्य में एक स्वतन्त्र मरुस्थल नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये उसे इस कार्य के सम्पादन के लिये आवश्यक अधिकार दिये जाने चाहिये।"

इस कार्य को सम्पूर्ण राज्य में फैलाने की अपेक्षा फिलहाल इसे बीकानेर और जोधपुर इन दो राजस्व डिविज़न्स में केन्द्रित करना चाहिये।

मैं यह चाहता हूँ कि इसके लिये बोर्ड बना करके काम करना चाहिये ताकि वह देखरे[illegible] मा केन्द्रीय सरकार देती है उसका सदुपयोग हो सके। इसी तरह से

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्लान्टेशन की स्कीम कामयाब हो सकती है। जब हमने विकेन्द्रीकरण कर दिया; बोर्ड पंचायतों के मार्फत काम करवा सकता है। इस प्रकार से बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जैसी कि आज हालत है कोटा और उदयपुर डिविज़न के किसानों की और जो उनके साथ सख्ती बरती जा रही है इस विषय में मैं सदन के सामने उनकी मुश्किलातों को रखते हुए कुछ निवेदन करूंगा। क्या हम अपने बनाये हुए कार्यक्रमों पर और नीति पर चलना पसन्द नहीं करते, क्या हम खुद यानी गवर्नमेंट अपने जो सर्कुलर्स या विज्ञप्तियां जो जारी की है उनके अनुसार स्वयं अमल नहीं करती है तो क्या यह अच्छा समझते हैं? क्या ही अच्छा हो गवर्नमेंट ने जो कन्सेशन्स दे रखे हैं जंगलात के विषय में किसानों को, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को, उनका वह स्वयं पालन करे। उनका क्या हमें स्वयं को पालन नहीं करना चाहिये? उनका पालन नहीं करके क्या इस तरह से हम स्वयं की अवज्ञा नहीं कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले जंगलात के इतिहास के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। फॉर्मर राजस्थान में जब केवल उसमें ११ रियासतें थी, अलग अलग उनकी जो नीति थी जंगलों के बारे में राजस्थान बनने के बाद भी उसी प्रकार रही। उसमें यह था कि जहां पहाड़ी इलाका या आदिवासी रहते हैं और जो लोग वनों से गुजर करते हैं उनके पास बहुत सी जगहों खेती करने के लिये, अपने जीवन-निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं होते वहां वे लोग वनों से ही अपना गुजारा करते हैं।

१९४८-४९ में जब पुराना राजस्थान बना उस समय राज्य सरकार ने अपनी एक नीति की घोषणा की और उससे वहां के रहने वाले किसानों और आदिवासियों को कुछ कन्सेशन्स दिये थे और वे कन्सेशन्स ५०-५१ तक जारी रहे। उसके बाद जब नया राजस्थान बना उसके बन जाने के बाद इस नीति में फिर परिवर्त्तन आया। वे कन्सेशन्स कागजों में वैसे ही बने रहे। लेकिन उन पर अमल करना बन्द हो गया। जिस तरह की आज स्थिति है उसके बारे में जितने भी माननीय सदस्यों के भाषण हुए उनमें उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में जो वहां के किसानों और आदिवासियों को तकलीफें हो रही हैं उसके बारे में निवेदन किया। वहां के किसानों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, किसानों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। ५२-५३ और ५४ तक यही स्थिति थी, जैसी कि आज है। सन् १९५४ में राज्य सरकार ने एक फैसला लिया। उस फैसले की विज्ञप्ति निकाल कर जाहिर किया कि राजस्थान में खास कर कोटा और उदयपुर डिविज़न में जो लोग पहाड़ों पर रहने वाले हैं, आदिवासी हैं, उनको अमुक अमुक कन्सेशन्स होंगे। क्या कन्सेशन्स उसमें थे, उनके विषय में मैं ज्यादा नहीं जाता। हुआ यही कहूंगा कि एक विज्ञप्ति निकाली गई और उस विज्ञप्ति में कन्सेशन्स को साफ किया गया, उसमें कोई नई बात नहीं की गई। जो पहले कन्सेशन्स लागू थे उन्हीं को कागजों

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में लिख कर उनको कानूनी रूप दिया गया। इस तरह से आदिवासियों को कन्सेशन्स दिये गये और उनको हिदायतें दी गई कि अपनी खेती के काम के लिए लकड़ी जंगलों से ला सकते हैं और इसी के बारे में कन्सेशन्स दिये गये। मकान के बारे में, घरू काम के लिये लकड़ी लाने के बारे में कन्सेशन्स दिये गये। इसी तरह से पहाड़ी इलाकों के अलावा उन इलाकों में रहने वाले किसानों को कन्सेशन्स के लिये विज्ञप्ति प्रसारित की। लेकिन मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं किस प्रकार से उन सारी चीजों के अन्दर परिवर्तन आ गया जिससे यह मुनासिब समझा गया कि उस विज्ञप्ति को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाय। मैं भी उस विज्ञप्ति के बनाने में मौजूद था। उसमें मेरा भी हाथ था। उस समय इस विभाग का चार्ज मेरे पास था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं वह विज्ञप्ति कहां है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। इसके कारण का पता नहीं लगता है। उस विज्ञप्ति की वजह से बेजा फायदा उठाया गया। विज्ञप्ति द्वारा जहां किसानों को ज्यादा फायदा पहुँचना था वहां वह न होकर राजस्थान को राजस्व की आय में वृद्धि का साधन बनाया गया। जहां राजस्थान में पहाड़ हैं वहां रेगिस्थान का इलाका भी है पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिये लकड़ी का उतना ही उपयोग है जितना कि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिये है। जिस तरह से रेगिस्तान के लोग एक लोटा पानी से नहा लेते हैं वहां कोटा और उदयपुर के रहने वाले लोग चार—चार बाल्टियों से नहाते हैं। इसी हिसाब से जंगली इलाके में रहने वाले व्यक्ति हैं वे पीढ़ियों से जंगल को उसी तरह से बरत रहे हैं, वे लकड़ी के बारे में उतने ही अधिक मात्रा में प्रयोग करने के आदी है, इस प्रकार की खराब आदत थी दुरुस्त की गई। इन आदतों में फर्क आया या नहीं मैं कह सकता हूं उसमें अवश्य फर्क आया है। जंगल के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी उसमें भी उसी हिसाब से फर्क आया। आज दिन तक जब तक इस बात का इन्तजाम नहीं कर देते कि उनकी जो जरूरियात है उसको पूरा नहीं कर देते जो उनको रियायतें थी वे नहीं दे रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनको इसके प्रति उतना प्रेम नहीं हो सकता।

अब सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को जरूरत है लकड़ी की। अपना खाना पकाने के लिये वह लकड़ी का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के लिये गरीब आदमी गांव में रहने वाले कन्डों का उपयोग करते हैं। जहां कन्डों का खाद होना चाहिये वहां कन्डे खाना पकाने के लिए काम में लिये जाते हैं। आज जो इन्तजाम है उससे न तो गांव वालों को अपनी आवश्यकता की लकड़ी मिल पाती है न दूसरों को। आज गावों से जंगल कहीं दो मील हैं, कहीं चार मील हैं। हर एक गांव में विभाग की तरफ से कोई टाल नहीं है जिससे जाकर वे लकड़ी ले आवे। जब इस प्रकार का इन्तजाम नहीं है तो हम जो अन्याय कर रहे हैं गांव वालों के साथ उनका जंगलों से लकड़ी लाना बन्द कर दिया जब कि उनको इजाजत थी। कन्सेशन मिला था लकड़ी लाने का। उसको बन्द कर दिया। हालत यह है, किसान अपने जलाने के लिये फुरसत के समय में जंगल से लकड़ी ला सकता था, गाड़ी भर कर लकड़ी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लाता था वहां ६ आना टैक्स प्रति गाड़ी पर वसूल किया जाता। गत वर्ष जब विभागीय अध्यक्ष ने यह कहा कि यह जो ६ आना टैक्स है वह बहुत कम है। इस बात पर मन्जूरी दी एक रुपया प्रति गाड़ी ले लिया जाय, लेकिन उनको सूखी लकड़ी लेने दीजिये। गत वर्ष इसकी इजाजत दी गई थी। पर इस साल फिर वही समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दस मील हैड लोड पर कैसे लावेगा कोई। या तो आप गाड़ी से लाने की इजाजत दें या उनके गांव में इसका प्रबन्ध करें। अगर यह नहीं किया तो दोष किसका है? कौन इसके लिये जिम्मेदार है? मन्त्री महोदय बतावें कि उन्होंने किसको जिम्मेदार माना और उनके खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्या को हल करने के लिये या तो लकड़ी का प्रबन्ध किया जावे या कोई दूसरा इल्टरनेट दें। शहरों में अब आम तौर से लकड़ी नहीं लोग जलाते। या तो बिजली, या पत्थर का कोयला या स्टोव में तेल ज्यादा से ज्यादा काम में आता जा रहा है और उतना ही लकड़ी पर बोझा कम होता जा रहा है।

अब यह कहना कि उनको वहां से लकड़ी लाने देने से जंगलों की बर्बादी होती है, मैं नहीं मानता। जंगलों की बर्बादी का कारण किसान को लकड़ी लेने देना कतई नहीं है। इसका कारण है हमारी नैग्लिजेन्स और हमारी केयरलेसनैस। मैंने बजट पर बोलते समय भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मैं बताऊं। स्वयं मैंने देखा और पकड़ा था। बूंदी में तीन साल पहले काफी जंगल खड़े थे। एक एक फुट मोटी लकड़ी वहां से काटी गई और इसका हिसाब नहीं। इसका कोई ठेका नहीं दिया गया। पर किसी तरह कट गया जंगल। अगर लोगों ने काटा तो मना क्यों नहीं किया गया? क्या कार्यवाही की गई उस बारे में? मैंने दो फोरेस्ट गार्ड्स को स्वयं ने पकड़ा। वह स्वयं लकड़ी गीली काट कर ले जा रहे थे। वहां के डी. एफ. ओ. साहब पता नहीं किस नीति पर चलते हैं। दो तीन महीने में पेन्शन पाने जा रहे हैं। शायद इसका ख्याल करके उनके साथ रियायत बरती हो। तो इतना होने पर भी एक्शन नहीं लिया जाता। पता नहीं रिटायर्ड व्यक्ति रिटायर होने वाले के साथ ज्यादा सिम्पेथी रखने के खयाल से ऐसा कुछ होता है।

श्री उपाध्यक्ष ; सिम्पेथी तो आपने ही प्रारम्भ की थी न?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो अनुभव से फायदा उठाना कारीगरी है, पर बहुत ज्यादा विशेष तौर पर नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह समस्या लकड़ी ले आने से मना करने से हल हो जावेगी, ऐसा नहीं है। हमें या तो लकड़ी का प्रबन्ध करना होगा उनके लिये या वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा।

आज उनकी जमीनों पर नहर का पानी आ रहा है। इतनी फुरसत भी अब उनको नहीं मिलेगी आगे जितनी आज मिलरही है कि वे स्वयं जाकर सिर बोझा की लकड़ी जंगल से ले आवें। वे एक दो साल में स्वयं मांग

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

करेंगे कि हर कस्बे में लकड़ी की टाल का प्रबन्ध किया जावे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय और दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उनको प्रेक्टिकल मालूम है, उनको कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो फिर आप उनसे अलग से पूछ लें।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : इसका समाधान कैसे होगा, इस पर विचार करना होगा। दो साल बाद उनको समय नहीं मिलेगा, न अपने आदमी को भेज सकेंगे, न खुद जा सकेंगे। फिर वे कपास बोने लग जावेंगे तो उसके डंठल से भी जैसे पंजाब में इस डंठल से खाना बनाने की समस्या का हल हो जाता है उसी तरह से वहां भी हो जायगा और तब यह भी एक ऑल्टरनेट मिल जावेगा लकड़ी का। पर आज तो ऐसी कोई चीज नहीं हैं। अगर वे कड़बो जलाते हैं तो मवेशियों का नुकसान होता है। वह लकड़ी से ज्यादा कीमती है, और अगर गोबर जलाते हैं तो खाद का नुकसान होता है। खाद लकड़ी से ज्यादा उपयोगी है। तो आप उनको आज जब तब ऑल्टरनेट नहीं देते तब तक आपको लकड़ी का प्रबन्ध करना ही पड़ेगा और यह बहुत आवश्यक है।

एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि हैड लोड में भी ऐसा होता है एक को ले जाने देते हैं, दूसरे को नहीं। तो इसमें कोई चैकिंग नहीं है।

तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसे कोई छोटी मोटी समस्या वे न समझें। यह किसानों की, आम जनता की समस्या है। उनको लकड़ी देने की समस्या का हल हमें जरूर करना पड़ेगा।

फोरेस्ट विभाग से आमदनी की बात सोचना कोई गलत नहीं है, पर आज तो जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आमदनी से खर्च ज्यादा है तो यह तो ठीक है कि प्लान्टेशन से खर्चा होता है तो यह तो होगा, पर यह सोचना कि आज जरूरत को पूरी किये बगैर हम आमदनी का ख्याल रखें तो यह गलती होगी। पहले हमें जनता की जरूरत को पूरा करना होगा।

अब प्लान्टेशन हो रहा है तो दस–पांच साल में उससे आमदनी होने लग जावेगी। पर राजस्थान में इस इलाके में तो जलाने की लकड़ी है और किसी काम की नहीं है। आप उसे लोगों को दीजिये। इससे लोस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। इसके लिये यह सोचना गलत है। आप सागवान और कीमती लकड़ी मत कटने दीजिये पर जलाने की लकड़ी देने का तो इन्तजाम करिये। फिर काश्तकारों के काश्त के औजार के काम आज जो लकड़ी आती है जब वे नये औजार, जिनमें लोहे का अधिक प्रयोग होता है, काम में लेने लग जावेंगे, तो उनकी यह लकड़ी की मांग भी कम होने लग जावेगी। तब तक उनके लिये हल की फाल की लकड़ी का प्रबन्ध नहीं करना बड़ी भारी भूल है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो अन्त में इन कट मोशन्स के जरिये निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

देकर जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करने की कृपा करेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं ।

पहला यह है कि झालावाड़ में वन व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है। मेरे इस प्रस्ताव से यह अभिप्राय नहीं कि राजस्थान में और जिलों की अपेक्षा झालावाड़ जिले में ही केवल व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि झालावाड़ जिले में यह व्यवस्था असन्तोषप्रद है, उसका मूल कारण राजस्थान सरकार की फोरेस्ट नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय, जंगल का जहां तक प्रश्न है राजस्थान एक विशेष परिस्थिति में पड़ा हुआ है और यह परिस्थिति ऐसी है कि उसको हमें एक खास ढंग से हैंडल करना होगा और यदि वन विभाग में जिसको एक रूटीन के अनुसार हैंडिल किया तो मैं कहूँगा कि आज जंगल की समस्याएं जिस प्रकार जटिल बनी हुई हैं वह सदा ऐसी ही बनी रहेंगी और इसके लिए हमको हमेशा हाउस में और जनता के सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जंगल के लिहाज से दो हिस्से हैं। एक वह भाग है जहां पहाड़ और पठार हैं और एक वह भाग है जहां केवल रेगिस्तान है। राजस्थान में जंगल के प्रश्न को हल करने के लिए केवल एक ही विभाग है और वह विभाग इन दोनों पहलुओं को समान रूप से टैकल कर रहा है। पहाड़ और पठारों में जंगल विकास की जिस नीति को लेकर आज हम चले हुए हैं वही नीति रेगिस्तानी जंगलों के लिए है। यदि विभाग ने यह निर्णय लिया कि ५ स्क्वायर मील का एक फॉरेस्ट रखा जाये तो जहां जंगल हैं वहां पर भी फॉरेस्ट विभाग ५ स्क्वायर मील का एक फॉरेस्ट रखता है और जहां रेगिस्तान है वहां पर भी ५ स्क्वायर मील का एक फॉरेस्ट रखता है। लेकिन परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। रेगिस्तान में जंगल इसलिए नहीं उगाये जाते कि वहां पर आमदनी नहीं होती। वहां पर जंगल उगाने का मूल अभिप्राय यह है कि वहां की रेगिस्तानी परिस्थिति को बदला जाये, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों मसले यहां इसी विभाग द्वारा समान रूप से टैकल किये जाते हैं और इसी कारण जितना इनवेस्टमेंट आज हमारे रेगिस्तान में हो रहा है, मैं तो यह कहूँगा कि पिछले १० वर्षों में फॉरेस्टेशन की दिशा में राजस्थान ने जितना इनवेस्ट किया है वह सब व्यर्थ गया है। क्योंकि वहां पर जंगल उगा दिये जाते हैं, जंगल क्या पौधे लगा दिये जाते हैं। मीलों की देखरेख के लिए केवल एक फॉरेस्ट गार्ड रख दिया जाता है। इससे आप अदान्जा लगा सकते हैं कि आखिरकार वह इन्सान है, वह कोई परिन्दा तो नहीं जो परों के जरिये मीलों तक चला जाये और तमाम पेड़ों की देखरेख कर ले। इसके अलावा जो वहां पर वन अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं यद्यपि राजस्थान सरकार अलग अलग विभागों के अधिकारियों के लिए उनकी सवारी का इन्तजाम करती है लेकिन

Page No.80

(श्री रामचन्द्र)

दुख की बात है कि वन विभाग के अधिकारियों के लिए इस प्रकार के नियंत्रण और देखरेख रखने के लिए सवारी का कोई इन्तजाम नहीं है। यही वजह हैं कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में जंगल उगाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपये केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से खर्च किये गये हैं लेकिन नतीजा यह निकला कि आज वहां पर २ पर्सेन्ट और १ पर्सेंट भी पेड़ नहीं हैं। कारण यह है कि पौधे तो लगा दिये गये लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी और देखरेख नहीं हो सकी। यदि साथ ही साथ में देखरेख की अच्छी व्यवस्था हो जाती तो मुझे विश्वास है कि जितना सरकार ने इनवेस्टमेंट प्लान्टेशन में लगाया है उसका अच्छा नतीजा निकल जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समय वन विभाग की जो व्यवस्था है इसको क्लियरली दो हिस्सों में किया जाना चाहिए। एक तो वन विभाग का वह हिस्सा अलग होना चाहिए जो कि असली जंगलों की देखरेख के लिए है और जो रेगिस्तान का अलग हिस्सा है उसकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। यह प्रायः देखा जाता है कि एक डी० एफ० ओ० या रेन्जर जंगल का बना हुआ है कुछ ही दिनों के बाद रेन्जर को बीकानेर और जैसलमेर में घास के और रेगिस्तान के रेन्ज को देखने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक आदमी यदि एक ही जगह एक किस्म के काम करने के लिए रखा जाये तो उसमें वह दक्षता प्राप्त कर लेता है और उस काम को अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन दोनों प्रकार की व्यवस्था अलग अलग होते हुए भी और आपस में एक ही विभाग रहने के कारण उनका तबादला समान रूप से होता रहता है। इसलिए वह लोग वहां दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को जो जंगल विभाग है उसके दो हिस्से कर देने चाहिए। एक वह जो रेगिस्तान के जंगलों के विकास के लिए जिम्मेदार है और दूसरा वह जो पहाड़ और पठार की देखरेख के लिए है। यदि ऐसा किया गया तो राजस्थान की जंगल विकास की नीति में जरूर बल मिलेगा।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहनी है कि आज चारों तरफ से आवाज उठ रही है, बल्कि आवाज इस प्रकार की आ रही है कि जंगल विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है और राजस्थान में सही माने में वह जंगल के प्रश्न को टैकल ही नहीं कर सका। यह चार्ज मिनिस्टर से लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर और फारेस्ट गार्ड तक लगाया जाता है। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को आमदनी की नीति ने इस सारे संकट को पैदा करने की व्यवस्था कर दी है। यह चाहते हैं कि चाहे एग्रीकल्चर में इनवेस्टमेंट किया जाये तो उसमें नफा हो, इर्रिगेशन में इनवेस्टमेंट किया जाये तो सरकार को नफा हो, गर्ज यह है कि किसी में भी इनवेस्टमेंट किया जाये, सरकार हमेशा नफे की तरफ देखती है। आज ऐसी चीज है कि यदि सरकार ने नफे की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार के संकट जो हमारे सामने आज आ रहे हैं वे नहीं आ सकते आज १६ लाख रुपये की आमदनी खर्चा निकालने के बाद में जो फिगर्स

(श्री रामचन्द्र)

हमारे सामने आती हैं, उपाध्यक्ष महोदय यह कह देना चाहता हूँ कि ये १६ लाख रुपये कहां से प्राप्त किये ? वे बीकानेर और जैसलमेर के जंगलों से प्राप्त नहीं किये गये। वहां की बीड़ से नहीं किये गये बल्कि उदयपुर और कोटा डिविजन के जो जंगल थे उनसे प्राप्त किये गये हैं। तो आमदनी का भार जितना उनके ऊपर डाला जाता है उतनी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। यदि सरकार अपनी आमदनी की तरफ ध्यान नहीं देकर केवल १०—१५ वर्ष के लिए यह सोच ले कि हमें आमदनी की तरफ नहीं देखना है बल्कि जंगलों का विकास करना है और जो कुछ आमदनी होगी वह समस्त जंगलों के विकास में ही वहीं पर इनवेस्ट कर दी जाये तो मैं कहूँगा कि जंगलों का विकास अच्छा हो सकता है और यह जो संकट हमारे सामने आ रहा है वह नहीं आये। अब ऐसा देखा जाता है कि जंगल का जब प्रश्न आता है तो जंगल के अधिकारी आमदनी-आमदनी के चक्कर में कोटा डिविज़न के जंगलों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए दस वर्षों में इस मूल प्रश्न को लेकर चले कि हमारी अधिक से अधिक आमदनी हो जिसका नतीजा यह हुआ कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले के तमाम जंगल कटवा कर नष्ट कर दिये गये।

(३.०० म० प०)

दूसरी नीति यह है कि सरकार यह चाहती है कि लकड़ी जो है वह हमारे राजस्थान को मिल जाय और राजस्थान के बाहर जो क्षेत्र हैं वहां पर भी हमारी लकड़ी चली जाय। राजस्थान सेल्फ सपोर्टिंग ही नहीं रहें बल्कि निकास भी करे जैसी अनाज के प्रश्न पर गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि जब हमारे यहां के जंगलों की परिस्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि हमारे यहां ३० पर्सेन्ट जंगल के बजाय केवल ११ पर्सेन्ट ही है। जंगल हमारे यहां ऑल रेडी कम हैं। इतने कम जंगल होते हुए भी यदि यह पॉलिसी रहे कि हमारे यहां की लकड़ी या कोयले के रूप में राजस्थान से बाहर जाकर बिके तो मैं अवश्य यह कहूंगा कि राजस्थान के आदमियों पर इस प्रकार का संकट अवश्य चलता रहेगा।

मैं इसके अलावा यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार की यह जो नीति है कि हमारी जंगल की आमदनी को इस नीति से देखना चाहिये। साथ ही साथ राजस्थान की जो लकड़ी, चाहे लकड़ी या कोयले के रूप में, राजस्थान के बाहर जाय तो घर वालों को तो खाने को तो नहीं मिलता है, तो क्या वजह है कि दूसरी जगह लकड़ी और कोयले को भेजकर काम चलायें। बाहर उस हालत में भेज सकते हैं जब कि हमारे पास वह काफी क्वान्टिटी में मौजूद हो। यही नहीं हमारे यहां निकास का ध्यान रखते हुए जंगल के बारे में कठोर से कठोर नियम बना रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि गांव के लोगों को जलाने को लकड़ी नहीं मिलती है और खेती के औजारों के वास्ते वहां पर उन लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है। यदि सरकार इन दोनों बातों को सुधार सके तो मेरा विश्वास है कि गांव वालों और जनता की जो बड़ी पुकार है वह बहुत हद तक पूरी हो जायगी।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

Page No.82

(श्री रामचन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक बातें जो जनता के कष्ट की हैं वे भी आपके द्वारा सरकार को कह देना उचित समझता हूँ। जंगल के विकास में जलाने की लकड़ी और कोयले तथा किसानों का लकड़ी के अलावा यह भी सरकार को नीति है कि जंगल से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी उद्योग धन्धे हैं, चाहे वे उद्योग छोटे हों या बड़े हों, वे तमाम डेवलप होने चाहिए। राजस्थान में कोई ऐसी कॉमर्शियल यूटिलिटी की लकड़ी नहीं मिलती है। यहां पर केवल बांस ही ऐसी चीज़ है जिसका उद्योग से सम्बन्ध है। आज राजस्थान के बहुत से हिस्सों में खास कर झालावाड़, कोटा और बूंदी, इन हिस्सों में एक जाति बसेड़ा या बरूड़ा बसती है, जिनका मुख्य धंधा बांस की टोकरी या टोकरे बना बनाकर किसानों को बेचना है। उसकी आज यह दशा है कि आज उन लोगों को बांस नहीं मिलते हैं। वे लोग अपने धन्धों को छोड़कर सड़कों पर मजदूरी का काम करते फिरते हैं, भूखों मरते फिरते हैं। यदि जंगल विभाग से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि बांस नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों के धन्धे को पनपाने के लिए, उनको जिन्दा रखने के लिए, इस डिवीज़न में जंगल विभाग को चाहिये कि बांस का प्लान्टेशन अधिक से अधिक मात्रा में कराये और उनको उचित दामों पर दे।

साथ ही साथ मैं यह भी कह दूं कि जंगल विभाग का जो बजट है वह टोप हैवी है। ऊपर का ढांचा इतना खर्चीला बना हुआ है और नीचे की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। फोरेस्टर या फोरेस्ट गार्ड का जहां तक प्रश्न है वे उतनी तादाद में नहीं हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। इसलिए जंगल का जो नाश हो रहा है वह आपके इनइफिशियेन्ट स्टाफ की वजह से है। इसलिए टाप हेवी बजट को, ऊपर के बजट को कम करें और नीचे का बजट बढ़ायें, तो आपके जंगल की रक्षा हो सकती है, वर्ना हम यह देखते हैं कि काम तो रुकता नहीं है, वह चीज़ जो गवर्नमेंट से मांगते हैं और गवर्नमेंट नहीं देती है लेकिन वे किसी न किसी प्रकार से फोरेस्ट गार्ड या फोरेस्टर को कुछ ग्रेटिफिकेशन करके अपनी आवश्यकता की चीज़ ले लेते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि सरकार को नुकसान होता है और जिनको बेजा नफा होने वाला है उनको वह हो जाता है। इसलिये लोअर स्केल के जो हैं, यहां पर फोरेस्टर या फोरेस्ट गार्ड का प्रश्न है, उसकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाय तो मैं यह कहूँगा कि जंगल की रक्षा हो सकेगी, और सरकार की जंगल के विकास की जो नीति है वह अवश्य कामयाब होगी।

आखिर में मुझे यह निवेदन करना है, कहने को तो बहुत कुछ कहना था, जबानी तो मिनिस्टर साहब, सी. सी एफ. साहब से लगा कर रेन्जर तक से कह सकता हूँ कि फोरेस्ट लेबर सोसाइटी को तरफ उनकी उदार नीति नहीं है। सैकड़ों वर्षों से वह गरीब कौम जो है वह दूसरों का शिकार बनती चली आ रही है। इनका खून हमेशा उन पूंजीपतियों ने चूसा है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार कहने को तो उदार नीति कहती है, लेकिन वास्तव में वह पूंजीपतियों से कम नहीं है। यह भी आज उन गरीबों का खून चूसने में कोई कसर नहीं रखती है। यदि आप मुझे समय देते तो मैं विस्तारपूर्वक कहता। जबानी

Page No.83

(श्री रामचन्द्र)

तो सब कुछ कह चुका हूँ। मैंने जो इशारा किया है उससे मंत्री महोदय और हमारे सी. सी. एफ. साहब यह समझ लेंगे कि झालावाड़ की फोरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी की आज जिस प्रकार की उसकी बुरी परिस्थिति है बनी हुई है, और अब परिस्थिति इस प्रकार की आ गई है कि अगर जंगल विभाग उसके प्रति किसी प्रकार की उदारता का रुख नहीं लेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सोसाइटी फेल हो जायगी। वही सोसाइटी फेल नहीं होगी, बल्कि झालावाड़ जिले में इस प्रकार की सोसाइटी बनना हमेशा के लिए बन्द हो जायगा जो कि सरकार की नीति के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने जंगल विभाग की जो मांग की है उसके संबन्ध में राजस्थान के अन्दर जो जंगल नष्ट हुए हैं उनके बारे में विचार व्यक्त किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यह सही है कि अगर इसका सेसमेंट करायेंगे तो विदित होगा कि हमारे जंगल काफी नष्ट हुए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके जो दो मुख्य कारण हैं वे, मेरे खयाल से, एक तो खुद जंगल विभाग के कर्मचारी हैं और दूसरा है ठेकेदारी की प्रथा।

माननीय उपाध्यक्ष, यदि हम जंगल विभाग के निम्नतम जो कर्मचारी हैं, जो फोरेस्टर हैं, फोरेस्ट गार्ड हैं, डिप्टी रेन्जर हैं, उनकी ओर हम देखें और उनके अधिकारों की तुलना करें तो विदित होगा कि उनके एक्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स काफी हैं। वे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं तो किसी को छोड़ सकते हैं। बड़े बड़े अधिकार जो हैं वे उनको दे रखे हैं, मगर हम देखें तो उनकी तनख्वाह २५) रु० गार्ड को, फारेस्टर को ४०) रु० और डिप्टी रेन्जर को ६०) रु० से स्टार्ट करते हैं। इस दृष्टिकोण से अधिकार हमने उनको बहुत ज्यादा दे रखे हैं। उनकी तनख्वाह काफी कम है। रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल होने के बाद भी उनको कुछ लाभ नहीं पहुँचा। इसका परिणाम है कि काफी जंगल नष्ट हुए है। उनको जंगल में चक्कर लगाने पड़ते हैं; ८, १० मील का चक्कर लगाते हैं और उनको भत्ता नहीं मिलता है। उसका परिणाम यही होता है कि आज जितने भी जंगल कट रहे हैं गैर कानूनी तौर पर उसका ५० प्रतिशत भाग जंगलात विभाग के कर्मचारियों के कन्नाइवेन्स से होता है। वे नाजायज लाभ उठाकर दरख्त कटवाते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर इस समस्या को मिटाना है तो निम्नतम कर्मचारियों का जो केडर है उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। आप कभी भी रात को जायं, मेरे को भी कभी कभी जाने का काम पड़ता है, देखता हूं कि कई लोग लकड़ी उठा कर ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनकी जंगल के कर्मचारी, फोरेस्टर या फोरेस्ट गार्ड को मालूम नहीं हो। वे पकड़ भी लेते हैं लेकिन उसी वक्त छोड़ देते हैं। फोरेस्टर या फोरेस्ट गार्ड दौरे पर जाते हैं गश्त के लिए तो उनके खाने का प्रबन्ध करवाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी आदिवासी या किसान को पकड़ा जाय किसी भी ढंग से पकड़ा जाय और कहा जाय कि लकड़ी नाजायज तौर से लाये हो ताकि वहां आराम से उसके यहां पर महमानदारी हो सके। इस दृष्टिकोण से इन चीजों को मिटाने के लिये वन मंत्री

Page No.84

(श्री सोहनलाल भटनागर)

महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में सख्ती से कदम उठायें और निम्नतम जो कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह एक चपरासी से भी कम है और जिनको काफी अधिकार है। आज उन अधिकारों की कई बड़े बड़े अधिकारों से तुलना की जा सकती है। वहां जो उनको अधिकार दे रखे है उनकी तुलना में उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाय। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सी. सी. एफ. को हम १५००) रु० देते हैं और एक तरफ २५) रु०। इतना वाइड गैप दोनों के बीच में देखते हैं तो जब कि हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर और निम्नतम कर्मचारियों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है उसको मिटाना है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष, जो मेरा प्रस्ताव है वह सहकारी समितियों को ठेका देने के बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष, यह सही है कि गत एक—दो वर्षों के अन्दर सहकारी समितियों को ठेका देना हमने प्रारम्भ किया है। इसके लिए सदन में और बाहर काफी आवाज़ उठाई है लेकिन मैं बहुत ही दुःख के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी समितियों को जो जंगल देना है उसके बारे में सरकार और विभाग के द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर हैं या जो जंगलात के कर्मचारी हैं उनका जो जंगल में लाभ है वह समितियों को देने से सारा समाप्त हो जाता है, इसलिए वे इन समितियों के प्रति दुराव की भावना रखते हैं और उनको प्रोत्साहन नहीं देते। किस किस प्रकार से....

श्री सम्पतराम (वन मंत्री) : मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कौनसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर की गई, पर जिसको ठेका नहीं दिया गया ?

श्री सोहनलाल भटनागर : एक तो बेदखल की थी, और भी कई हैं जिनको कभी नहीं दिया जाता है। मैं मानता हूं कि मंत्रीजी की भावना ठीक हो सकती है, वे इनको प्रोत्साहन देना चाह सकते हैं लेकिन मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि जितने भी नीचे के कर्मचारी हैं वे टारपीडो करते हैं। वे कभी नहीं चाहते हैं कि इन को-ओपरेटिव सोसायटियों को जंगल ठेके पर दिये जाय। वे लोग प्राइवेट ठेकेदारों से मिले हुए होते हैं। वे एक तरफ तो इन को-ओपरेटिव सोसाइटियों को फिक्टीशियस बताते हैं और कहते हैं कि ये जिनाइन नहीं हैं और दूसरी तरफ ठेकेदारों से मिले हुए रहते हैं। जो फिक्टिशस हैं या जिनाइन नहीं हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन जो जिनाइन हैं और उन आदिवासियों की है जिनका जंगल से गहरा संपर्क है उनको जरूर प्रोत्साहित किया जाय। मैं मानता हूं कि इसके लिये मैनेजिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है, अर्थ की जरूरत पड़ती है; फिर भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि आपको उनमें विश्वास नहीं है कि वे ठीक तरह से काम नहीं कर सकेंगे तो जैसा कि नियम है, आप अपने डिपार्टमेन्ट के तौर पर चला सकते हैं। लेकिन ठेकेदारों के हाथ से गरीब आदिवासियों को तकलीफ नहीं पहुंचाइये या उन पर उन्हें आश्रित मत करिये। जंगल जितना १० पर्सेन्ट या २० पर्सेंट खराब

(श्री सोहनलाल भटनागर)

होता है वह सब ठेकेदारों के हाथ से होता है। जितने कूप इन ठेकेदारों को दिये हैं वे उससे १० या २० पर्सेन्ट अधिक काटते रहते है। उनकी कई बार शिकायतें की गई, दरख्वास्तें उनके खिलाफ दी गई लेकिन उसके बारे में कौन परवाह करता है। मुश्किल से सौ में से एक आध पकडा जाता है। वे रकबा बढ़ाते जाते हैं। यदि जंगल की समस्या को ठीक तरह से हल करना है और यदि जंगल में रहने वाले आदिवासियों में यह भावना भरनी है कि उनको जंगल की रक्षा हर सूरत में करनी है तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। ठेकेदार दूर के रहने वाले होते हैं, उनको उस जंगल की इतनी परवाह नहीं होती जिस जंगल का वे ठेका लेते हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से यदि आदिवासियों को प्रोत्साहित करना है तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने दीजिये। खाली एक स्ट्रोक ऑफ पेन से उनको खत्म करने से किसी तरह से काम नहीं चलेगा।

जंगलात के बारे में दूसरी बातें जो भूतपूर्व वन मंत्रीजी ने कही हैं उन्होंने आदिवासियों को काफी राहत दी है और हम उनके शुक्रगुजार हैं........

श्री उपाध्यक्ष : You mean Mr. Brijsunder or Mr. Yadav.

श्री सोहनलाल भटनागर : श्री ब्रजसुन्दर।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : He is never thankful to Mr. Yadav.

श्री उपाध्यक्ष : But you will not miss a chance.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) (श्री भैरोंसिंह से) : What is your aspersion ?

श्री भैरोंसिंह : No aspersion.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री सोहनलाल भटनागर : लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक भावना इस विभाग में इस तरह से भरी जा रही है और इस तरह से घड़ी जा रही है कि जो कंसेशन्स आदिवासियों आदि को दिये गये हैं उनकी वजह से जंगल समाप्त हो रहे हैं। कोटा और दूसरी जगहों के लिये जो विज्ञप्ति गजट में शाया हुई थी उसको डी. एफ. ओ. और कंजर्वेटर समाप्त कर देते हैं। फिर कई शिकायतें होती है, कई तार दिये जाते हैं और कार्यकर्ताओं में बल होता है तो कंसेशन्स वापिस मिलते हैं और उनमें बल नहीं होता है तो कंसेशन्स वापिस नहीं मिलते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सब पर पूरी तरह से विचार करना चाहिये। वह चीज दूसरी है कि औजार आ जाय, सुधरे हुए औजार ले लें; यह दूसरी बात है लेकिन वर्तमान में कृषि का जो ढंग है उसमें आदिवासियों का जंगल से संपर्क है और लकड़ी उनके लिये बहुत ही आवश्यक चीज है। सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकार उनको दिये हुए हैं उन्हें समाप्त नहीं किया जाय। फोरेस्ट कमेटी के नाम से एक कमेटी बनी थी और उसके

(श्री सोहनलाल भटनागर)

अनुसार ग्रेजिंग के जो अधिकार काश्तकारों के थे वे सारे राजस्थान की बेसिस पर समाप्त किये जा रहे हैं, चराई टैक्स लिया जा रहा है। मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा किया तो लाखों आदिवासी उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और न हम उसको बर्दाश्त करेंगे कि काश्तकारों को जो अधिकार दिये गये हैं उनको समाप्त किया जाय। जो लोग वन पर आश्रित हैं उनको जो अधिकार या कंसेशन दिये गये हैं वे किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किये जाय। यही कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर–पूर्व) I don'd want to move it.

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल कौरल।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राज्य सरकार यह कहती है कि जंगलों की रक्षा करने के लिये पाबन्दी लगाई जाय और नये नये पौधे उगाकर उनको सरसब्ज किया जाय, लेकिन पहले के पुराने पेड़ जो सरसब्ज हैं वे खत्म हो रहे हैं, उनमें राज्य सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिला–ऊंगा कि जो पुराने पेड़ हैं उनकी तरफ ध्यान न रखने के कारण जयपुर जिले के जंगल बर्बाद हो रहे हैं। इस जयपुर जिले के लिए मैं निवेदन करूं कि लालसोट रेन्ज या जमुवारामगढ़ रेन्ज में जंगलों की बड़ी भारी क्षति हो रही है। लालसोट मेरा क्षेत्र है। वहां के जंगल मैंने देखे हैं। आज से १०-१२ साल पहले जो उनकी हालत थी उससे आज वे खोखले हो गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है ? या तो फोरेस्ट गार्ड्स की वजह से या फोरेस्टर या रेन्जर्स की वजह से इस रेन्ज का जंगल खोखला किया जा रहा है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि फोरेस्ट गार्ड्स, फोरेस्टर या रेन्जर्स की तनख्वाह कमती है इसकी वजह से वे नाजायज फायदा उठा कर इस तरह से जंगलों को खत्म कराना चाहते है या अपना पेट पालने के लिये खोखला करते हैं और इसलिये उनका जंगल की रक्षा करने की तरफ ध्यान नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी तनख्वाह में क्यों नहीं वृद्धि करते ?

उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट के जंगलों में है चराई की जाती है उसकी वजह से भी जंगल खराब होते हैं। चराने वाले लोग हैं वे ऊपर से काट कर चराते है और बाद में उनका भार उतर जाता है तब महकमे द्वारा उनको नीलाम वगैरह करके खत्म किया जाता है। आज के जंगलों की हालत को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जब जयपुर गवर्नमेन्ट थी तब जंगलों की हालत अच्छी थी। अब काफी बरबाद किये जा रहे हैं। उस टाइम जंगलों की इतनी सुरक्षा होती थी कि कभी भूल कर भी लोग पेड़ नहीं काट सकते थे और जो कर्मचारी थे,

Page No.87

(श्री नाथूलाल करोल)

जयपुर गवर्नमेन्ट के टाइम में, वे कहते थे कि जंगल पर कुल्हाड़ा चलाने से वही हालत होती है जो अपनी उंगली पर कुल्हाडा चलाने से होती है । लेकिन आज उनकी मनोवृत्ति में काफी परिवर्तन हो गया है इसलिये जंगलों की बर्बादी हो रही है ।

दूसरी बात मैं चराई के बारे में कहना चाहता हूं । जैसा कि कोटा, उदयपुर में आदिवासियों से चराई के बदले में कुछ नहीं लिया जाता है लेकिन यहां के आदिवासियों से पैसा वसूल होता है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के आदिवासी भाग्यशाली हैं और यहां के आदिवासी बदनसीब हैं जिनसे चराई की फीस वसूल की जाती हैं । मैं निवेदन करूंगा कि यहां के आदिवासियों से भी चराई की फीस वसूल नहीं की जाय ।

दूसरी ओर मैं जयपुर रेंज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । यहां नारी का नाका है । मैं जयपुर खास की बात कह रहा हूं, नारी के नाके का जो जंगल है वह पहले काफी घना और अच्छा बसा हुआ था । लेकिन आज खोखला है । इसके साथ ही नाहर गढ़ किले के पास जंगल है, वह भी पहले काफी अच्छा था । लेकिन अब इन जंगलों को देखने से साफ मालूम होता है, और कोई भी इसका निरीक्षण करके देख सकता है कि आज क्या हालत है ? आज नारी का नाका का जंगल और नाहर गढ़ की पहाड़ी के जंगलों की हालत अच्छी नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों होता है ? यह समझ में नहीं आता कि जंगलों की रक्षा क्यों नहीं की जाती ? इन जंगलों में पेड़ों के पत्ते गिरते हैं । उनके लिए पुराने समय में ऐसा था कि वे चराई वालों को दिये जाते थे और उनसे कुछ पैसा लिया जाता था । अब वह बन्द कर दिया गया है और जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इनसे जमीन फर्टिलाइज़ होती है । यह सही है, लेकिन आज उनसे जमीन को फर्टिलाइज नहीं होने देते, और न आमदनी । बल्कि उन पत्तों को नाजायज रूप से पब्लिक वालों को दे दिया जाता है । राज्य सरकार को जो पैसा मिलता था वह भी खत्म हो गया । गवर्नमेंट को जो इन्कम होती थी वह खत्म हो गई, लेकिन पत्ते रुके नहीं । वे नाजायज रूप से लोग ले जाते हैं ! मैंने जो कट मोशन रखा है, इसके द्वारा मैं राज्य सरकार से निवेदन कर दूं कि इन जंगलों की रक्षा की तरफ ध्यान दिया जाय और जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उनको चराई वालों को देना बन्द न करके उनको दिया जाय, इससे इन्कम ही होगी और वे नाजायज़ तौर पर ले जाकर बाजार में जो बेचते है या चराई के काम में लेते हैं, यह भी रुकेगा । मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार प्लान्टेशन की तरफ ध्यान दे और जो पुराने पेड़ खड़े हैं उनकी तरफ भी अच्छी तरह से ध्यान दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनरूपराम ।

(विराम)

श्री सम्पतराज जैन ।

श्री सम्पतराज जैन (श्री मनरूपराम) : वे बोल रहे हैं ।

श्री मनरूपराम परिहार (खारची सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक कट मोशन है, प्रस्तुत मांग संख्या ४ मुख्य शीर्षक १०–वन में एक रुपये की कटौती की जाय, दूसरी रेंज में जलाने की लकड़ी की असुविधा पर बहस करने के लिए।....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आरम्भ किया है।

श्री चन्दनमल वैद : (सरदार शहर) : धीरे धीरे आयेंगे जोर पर।

श्री मनरूपराम परिहार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगल की डिमान्ड के ऊपर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये हैं अपने अपने प्रस्तावों के जरिये। मेरा भी प्रस्ताव अपनी डिस्टक्ट देसूरी, जहां से मैं चुन कर आया हूँ, के सम्बन्ध में है विशेष कर अरावली पहाडी की तराइयां में वह एरिया आया है देसूरी तहसील में सादड़ी सादोल, सुमेर, कोट, भेड़ जोजावर इन चौकियों के एरिया के अन्दर जो जो गांव आये हैं विशेष कर फॉर्मर स्टेट के मर्ज होने के बाद, राजस्थान में डेवलपमेंट की दृष्टि से जो जो डिमार्केशन हुए हैं, वे रेवेन्यू चौकी और फॉरेस्ट की बाउन्ड्री के बाद डिमार्केशन हुए हैं, वे डिमार्केशन पहले फॉर्मर स्टेट के टाइम में काफी गांवों से दूर थे। फिर बाद में जो डिमार्केशन फॉरेस्ट का हुआ, वह रेवेन्यू से अलग हुआ तथा विशेष कर दो–दो, तीन-तीन मील पहाड़ी जंगलात, मैदान के आस-पास, गांव के बीच में होकर, किसी किसी गांव को बीच में ले लिया गया, किसी के आस-पास से ले लिया गया। इस तरह का डिमार्केशन किया गया और आज कम से कम दस–बारह साल हो गये हैं, उस एरिया के अन्दर जो जो लोग किसान वगैरह आये हैं, उनको यहां तक मुसीबत हो गई है, विशेष करके उस एरिया के लोगों जो कि जंगलात के अन्दर रहते है कि उनको जलाने तक की लकड़ियां लाने के लिए भी ऐसे प्रतिबन्ध हो गये हैं कि कोई भी जंगल में सूखी लकड़ी पड़ी हो, सड़ी हुई हो, गिरी हुई लकड़ी हो, उसको उठा कर जलाने के लिए यदि लावे तो उनके ऊपर जुर्माना करने के और कई प्रकार की हैरेसमेंट करने के सिवाय और कोई काम नहीं रहा जंगलात ऑफिसर्स के पास। इस प्रकार लोग काफी तंग हो गये हैं और इन लोगों ने काफी बार गवर्नमेंट के पास अप्रोच किया, शिकायत भी की– कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पहले स्टेट के टाइम में हमारा हक इस तरह का था, हमारे जंगलों के अन्दर अरावली के आस पास वाले आबू एरिया, सुमेरपुर, सादडी, बर, बिराटिया और ब्यावर, ये अरावली के एरिया में आये हुए हैं, जहां भैड़े, भील, गिरासिया, बावरी, थोरी, बाम्बी पहाड के अन्दर, जंगल के अन्दर मील मील पहाडियों के अन्दर रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन के अन्दर, उन लोगों को ऐसी मुश्किल हो गई है जंगलात प्रतिबन्ध के कारण लकडी काटने और जलाने के लिए रोक लगा रखी है जिससे जंगल से लकड़ी काट कर घर में जलाने के लिए मुश्किल हो गई है। वे पहाड़ के अन्दर रह सकते हैं लेकिन जंगल से घर में जलाने के लिये लकड़ी नहीं ला सकते हैं। वहां रहने वाले लोगों को घर में जलाने के लिए लकड़ी काट कर न लाने देना मैं

(श्री मनरूपराम परिहार)

समझता हूँ, आज के युग में इस तरह की बात करते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। उस एरिया में रहने वाले लोग, पहाड़ी और जंगल में रहने वाले लोगों को कहते हैं कि लकड़ी नहीं ला सकते हैं, इससे उनको बड़ी मुश्किल हो गई है। जब हम जाते हैं तो कहते हैं, हम किस राज्य में आ गये, हम क्या करें, जंगल में रहने वाले पहाड़ों और जंगल में रहने वाले हैं हमको कहते हैं कि लकड़ी नहीं ला सकते, मुश्किल हो गई, क्या करें। हम कहते है भाई आप लोगों के लिए टीक होगा, यह जंगल विभाग वाले करते हैं, आपके आस–पास जंगलात ऑफिसर रहते हैं, उनसे आप मिलो और बात करो। हमारे पास कोई मौका आता है तो हम भी सरकार से बात करते हैं कि यह तकलीफ उनकी दूर होनी चाहिए। यह विकास का युग है, इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कुछ न किया जाय तो उनको उन जंगलात को छोड़ कर दूसरी जगह कहीं बसाया जाय। जो मैड़े, भील, गिरासिया, बावरी, थोरी, बाम्बी ये छोटी छोटी बेकवर्ड क्लास हैं, वे क्या करते हैं, परम्परा से जंगल में रहते हैं और लकड़ियां काट कर घर में जलाने के लिए लाते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी लकड़ी काट कर नहीं लाते हैं, पडी हुई, सड़ी हुई और गिरी हुई लकड़ी को सिर पर उठा कर लाते हैं और नीचे मैदान में जाकर बेचते हैं, उनको चार आने, आठ आने मिल जाया करते हैं। वे पैसा ले जाकर घर में बच्चों का पालन–पोषण करते हैं। वे सुबह के गये हुए शाम को घर लौट कर आते हैं। दूसरा उनका कमाई का कोई सोर्स नहीं है, वे परम्परा से यही धन्धा कर रहे हैं। बाद में जाकर गवर्नमेंट ने यह पेशा करने से बन्द कर दिया, अगर घर में जलाने के लिए लकड़ी उनको चाहिए तो वे लकड़ी नहीं ला सकते। उसका कारण यह है कि जंगलात डिपार्टमेंट ने ऐसे ऐसे कानून बना दिये हैं, इसके कारण उन लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ती है। विशेष कर यह परम्परा का पेशा है, जंगल में पड़ी हुई लकड़ी को ले जाकर मैदान में बेचना और उसका पैसा लाकर काम चलाना। उनके पास इसके सिवाय और कोई न खेती वगैरह के लिए जमीन है, और न साधन, न वहां पर कोई फैक्टरी खोल रखी है और न कोई दूसरा धन्धा करते हैं। लकड़ी बेच कर पेट भरते हैं। फॉर्म स्टेट के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से यह हुकम था कि जंगल में अगर आग लग जाय या और कुछ हो जाय तो उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो फोरेस्ट बाउन्डरी पर बसे हुए लोग थे वे हो हल्ला करें और पहाड़ी पर जाकर जो आग लग गई है, उसको बुझाने में गवर्नमेंट की मदद करें। तुमको पेड़ फ्री मिलेंगे, तुम जंगल से लकड़ी काट कर ला सकते हो, इस प्रकार का शर्तनामा था। बाद में फॉर्मर स्टेट मर्ज होने के बाद जब राजस्थान स्टेट बना तो जो रियायत पहले की थी वह रद्द हो गई और वे मुसीबत में आ गये। यहां तक कि घर में जलाने के लिए लकड़ी जो पड़ी हुई है, सड़ गई है, गिरी हुई है, उसको भी नहीं ला सकते....

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आबू से लेकर उस एरिया में जंगलात के बड़े अफसर चीफ कन्ज़र्वेटर, जिनका हैड क्वार्टर उदयपुर में है उन्होंने वहां आकर जांच की, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जो लकड़ी की

(श्री मनरूपराम परिहार)

मुसीबत है उसके सम्बन्ध में उन्होंने बातचीत की, उन्होंने मौका देखा और रियलाइज़ किया कि वास्तव में लोगों को डिफिकल्टी है, इसको दूर करना चाहिये। पर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं, लिखा–पढ़ी चलती है, बड़ा लम्बा प्रोसेस है, कोई बात–चीत होती नहीं। अर्सा निकलता जाता है और उनकी मुसीबत दूर नहीं होती। देसूरी रेंज के अन्दर, विशेष करके मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं वहां जाता हूँ, घूमता हूँ, फोरेस्ट बाउन्डरी में पहाड़ों के अन्दर लोग बसे हुए हैं, उनकी अवस्था देखें तो बड़ी खराब है, वे लोग कहते हैं कि उनके सामने यह समस्या है कि जंगल में सूखी हुई लकड़ी पड़ी है, तो वह उस सूखी लकड़ी को नहीं ला सकते। वे लोग कहते हैं कि जंगलात के महत्व को हम लोग समझते हैं, जंगलों की रक्षा और विकास करना चाहिये, यह हम जानते हैं। पर सूखी हुई लकड़ी भी हम नहीं ले जा सकते। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूं और इस प्रस्ताव के जरिये उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि इन क्लासेज़ के गरीब लोग हैं ये इन बातों से तंग आ रहे हैं, उनकी इकोनोमिकल कन्डीशन्स को ठीक करना दूर रहा, उनको दूसरी सहूलियतें दी जाना दूर रहा, कम से कम इनकी जो ये होम डिफिकल्टीज़ हैं, उनको तो दूर कीजिये, जलाने की लकड़ी की जो इनको दिक्कत है उसको तो कम से कम दूर किया जाना चाहिये। इस युग में जब हमारा देश आजाद है, लोगों को हर बात का हक है और इनको जलाने की लकड़ी तक लाने का हक नहीं है तो और दूसरी सहूलियतों की तो आपसे वे क्या आशा क्या कर सकते हैं? फिर ऊपर से आप कहते हैं कि करोड़ों रुपयों की योजनाएं उनके लिये बना रहे हैं, यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं, यह इतनी सी उनकी वाजिब मांग है, वह आप पूरी नहीं करते तो और तो वे क्या आशा करें आपसे?

काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि चराने के लिये जमीन नहीं है मैं तो यह मानता हूँ कि इसमें दो राय नहीं, जब से फोरेस्ट एरिया में डिमार्केशन हुआ है तब से पशुओं को चराने के मामले में और जमीन के मामले में बड़ी गड़बड़ रही है, पशुओं को फाटक में डाल देते हैं और उनसे पैसा वसूल किया जाता है, ये इस प्रकार की डिफिकल्टीज़ पैदा हो गई हैं कि इनके कारण उन लोगों को अपने पशुओं को दूसरे गांवों में भेजना पड़ा है और जंगलात में उनको पहले कई प्रकार की फेसिलिटीज़ थीं, फ्री ऑफ चार्ज लकड़ी लाने की, फ्री ऑफ चार्ज अपने पशुओं को चराने की, वे सब प्रकार की फेसिलिटीज़ उनसे छीन ली गई हैं और यहां तक मुसीबत हो गई है कि अगर वे पड़ी हुई सूखी लकड़ी भी जंगल से जलाने के लिये ले आवें तो उन पर जुर्माना हो जाता है और उनको तंग किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और आज के युग में आप विकास की बातें करते हैं और लोगों को तरह तरह की सहूलियतें देने की बातें करते हैं तो इन लोगों को भी कम से कम ये सहूलियतें तो देनी चाहिये, जलाने की लकड़ी लाने की और पशुओं को चराने की जो सहूलियतें उन लोगों को पहले प्राप्त थीं वे तो कम से कम देनी चाहिये।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष, यह भी है कि जिनका पेशा परम्परा से लकड़ी काटकर

(श्री मनरूपराम परिहार)

आसपास के गांवों में सर पर उठा कर ले जाकर बेचने का था, उनको यह छूट देनी चाहिये कि अगर यह तुम्हारा पेशा है और तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो तुमको यह छूट दी जाती है कि पड़ी हुई लकड़ी जलाने के लिये ला सकते हो और आसपास के गांवों में बेच सकते हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

ये मेरे सुझाव हैं, मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्यों ने इस पर अपने अपने मत दिये हैं, वे इससे सहमत होंगे कि गवर्नमेंट इस प्रकार का कदम शीघ्र ही उठावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। मैं सर्व प्रथम अपना ४२ नं० का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और वन का चोली दामन का सम्बन्ध है। अगर वन से कृषि के काम में आने वाला साजो सामान, हल—कील की लकड़ी, बाड़ लगाने के लिये कांटे, जलाने के लिये लकड़ी, मकान बनाने के किये कबाड़ा, ये नहीं मिलें तो किसान खेती नहीं कर सकता। किसानों को खेती के लिये इन चीजों की आवश्यकता होती है और कोई भी राज्य जो अपने किसानों से अधिक उत्पादन की आशा करता है उसे किसानों के लिये इन चीजों की उपलब्धि आसानी से हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह वन कृषि के पोषक हैं। इसलिये हम किसी भी हालत में वनों के सम्बन्ध में एक ही नीति को नहीं अपना सकते कि किसी भी तरह से हो वनों से हमें अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक आय मिले।

वनों से किसानों को जो सहूलियतें मिलती रही हैं उनको हम किसानों से नहीं छीन सकते। यदि हम किसानों की इन सहूलियतों में कमी करते हैं तो हम निश्चित रूप से किसानों के उत्पादन में कमी करने के लिये जिम्मेदार हैं और इस तरह उत्पादन को बढ़ाने के बजाय घटाने के लिये जिम्मेदार बन रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, जिस समय रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ था, रियासतों के तत्कालीन अफसरों ने किसानों की जरूरतों को समझा था और किसानों को वन सम्बन्धी अधिकाधिक सहूलियतें दी थीं, बजाय वनों से आय करने के।

मैं कोटा का ही उदाहरण सदन के समक्ष रखूं कि आज वन सम्बन्धी सहूलियतें किसानों से छीनी जाती हैं। वे पहले रियासतों के समय में नहीं छीनी जाती थीं। किसानों को अपनी जरूरत का सामान मिल सके, कृषि के लिये आवश्यक औजारों के लिये लकड़ी मिल सके, इमारती लकड़ी मिल सके, जलाने के लिये लकड़ी मिल सके, और हल कील को लकड़ी मिल सके, इसका प्रबन्ध था, न किसानों को नाकेदार के पास जाना पड़ता था और न किसी रेंजर के पास इस लकड़ी के लिये जाना पड़ता था। न उन्हें अपनी जरूरत की लकड़ी के लिये परमिट कटाना पड़ता था और न किसी प्रकार की चिट्ठी कटानी पड़ती थी। स्टेटों ने इस प्रकार का प्रबन्ध कर रखा था कि वे वनों से अपने लिये आवश्यक लकड़ी ला सकते थे, क्योंकि वहां ६० परसेंट किसान हैं, वे ही जनता के लिये अनाज

(श्री सम्पतराज जैन)

उपजाते थे, वे ही जनता को अधिकाधिक कृषि कर के अनाज सप्लाई करने वाले थे, जो आज भी हैं । पुरानी रियासतों के समय में प्रति बीघा दो पैसे बीघोड़ी के नाम से कर लिया जाता था, उसके बाद किसान को छूट थी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह वनों से लकड़ी लाये । जलाने की लकड़ी, बाड़ के कांटे, झोंपड़े की लकड़ी, खेती के काम में आने वाली लकड़ी, हल कील की लकड़ी वे आसानी से ला सकते थे, पर जब स्टेटें मर्ज होने लगीं तो बाहर से अफसर ट्रेन्ड होकर आये, उन्होंने वनों को राज्य की आमदनी का जरिया बनाना शुरू किया और बीघोडी को खत्म करके यह परमिट की व्यवस्था लागू की, फोरमर राजस्थान में यह हुआ । महान् राजस्थान में परमिट महसूल वगैरह बदस्तूर जारी रखे । पर फोर्मर राजस्थान के माफिक किसानों को सहूलियतें मिलती रहीं, यह जरूर है कि परमिट मिलने में किसानों को दिक्कतें हुई, नाकेदारों ने उनसे पैसे लिये, उनको तंग किया, पर सहूलियतें वे ही रहीं । पर साल डेढ़ साल से वन विभाग ने अपनी नीति में बिलकुल परिवर्तन कर दिया । अब वन विभाग का लक्ष्य वनों से अधिकाधिक आय करने का रहा और यहां तक किया कि वन विभाग आज किसानों के गले में फांसी खींचने को तैयार है, और वह फांसी खींच ली है । बात बात के लिये आज किसान परेशान है और आज किसान कहते हैं कि हम लोग खेती के कामों में अपना समय लगायें या फोरेस्टर, रेंजर, के पास परमिट लेने के लिये दर दर फिरते रहें । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि यदि वे किसान होते और खुद खेती करते होते तो किसानों को रोजमर्रा तकलीफें होती हैं, वे उनको मालूम होतीं पर "जाकी न फटी बिवाई, वे क्या जानें पीर पराई ।" मन्त्री महोदय किसानों की इन तकलीफों को महसूस नहीं करें । पर हम लोगों के यहां खेती होती है, किसानों से रोजाना हमारा सम्पर्क रहता है । साथ रहते हैं । इसलिये उनकी तकलीफों को हम जानते हैं । आज कार्यकर्त्ताओं का जीना मुश्किल हो गया है, हमें किसानों को जबाब देना मुश्किल हो गया है । यहां आकर उनकी तकलीफों को रखते हैं, फोरेस्ट डिपार्टमेंट और मन्त्री महोदय के पास उनकी शिकायतों को, दिक्कतों को रखते हैं पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट और मन्त्री महोदय के कान पर जूं तक नहीं रेंगती । कितनी ही प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की मीटिंगें करें और इन चीजों को रखें पर मन्त्री महोदय नहीं सुनते । कोटा में पी. सी. सी. की मीटिंग हुई, इस सम्बन्ध में सभी कार्यकर्त्ताओं ने मन्त्री महोदय से कहा कि हमारे साथ में गुप्त रूप से चलिये, हम आपको दिखायेंगे कि इन वनों से जो आय राज्य को होने वाली है वह किस प्रकार रेंजरों और वन विभाग के अधिकारियों की जेबों में जा रही है, पर मन्त्री महोदय साथ में नहीं गये । आप किसानों को उनकी जरूरत की थोड़ी सी लकड़ी का परमिट नहीं दे रहे हैं पर आपके कानून का उल्लंघन कर के,लकड़ी की गाड़ियों की गाड़ियां आ रही हैं, महसूल की चोरी कर के आ रही हैं, चोरी की लकड़ियों से भर भर कर आ रही हैं । मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारे माननीय मंत्री को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये । मैं यह कहूंगा कि वे लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करेंगे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी । काश्तकार

(श्री सम्पतराज जैन)

करेंगे अगर कानूनी तरीके से नहीं तो गैर कानूनी तरीके से करेंगे किसी न किसी तरह से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और कोई भी पुलिस या फौजी विभाग उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से नहीं रोक सकता। फिर माननीय मंत्री ऐसा क्यों नहीं करते कि आज जो आय राज्य सरकार में नहीं जाती और क्लर्कों और रेन्जरों आदि की जेब में जाती है उसको राज्य में ले लें। जो पैसा अफसरों और कर्मचारियों की जेब में गैर कानूनी तौर से जाता है उसको राज्य की आमदनी का साधन क्यों न बनाया जावे और उनको खुशी से परमिट क्यों न दें। लोगों को लकड़ी की तो आवश्यकता रहेगी ही। उनके नुकते होंगे, उनके व्याह–शादी भी होंगे और उनको खाना बनाने के लिये भी कलड़ी चाहिये और कोई यदि मर जाय तो उसको जलाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता रहेगी। हिन्दू रिवाज के माफिक उसको जलाना भी पड़ता है, उसको दफनाया तो नहीं जा सकता। जलाना ही होगा। आप कहेंगे कि गाड़ी से लकड़ी लाने का तरीका न्याय संगत नहीं है, सिर–बोझ से लकड़ी ले जा सकते हैं। जब सिर बोझ से लकड़ी ले जाई जा सकती है तो फिर गाड़ी से क्यों नहीं ले जा सकते? फर्ज करें कि एक काश्तकार वहां से २० मील दूर रहता है। हमारे यहां २० मील दूर जंगल हैं। वहां से एक भारी लकड़ी लेकर आवे। उसको वहां पर दो दिन एक भारी अपने परिवार का खाना बनाने में चलती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन तो जंगल में लकड़ी लेने के लिये जावे और दो दिन लकड़ी जलावे क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर पर लकड़ी लाता है तो वह २० या २५ सेर से ज्यादा नहीं ला सकता है। यदि एक आदमी के यहां पांच आदमियों का परिवार है तो एक आदमी तो हमेशा लकड़ी लाने में ही रहेगा। तो मैं समझता हूं कि खेती कौन करेगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि यह बात बर्दाश्त नहीं की जावेगी। आप बुरा मानें या भला मानें। हमारे यहां की पब्लिक इसके लिये सत्याग्रह करने के लिये तैयार बैठी है। हमारे यहां कार्यकर्त्ताओं ने बैठक करके यह फैसला लिया है कि सत्याग्रह के लिये भी अगर जरूरत हो तो तैयार रहना है। अगर ३० तारीख तक इस समस्या का हल नहीं किया तो कलेक्टरेट के सामने सत्याग्रह किया जाएगा। इसके लिये नोटिस भी छप चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय ने उन नोटिसों को देखा ही होगा। मेरे पास भी है, अगर देखना चाहें तो....

श्री उपाध्यक्ष : आप नोटिस को अपने पास ही रखिये। बाहर की बातों का यहां से सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): अगर सत्याग्रह हुआ तो आप भी उसमें शामिल होगें या नहीं?

श्री सम्पतराज जैन : उसका तो पता लगेगा।

तो मैं यह निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि आज पांच वर्ष हो गये हैं बार बार निवेदन करते हुए मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समय निकलता जा रहा है और पब्लिक परेशान हो गई है। पब्लिक अपने हकूकों और

(श्री सम्पतराज जैन)

अधिकारों को अब लेकर रहेगी। आप उसको किसी तरह से अब नहीं रोक सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका एक और कट मोशन है।

श्री सम्पतराज जैन : मुझे ५ मिनट दे दिये जावें। पीछे दो बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पीछे कोई नहीं हैं। माननीय सदस्य रहे हैं।

श्री सम्पतराज जैन : आप उनको गाड़ियों से लकड़ी ले जाने की आज्ञा नहीं देते।

आज जंगलों में क्या होता है। मैं निवेदन करूंगा। आज जिस समय काश्तकारों को गाड़ी से लकड़ी ले जाने की बात होती हैं तो आप यह कह देते हैं अगर काश्तकारों को गाड़ी का परमिट दे देंगे तो जंगल बरबाद हो जावेगा, काश्तकार गीली लकड़ी काट लेंगे। आप देखेंगे कि आपके यहां कानून में लिखा है कि अगर कोई गीली लकड़ी लावे तो उससे गीली लकड़ी का महसूल ले लें। आपकी ठेके से जो आय होती है यह क्या होती है ? मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में आपने ४० या ४२ एकड़ का ठेका ७००) या ७५०) रू० में दिया। उसमें १५ हजार मन लकड़ी होगी एक ट्रक में अगर १५० मन लकड़ी आती है तो १०० ट्रक हुए। उस हिसाब से १५ हजार मन लकड़ी हुई। वे १०० ट्रक लकड़ी के झालावाड से बाहर गये। आप देखेंगे कि १५ हजार मन लकड़ी वहां से बाहर गई और ठेके से आमदनी आपको हुई वह ७५०) रु० की हुई। इसका हिसाब लगावें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर ५ नया पैसा प्रति मन की आय उससे गवर्नमेंट को हुई। अगर आप गाड़ी पर लें तो आपको ८ आना या १२ आना प्रति गाड़ी का मिल सकता है। एक गाड़ी में ज़्यादा से ज्यादा १० या १५ मन लकड़ी आ सकती है। तो ८ आना या १२ आना का महसूल आपको मिल सकता है वह १० मन या १५ मन पर हुआ। जिस आदमी को पंचायत समिति ने ठेका दिया था उस आदमी ने उस लकड़ी को झालावाड़ में नही बेच कर दूसरी जगह बेचा और अपना खर्चा निकाल कर १५ हजार का फायदा उठाया। अगर यह ठेका किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता तो यह फायदा हमारे किसानों को होता और आय सरकार को होती उसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं होता। यह एक छोटी सी नजीर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां काश्तकारों को किस तरह तकलीफ उठानी पड़ती है। माननीय मन्त्री महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक चर्मकार के यहां जो पंचायत समिति के अन्तर्गत रहने वाला था, उसके लडके की शादी थी। उसके लिये वह जंगल से सूखी लकड़ियें बटोर कर लाया। रास्ते में नाकेदार उसको मिला। उसने दरख्वास्त दी। मगर उसको कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी दरख्वास्त मौजूद है। मगर नाकेदार ने कहा कि बिना पैसा दिये लकड़ी कैसे ले जाओगे। उसने कहा कि पैसा मैं देना चाहता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, इसको आप यहां न लावें। यह

श्री उपाध्यक्ष)

दर्ख्वास्त ऐसी मालूम होती है कि कोई व्यक्तिगत प्रश्न है ।

श्री सम्पतराज जैन : यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ।

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह सूखी लकड़ी बटोर कर गाड़ी से ला रहा था तो उसको पकड़ लिया गया और उससे ७५) रिश्वत के मांगे । जब वह ७५) रिश्वत के नहीं दे सका तो उसका चालान कर दिया गया और उस पर १००) जुर्माना किया गया । आप सोचें की एक गाड़ी का महसूल तीन या चार आना लिया जाता है, मगर उससे १००) जुर्माना लिया गया और वह इसलिये कि वह ७५) रिश्वत के लोगों को नहीं दे सका और उसका नतीजा यह हुआ कि एक भाई की लड़की शादी से महरूम रह गई । इसी तरह की कई बातें होती हैं । अगर चोरी से ले जाते हुए पाई गई तो भी आप उससे चार गुना महसूल ले सकते हैं । मगर आज हम देखते हैं कि उनकी बहुत बुरी दशा है । इसके अलावा रिश्वत के मामलों में मैं यह कहूँगा कि लोग मुआवजा के मामलों में काफी गड़बड़ी करते हैं । ऐसी रसीदें और उनके नम्बर मौजूद हैं । अगर माननीय मन्त्री महोदय देखना चाहें तो मैं बताने को तैयार हूँ कि गलत मुआवजे की दरें लिख ली जाती हैं और गलत रसीदें दे दी जाती हैं । अगर वे रिश्वत दे देते हैं तो ठीक, अन्यथा उनके साथ जुल्म होता है । इस प्रकार हजारों रुपये कर्मचारियों की पॉकेट में आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : It is a repetition now. You are dwelliing on the same point.

श्री सम्पतराज जैन : इसलिये मैं इस कटौती प्रस्ताव से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सहूलियतें पहले से दी जाती रही हैं वे प्रदान करें और जो लकड़ी उन काश्तकारों के जलाने और दूसरे काम में आनेवाली है उसको पहले की तरह से देते रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : It must be finished now within two minutes.

श्री सम्पतराज जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वनों के नष्ट करने पर बहस करने के लिये है । इस पर मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि इस पर कई माननीय सदस्य निवेदन कर चुके हैं । मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान के आस-पास से काफी तादाद में लकड़ी कट कर बाहर जाती है । और उसका पूरा पैसा सरकार को नहीं मिलता है और उसकी आमदनी रेन्जर, फोरेस्टर आदि के पास जाती है । यह हम अपनी आंखों से देखते हैं । तमाम इमारती लकड़ी है वह जंगलों से काट कर चोरी छुपे जिसका पैसा महसूल के रूप में सरकार को नहीं मिलता है, ले जाई जाती है । इसी तरह से सैकड़ों मन कोटा से और झालावाड़ के जंगलों से लकड़ी बाहर जाती है ! इसको रोका जावे । बस यही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

Page No.96

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सूबेदारसिंह ।

श्री सूबेदारसिंह (वाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव लकड़ी नहीं मिलने के सम्बन्ध का प्रस्तुत है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनेक मान्यवर नेताओं ने लकड़ी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में एक ही नेता है।

श्री सूबेदारसिंह : जिले २ से आये हैं, सब ही नेता हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, लकड़ी मिलनी नहीं चाहिये, सरकार के इस रुख से क्रान्ति पैदा हो जावेगी। लकड़ियां लेकर लड़ाई लड़ी जावेंगी।

श्री सूबेदारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लकड़ी की आवश्यकता कई प्रकार से महसूस होती है। जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता है। इसकी देहात, शहर और प्रत्येक घर में जरूरत पड़ती है, झोंपड़ी २ में इसकी आवश्यकता होती है। जलाऊ लकड़ी और कृषि सम्बन्धी लकड़ी को लेकर सदन में एक वातावरण बना है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि फ्युअल के लिए उतनी ही लकड़ी की प्रत्येक को आवश्यकता है, जिस प्रकार से भूखे पेट को भूख बुझाने के लिए अन्न देने की, भोजन देने की आवश्यकता है। पिछले दो–चार साल से लकड़ी की मंहगाई बढ़ गयी है, परेशानियां लोगों को हो गयी हैं लकड़ी न मिलने से और मैं यह समझता हूँ कि यह सरकार को अच्छी तरह से मालूम है। बगैर लकड़ी के कोई भी चूल्हा जलाया नहीं जा सकता राजस्थान में, प्रत्येक घर को इसकी आवश्यकता होती है। राजस्थान में कोई घर बाकी नहीं रहता कि जिसमें जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता न हो। चूल्हा जलाने के लिए सब जगह लकड़ी जलाई जाती है। सरकार को यह देखना चाहिये कि लकड़ी के बारे में हर जिले से इस प्रकार की दिक्कतों की शिकायतें आती हैं तो आखिर लकड़ी आती कहां से है? जब किसान को जलाऊ लकड़ी नहीं मिलती तो राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति का दुरुपयोग होना शुरु हो जाता है और होता है। जिस मवेशी के खाद को अधिक अन्न उपजाने के काम में लाना चाहिये वह जलाने के काम में लाना शुरु हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार को चाहिये कि गोबर को न जलाये जाने के लिए किसानों को जलाऊ लकड़ी मिलने का प्रबन्ध करे।

राजस्थान के जंगलों से जो लकड़ी आती है राजस्थान के प्रत्येक गांव, शहर और घर में उसको जलाया जाता है, विवाह आदि कार्यों के लिए लकड़ी जलाने के काम में आती है, पार्टी हो तो उसके लिए लकड़ी जलाने के काम में आती है। राजस्थान के जंगलों से लकड़ी आती है; उत्तर प्रदेश, गुजरात पंजाब, आदि से कोई भी लकड़ी नहीं आयी होगी और यह आपने देखा होगा सारी लकड़ी राजस्थान के अन्दर से आती है। सरकार यह कहे कि सिर के बोझे से ही लकड़ी लायी

(श्री सूबेदारसिंह)

जाय तो सरकार की अव्यवस्था की ही बात है। माननीय मंत्री महोदय और माननीय सदस्य स्वयं ही इस बात को समझ सकते हैं कि सिर के बोझे से ही लकड़ी लाई गई तो जहां किसानों को २०-२० मील की दूरी से लकड़ी लानी पड़ती है तो वहां कैसी दिक्कत उसको होती होगी। यहां तो महसूस करें कि राजस्थान के पचास फी सदी लोग, जहां १ करोड़ ६० लाख आदमी रहते हैं उनके आधे लोग तो इस लकड़ी को सिर के बोझे से ढोने का काम करें तो यह हो सकता है। बैल गाड़ियों और ट्रकों से आती है, उनकी रॉयल्टी चुकाई जाती है या नहीं, लेकिन फिर भी असलियत यह है कि जिस सहूलियत से और जिस रीज़नेबल रेट से लकड़ी शहरों और गांवों में मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। क्या ही अच्छा हो कि सरकार अपना सुझाव केबिनेट में बैठ कर दे कि फ्युअल गांव गांव में कैसे पहुंचाई जा सकती है। वह राष्ट्र की संपत्ति है। हमारी सरकार ने लकड़ी के जंगल इसलिए रखे हैं कि इस की लकड़ी रखी जाय जो कि जलाने के काम में भी आवे और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, हल खुणा, खेती की बाड़ के लिए रखी जावे। मेरा निवेदन है कि वह सम्पत्ति के रूप में नहीं रहेगी, उससे आमदनी भी नहीं होगी। जंगल जलाने की लकड़ी के ही रहें, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के ही रहे तो घाटे का बजट रहेगा। सरकार को चाहिये कि जहां देश में फर्नीचर की अधिक आवश्यकता है, इमारतें बन रही हैं उनमें आवश्यकता है तो उस प्रकार की लकड़ी के लिए भी पेड़ लगाने चाहिये।

मैं अपने इलाके की बात कहता हूँ। धौलपुर में काश्तकार खेतों की डोल डालता है तो थूहर की बाड़ लगा देता है। वह जिन्दगी भर फेन्सिंग का काम करता है। कोई किसान लकड़ी के झाड़ झंखाड़ काट कर नहीं लगाते हैं। जो किसान इस बात को नहीं समझता है, झाड़ झंखाड़ लगाया करता है उससे उसका समय बर्बाद होता है। तीन–चार महीने बाद आग लगा कर उसको जला दिया जाता है और कांटे बिखर जाते हैं। उनके पैर छिद जाते हैं, पैर कट जाते हैं। शहरों में सेरफ्ट कोक मिलता है। क्या ही अच्छा हो कि पंचायत समितियों और पंचायतों के जरिये गांव गांव में सेरफ्ट कोक को जलाने का तरीका बताया जाय। दूसरा जंगलों से जलाने की लकड़ी, कोयले के लिए लकड़ी दी जाती है। तो सरकार ठेकेदारों से एग्रीमेन्ट करवा कर रखे कि अगर लकड़ी लावेंगे तो पहले राजस्थान के इलाके में बेचेंगे और फिर उसको बाहर ले जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दो–चार माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि पुरानी स्टेटों में इससे अधिक इस प्रकार की सुविधायें जंगलों से थीं। मेरी समझ में नहीं आया, राजस्थान की उन रियासतों में क्या सुविधायें थीं ? मैं जिस जिले से आता हूं वहां की सुविधा के लिए अर्ज करूं कि जंगलों को कटने से किस प्रकार से सख्ती से रोका जाता था। एक बात बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान घी मिट्टी के बर्तन में रख कर ले जा रहा था। उसका हाथ चिकना हो गया तो उसने पास से एक पत्ता तोड़ लिया और उस बर्तन के नीचे रख दिया। फोरेस्ट ऑफिसर ने उसको चैक कर लिया।

(श्री सूबेदारसिंह)

उसको यह कह कर समझाया कि यदि तुम्हारे हाथ की अंगुली कट जाय तो तुमको कितनी तकलीफ होगी, यह राष्ट्र की संपत्ति है। जंगलों से वर्षा अधिक होती है। इस प्रकार से सख्ती से धौलपुर के जंगल सुरक्षित रखे जाते थे और किस प्रकार अच्छे जंगल माने जाते थे। इधर राजस्थान में जंगल थे या नहीं, मुझे नहीं मालूम है लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब मर्जर हुआ तो उत्तर प्रदेश और मथुरा के लोगों को चिन्ता हो गई कि कहीं रेगिस्तान उधर भी न फैल जाय। उन्होंने पेड़ लगाने की योजना बनाई। राजस्थान सरकार जंगल रिजर्व करती जा रही है। ज्योंही धौलपुर स्टेट मर्ज हुई मेरी स्टेट के अच्छे अच्छे जंगल, सारे जंगल नेश्तनाबूद हो गये, बर्बाद हो गये। उन जंगलों में जहां बड़े २ जानवर थे उनको मार मार कर जंगलों को बर्बाद कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिये, राष्ट्र की सम्पत्ति है, इसको बढ़ाना चाहिये। जमीन को एक्ज़ामिन करना चाहिये। मेरे इलाके में, सरमथुरा इलाके से राजाखेड़ा तक के इलाके में शशीम लगा सकते हैं जिससे लाखों करोड़ों रुपयों की आमदनी सरकार को हो जाय। यह ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार से लकड़ी पैदा हो सकती है। इससे राष्ट्र और प्रान्त की उन्नति होगी। साथ ही जलाने की लकड़ी के लिए सरकार को सोचना चाहिये।

एक बात सदन में माननीय सदस्य ने कही, आवेश में आकर कह दिया कि कार्यकर्त्ताओं की मांग है, लकड़ी की समस्या हल नहीं हुई तो ३० तारीख के बाद वहां पर सत्याग्रह शुरु हो जायगा। इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहा गया कि वे भी उसमें शामिल हों....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर !! उससे यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : मैं कहूंगा मेरी बात है।

(४. ०० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : जो आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका ताल्लुक आपके कटमोशन से नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : लकड़ियों के बारे में मैं निवेदन कर रहा था, इससे क्या पोज़ीशन हो जायगी, यह तो मैं बतला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No.

श्री सूबेदारसिंह : तब मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १० वन में एक रुपये की कटौती की जाय, भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील की जनता को जंगलों से लकड़ी न लाने देने पर बहस करने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही है इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि राजस्थान के जंगलों का विकास हो। हम सब चाहते हैं

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

हमारे यहां के जंगल अधिक से अधिक बढ़ें और जंगलों के बढ़ने से हमारे राजस्थान की निधि बढ़ेगी, हमारे देश का विकास अधिक होगा। उससे अन्न की पैदावार और उपज ज्यादा बढ़ सकेगी। यहां जो कुछ फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से जंगल अधिक बढ़ाने का प्रयोग हो रहा है वह सराहनीय है। पंचायत समितियों के जरिये जो भी काम हो रहे हैं वे सब ठीक हैं। उसके बारे में पंचायत समितियां और सरपंच लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ कार्य करने में लगे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं। जिस तहसील से मैं आया हूं वहां जंगल करीब २५ मील लम्बा और १० मील चौड़ा है, काफी घना जंगल है। उस जंगल में यह है कि वहां हर वर्ष सैकड़ों मन सूखी लकड़ी पड़ी रहती है। उसको कोई काम में नहीं लिया जाता वह यों ही पड़ी पड़ी खराब हो जाती है उसमें आग भी लग जाती है और इस तरह से वह लकड़ी खत्म हो जाती है। मगर वहां की जनता को, किसानों को वह नसीब नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के अधिकारियों का इस ओर वहां की जनता ने ध्यान दिलाया है कि हमें सूखी लकड़ी लाने की इजाजत दी जाय, जैसी कि पहले मिलती थी। जैसा कि अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया उस वक्त राज्य सरकार द्वारा जो रियायतें वहां की जनता को वहां के आदिवासियों को मिलती थी वे समाप्त कर दी गई हैं। हमने इस समस्या की ओर वहां के डिविज़न के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और उनको बताया कि जंगल इस तरह से बराबर हो रहे हैं; अतः हमें सूखी लकड़ी काट कर लाने की इजाजत दी जाय। उन्होंने कहा कि हम पहले जो इजाजत देते थे उससे हुआ क्या कि लोग सूखी लकड़ी के स्थान पर गीली लकड़ी काट कर ले आते हैं। जब कि डिपार्टमेन्ट की तरफ से हमारे यहां ऐसी जगहों पर नाके हैं जहां से जो किसान लेकर आता है वह उनके सामने होकर जाता है। इसलिये यह नहीं कि फोरेस्ट नाके के अलावा किसी दूसरी तरफ से वे निकल सकते हैं। इसलिये यदि कोई गीली लकड़ी लाता है तो वह पकड़ा जा सकता है और उसको सजा दी जा सकती है मगर केवल यह कह कर कि सूखी लकडी के बजाय गीली लकड़ी काट लेते हैं और इस तरह से किसानों को जो तंग किया जाता है यह उचित नहीं है। हमने उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करें जो वहां से लेकर जावे और किसानों को मुहैया करे। उस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस साल उसका निर्माण हुआ उस साल बिल्कुल भी कूप नहीं निकाला गया। अब हमारे सामने ऐसा कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है जिससे वहां के रहने वाले किसानों और जनता को सूखी लकड़ी मिल सके। इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। यह समस्या केवल मांडलगढ़ तहसील में ही हो, ऐसी बात नहीं है। जितने भी माननीय सदस्यों के भाषण हुए उनसे यही पता चलता है कि यह समस्या सारे राजस्थान भर की है और जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय सारे राजस्थान भर की

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

समस्या को सुलझायेंगे उसी प्रकार हमारी समस्या भी सुलझायेंगे। यह मुझे आशा है।

इसके अलावा एक बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब राजस्थान सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति रियायतें देने के लिये निकली लेकिन उसे रद्दी की टोकरी में फैंक दिया गया। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो रियायतें राजा, महाराजाओं को दी गई क्या वे भी रद्दी की टोकरी में फैंक दी गई हैं? जनता को जो रियायतें दी गई उसकी विज्ञप्ति तो आपने रद्दी की टोकरी में डाल दी लेकिन राजा महाराजाओं को जो रियायतें दी गई उनको समाप्त करने की आप में हिम्मत नहीं है। आज जनता में ही हिम्मत है कि वह आप से जबरदस्ती उसको मनवा सकती है, लेकिन जनता कानून को चलाना चाहती है। अगर उसमें उसको तकलीफ भी है तो वह बर्दाश्त करती है। इस चीज को राजस्थान सरकार भी महसूस करती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन कठिनाइयों को ध्यान में रख कर दूर करके वहां की जनता को सूखी लकड़ी दिलाने के बारे में प्रयत्न करेंगे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४ पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला बांसवाड़ा जिले में वन विकास पर बहस करने के लिये है। बांसवाड़ा जिला कुछ वर्षों पहले घने जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन लगभग १५ वर्ष से जितने भी पुराने जंगल थे वे सब समाप्त हो गये हैं। बांसवाड़ा जिले में सागवान और टींबरु आदि के पेड़ बहुत मात्रा में हैं। लेकिन आजादी के बाद इन दस-पन्द्रह वर्षों में इसके सारे जंगल बर्बाद हो गये हैं और बर्बादी का कारण ठेका है; ठेका देने के कारण खास तौर से बर्बाद हो गये। ठेकेदारों ने उन जंगलों को खत्म कर दिया। उन जंगलों को आबाद करने के लिये विभाग वाले जरूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस विभाग की व्यवस्था में बहुत ढिलाई है। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये। बांसवाड़ा जिले में ऐसे जंगल थे जिनमें सूर्य की रोशनी तक नीचे दिखाई नहीं देती थी। इतने घने जंगल थे। वे आज सारे बर्बाद हो गये हैं। हमारा इलाका गुजरात के बोर्डर से लगा हुआ है। मध्यप्रदेश भी लगा हुआ है। इसलिये ठेकेदार लोग हजारों ट्रक भर भर कर वहां से लकड़ी मध्य प्रदेश, गुजरात में ले गये हैं। बांसवाड़ा जिले में जो सागवान और टींबरू के पुराने जंगल थे वे सारे के सारे खत्म हो गये हैं। वहां पर कई स्थानों पर सरकार प्लान्टेशन कर रही है। इस प्लान्टेशन में हजारों रुपया खर्च हो रहा है। वहां पर कल्चरल ऑपरेशन की आवश्यकता है। वहां पर जो पुरानी पहाड़ियां हैं वहां सागवान टींबरु आदि के पेड़ हैं। उनका कल्चरल ऑपरेशन करके उन पहाड़ियों को आबाद करने की जरूरत है। इसके अलावा जो पहाड़ों का डिमार्केशन हुआ है उसमें भी गलती हुई है। जहां हजारों झोंपड़ियां हैं उनको वन में डिमार्केशन कर दिया गया है और जहां कुछ स्थानों पर झोपड़ियां नहीं हैं वहां रिज़र्व जंगल बना रखा है। कुछ स्थानो पर बिल्कुल नग्न पहाड़ियां पड़ी हुई हैं। मेरा निवेदन यह है कि आदिवासी लोग जिनकी संख्या वहां ३ लाख के करीब है वहां जिनके झोंपड़े हैं वहां भी वन है जहां झोंपड़े नहीं है वहां वन खत्म

(श्री नाथूराम)

हो गये है। वहां के लोग जो पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं उन्हीं लोगों को वहां गार्ड रखना चाहिये। गार्ड जो रखे जाते हैं उनमें इन्हीं आदिवासियों को ट्रेन्ड किया जाय और उसके बाद उन्हीं को वहां गार्ड के रूप में काम करने दिया जाय। जो सुविधा रियासतों के समय में कृषकों को मिलती थी वह अब नहीं मिल रही है। आदिवासी गार्ड हों, उसके ऊपर निगरानी दूसरों की हो सकती है। जहां आदिवासी वन को निजी सम्पत्ति मान कर चलते हैं, रक्षा होती है और जिस तरह से आज वन कट गये हैं वैसी नौबत बाद में नहीं आयेगी। यह समस्या केवल कानून से कभी हल नहीं हो सकती। जहां के लिये ज्यादा कानून बनते हैं वहां जंगल ज्यादा बर्बाद होता है। कानून की अपेक्षा समझाइश से यदि काम लिया जाय तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है। जहां तक बांसवाड़ा के जंगलों की हिफाजत की जरूरत का प्रश्न है वहां पर ज्यादा से ज्यादा गार्ड की संख्या बढ़ाई जाय। इसके अलावा कल्चरल ऑपरेशन कराने की जरूरत है। जहां एक गार्ड सरकार का रहता है। यदि वहां की जनता का सहयोग लिया जाय तो वहां के वन की ज्यादा व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकती है। हरेक गार्ड एक चौकी पर रहना चाहिये जिससे जंगल की ज्यादा रक्षा हो सकती है। बाकी तो कोई रक्षा होने की नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि बांसवाडा जिले के लिये ज्यादा से ज्यादा चौकियों के लिये बजट में रकम रखनी चाहिये और कल्चरल ऑपरेशन के लिये भी ज्यादा रकम रखनी चाहिये।

जो २०० वर्ष पहले के पुराने थे और आजादी के बाद में जिनको खत्म कर दिया गया, वे वापिस पनप सकते हैं। मैं राज कर्मचारियों पर कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, पर जिस तरह ये ठेकेदारों से मिल कर उन्होंने नाजायज़ फायदे उठा कर जंगलों को खत्म कर दिया, यह कोई छिपी बात नहीं है।

(४.०६ म० प०)

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर): पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन, सर, अब जितने कटौती के प्रस्ताव और हैं उन पर बाकी के सदस्यों को बोलने का समय मिलेगा कि नहीं ?

श्री सभापति : यदि सदन की ऐसी इच्छा होगी तो कार्यवाही करीब आधा घन्टा के लिये और बढ़ा दी जावेगी।

(विराम)

श्री नाथूराम : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो १०० एकड से छोटे जंगल हैं उनको पंचायतों को दे देना चाहिये, ताकि ये उसकी अच्छी तरह से रक्षा कर सकें और अपनी जरूरत की लकड़ी गांव वालों को मिल भी जावे।

तहसील गढ़ी, बागी की मैं बात कहूँ। वहां आज कोई जंगल नहीं रहे। पुराने वक्त में था। रिजर्व जंगल मात्र का है। नंगी पहाड़ियां पडी हैं। तो जब तक ये जंगल आबाद न हों तब तक लकड़ी का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये, नहीं तो नाकेदार, रेन्जर लोग नाजायज़ फायदा उठा कर लोगों को तंग करके देते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि छोटे कर्मचारियों की आप तनख्वाह बढ़ा दें, नहीं तो वे और

(श्री नाथूराम)

तरह से खाने की कोशिश करेंगे और तनख्वाह से भी कई गुना हड़प कर जायेंगे। ऐसी स्थिति है कि गार्ड रेन्जर भी अच्छी आर्थिक स्थिति में पेट भर कर अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वे सारे जंगल को बर्बाद करा देंगे।

आज बांसवाड़ा में वनों की हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत बड़े बड़े बांस के जहां जंगल थे वहां आज बांस का उद्योग करने वालों को भी पूरा बांस नहीं मिलता है। उनको तो जल्दी से आबाद करने की कोशिश करनी चाहिये और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है बांसवाड़ा में वन का ठेका देने पर बहस करने के लिये। पुराने जमाने में २०० वर्ष के पुराने ये जंगल थे। इसका तमाम फायदा ठेकेदारों ने उठाया। गुजरात से आने वाले और दूसरी जगहों से आने वाले ठेकेदारों को ठेका दिया गया। उनके जंगल की हद बांध दी। पर रात को वहां के छोटे छोटे कर्मचारियों से और रेन्जर वगैरह से भी मिल मिला कर रिजर्व जंगल से बड़ी भारी तादाद में लकड़ी कटवा कटवा कर और रातों रात ट्रकों में भर भर कर ले गये और इस तरह से २०० वर्षों के रक्षित वन थोडे ही दिनों में उन्होंने समाप्त कर दिये। इसलिये मेरा यह निवेदन हैं कि ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त कर देनी चाहिये और इसके एवज में आदिवासियों की फोरेस्ट सोसाइटियां बनाई जाय। उसमें राज्य भी हिस्सा रखे और राज्य द्वारा हिस्सा रख कर इनकी समितियों को ठेके देने चाहिये। इससे आदिवासियों का भी भला होगा। वे उन जंगलों को भी अपना समझ कर उनकी पूरी देखभाल भी करेंगे। हम इस विषय की दो साल से मांग कर रहे हैं। सी.सी. एफ. ने नियम भी बनाये थे। ऐसा सुना गया पर वे कागजों में ही रह गये। इसलिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे नियम बनावें और नियम भी ऐसे बनायें कि ज्यादा कागजी कार्यवाही न करनी पड़े।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

विशेष मेरा निवेदन यह भी है कि बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ में फोरेस्ट सोसाइटी बनाई थी, ऐसी बनी कि एक ही व्यक्ति ने दस, बारह हजार कमाये और काफी शिकायतें होने पर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो ऐसी सोसाइटी तो आप नहीं बनायें कि एक ही आदमी को फायदा हो जावे और गरीब लोग ताकते रह जायें। इस कुशलगढ़ की सोसाइटी की आप जांच करावें करें, और जिसने नाजायज़ फायदा उठाया है उसके लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है और सारे जिले में जंगल थे, पर जब से ये जंगल बर्बाद हुए हर साल दुष्काल पड़ता रहता है। सो जंगलों पर पूरा पूरा ध्यान दिया जावे और उनकी रक्षा की जावे। इसलिये मैंने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु०) सभापतिजी, उदयपुर जिले में तहसील सराड़ा में काश्तकारों को जंगलात की काफी तकलीफें हैं। उसके बारे में निवेदन कर रहा हूँ। उदयपुर से

(श्री देवीलाल)

सलूम्बर जाने वाली रोड है उसके किनारें जय समन्द के जंगल के जंगल पड़ते हैं और उनसे वहां के गांव वाले अपने मवेशियों का निर्वाह वहीं कराते आये हैं। पर अब उसे रिज़र्व जंगल कर दिया है। इसके बारे में वर्मा साहब, कलेक्टर साहब, उदयपुर, सलूम्बर वाले सदस्य महोदय ने सब ने मिल कर तय किया था कि ये जंगल अमुक लाइन से छोड़ दिये जावें चरणोट के लिये, पर वे जंगल चरणोट के लिये नहीं छोड़ गये हैं।

इसके बारें में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो उन लोगों ने मांगे की हैं उसी लाइन में यह जंगल छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह लोग इसके बारे में काफी दुखी रहेंगे क्योंकि वह हमेशा से वहां मवेशी चराते आये हैं और वहीं चराते हैं। उनका लकड़ी लेने का अधिकार भी वहीं है लेकिन वहां लकड़ी नहीं देते हैं। इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसी जंगल से काश्त की लकड़ी देने के बारें में हल, चौड़ा आदि बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था को जाये। दूसरे उसी जंगल में काश्त की भूमि भी है जहां हमेशा से काश्त करते आये हैं। वह भूमि भी उसी लाइन में ली गई है। मैं नमूने के लिए कहता हूँ कि बगूरवा में आदिवासी लोग रहते हैं और उनकी जमीन डिमार्केशन लाइन में ले ली गई है और वह जमीन भी उसमें से निकालने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के लिए वह जमीन निकालने के लिए ध्यान दें। दूसरे, मकानों के लिए जो लकड़ी ली जाती है एक तहसील से दूसरी तहसील में रेंजर के द्वारा पास नहीं दिया जाता है, चिट्ठी नहीं काटी जाती है तो वह चिट्ठी उनके द्वारा कटनी चाहिए। वहां काश्तकार जाते हैं उनको उत्तर दिया जाता है कि आप डी० एफ० ओ० से ऑर्डर लाइये। जैसे सराड़ा तहसील है उसमें सागवान की लकड़ी नहीं मिलती है डांडे भी नहीं मिलते हैं। इसके लिए सलूम्बर और खेरवाड़ा साइड में जाना पड़ता है। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि रेन्जरों के द्वारा या उनके फॉरेस्टर द्वारा चिट्ठी कटनी चाहिए। वही निवेदन करता हूँ और आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

श्री सभापति : In view of the fact that we have about 12 cut motions still to discuss, I would like to know whether it is the sense of the House that we should sit beyond the scheduled time.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मिनिस्टर साहब दूसरे दिन जबाब दे देंगे।

श्री सभापति : Otherwise we will have to curtail the discussion, if the time is not prolonged.

श्री भैरोंसिंह : यह तो पहले होना चाहिए था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अगर आप एक कट मोशन के लिए ५ मिनट देंगे तब भी एक घंटा चाहिए।

श्री सभापति : There are 12 cut motions still to be discussed. After that the demand is to be put to vote...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप गत वर्ष की प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए। आपको मालूम होगा कि सारे कटमोशन्स मूव हों, यह जरूरी नहीं है। समय के अन्दर जितने हो सकते हैं उतने ठीक हैं, बाकी गवर्नमेंट रिप्लाई दे।

श्री सभापति : It all depends upon the House. If the House is prepared to sit beyond the scheduled time, we can take up every cut motion.

कुछ माननीय सदस्य : No.

श्री सभापति : I think we should allow at least five minutes for each cut motion.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : No, Sir. five minutes will not do. इस समय आप नहीं कर सकते। सारे हाउस में जितने कटमोशन्स हैं....

श्री सभापति : There is no question of our not being able to do it. The rules provide it and it is open to the House to do it.

श्री भैरोंसिंह : मैं रिक्वेस्ट यह करना चाहता हूँ कि बाकी के कटमोशन्स के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया और अब औरों के लिए करना चाहते हैं तो उसमें क्या हुआ ५ से ६ बज जायेंगे ? उसमें क्या बात है ?

श्री सभापति : That is what I say. That the House should be prepared to sit upto 6.

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय मंत्री महोदय को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब पांच साल से उनको जानकारी नहीं मिली तो अब क्या हो जायेगा ?

श्री सभापति : If the spokesman of the Government is prepared to accede to the request of the Hon'ble members, I have no objection. Please let me know your views.

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज फिर यह डिस्कशन खत्म नहीं होगा।

श्री सभापति : We shall conclude it to-day, but we may have to sit some time beyond the scheduled time.

श्री सोहनलाल भटनागर : एक घन्टे के बजाय....

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य जो व्हिप हैं, यह समय की पाबन्दी उन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं एप्लाई की ? जिस समय वे बोलने खड़े हुए थे उस समय वे कहते कि मैं ५ से छठी मिनट नहीं बोलूंगा और जब यहां इस समय टाइम एक्सटेन्ड करने का सवाल आता है तो विरोध व्हिप की तरफ से होता देख मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। मैं समझता हूं कि सदन को उसका कार्य करने में उन्हें अधिक से अधिक को-ऑपरेट-

Page No.105

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिए, न कि इस प्रकार की बाधा वे उपस्थित करें।

श्री सोहनलाल भटनागर : बाधा का प्रश्न नहीं है। जब आप बजट पर बोलते हैं तब तो एक एक घंटा और दो-दो घंटा ले लेते हैं और दूसरों को समय नहीं मिलता।

श्री सभापति : We have allowed full latitude to all speakers so far and I think the remaining speakers are also entitled to the same indulgence. So, I hope the House would be prepared to sit for some time more beyond the scheduled time.

श्री सम्पतराम : यह सम्भव नहीं होगा। ५-५ मिनट भी अगर देंगे तो भी पूरा समय हो जायेगा। फिर तो ७ बज जायेंगे।

श्री सभापति : Well, I take the sense of the House. Those who are for continuing beyond the time may please rise in their seats...

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, ऐसे विषयों पर वोट नहीं लिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज तक ऐसी परम्परा रही है कि समय की वृद्धि के लिए सदन में कोई वोट नहीं लिये गये। अगर वे इसके लिए राजी नहीं हैं तो पता नहीं उनके सामने क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जहां जनता को जवाब देने का प्रश्न आता है तो हमें यहां समय ज्यादा देना चाहिए। उन्हें समय के बढ़ाने से कोई इनकन्वीनियेन्स पैदा होती हो, ऐसी भी बात नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उनको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि जिससे हम सदन के अधिक से अधिक काम को डिसपोज़ ऑफ कर सकें।

श्री सोहनलाल भटनागर : सब मूव होने चाहिए और टाइम पर भी लिमिट नहीं हो ?

श्री भैरोंसिंह : पार्लियामेंट का सेशन भी तो १० बजे तक चलता है।

श्री सभापति : We have to complete the demand to-day and I think, if it is necessary to sit for 30 minutes more, the House should not mind it.

कुछ माननीय सदस्य : Centainly.

श्री सभापति : So I have the sense of the House that we are prepared to sit upto 6 P. M.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Yes, Sir.

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे समयाभाव के कारण उन बातों को तो नहीं दोहराना है जो सदन में सभी माननीय सदस्यों ने हमारे माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाने का कष्ट किया है। लेकिन कुछ बातें इस प्रकार की हैं जिनके ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक किसानों

(श्री भैरोंसिंह)

के हित का सवाल आता है मंत्री महोदय को आपके द्वारा केवल इतना सा ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने आपके राज्य की तुलना कोई पहले वाले ७ मंत्रियों से नहीं की है; बल्कि उस राज्य की तुलना में आज के हमारे प्रगतिशील सरकार के कार्य इस प्रकार के सदस्यों ने इस सदन में चित्रित किये हैं कि जिससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि फोरेस्ट के सम्बन्ध में जिन किसानों को राजाओं के समय में जिस प्रकार की राहत मिली हुई थी आज १३ वर्ष के बाद हमारी प्रगतिशील सरकार उन किसानों को उस प्रकार की राहत नहीं दे पाई। उसको किस तरह से हमारी सरकार डिफेण्ड करेगी, मैं नहीं कह सकता; लेकिन उनका एक उत्तर निश्चित रूप से आयेगा कि सरकार के सामने फाइनिन्शयल डिफिकल्टीज़ हैं और उन डिफिकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए वनों से जिस प्रकार की आमदनी हो सकती है वह आमदनी करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है और यह उसी का फल है कि जिसके कारण किसानों के ऊपर इस प्रकार के टैक्स लगाये जा सकें या किसानों से फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कीमत ली जाकर राज्य सरकार के खजाने की पूर्ति की जाती है।

मैं समयाभाव से ज्यादा नहीं कहता हूं। मगर मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले, सभापति महोदय, मुझे एक पंचायत इलेक्शन में उधर जाने का अवसर मिला। वहां के लोगों की आम शिकायत थी कि लकड़ी जलाने का सवाल नहीं, लकड़ी के बाकी उपयोगों का सवाल नहीं लेकिन लोगों को उस दिन ज्यादा चिन्ता होती है जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वह चिन्ता इस कारण नहीं होती कि उसकी मृत्यु के पश्चात् किसी पर जिम्मेदारी आई होती है, लेकिन चिन्ता होती है कि उसके लिए आज लकड़ी कहां से लायेंगे। यह हमारी सरकार की जो आज व्यवस्था है लोगों को इस प्रकार से लकड़ी उपलब्ध कराने की, मैं समझता हूं वह बराबर चिन्ता का विषय है। मंत्री महोदय स्वयं मान लेंगे कि नगरपालिकाओं में लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा जलाने की बात तो दूसरी रही, लेकिन मुर्दे जलाने के लिए हमारी राज्य सरकार ने इस प्रकार की कठिनाई पैदा कर दी है। मैं जैसा कि आपके द्वारा संकेत करना चाहता था वह यह है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय का यह उत्तर हो सकता है कि सरकार के सामने कुछ फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ आ सकती हैं, जिसके कारण हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस पोज़िशन में सरकार है कि यदि सरकार अपनी मशीनरी को टाइटन करे, सारी मशीनरी का जितना वर्क है उस पर इस ढंग से विचार करे कि जितनी आमदनी फॉरेस्ट से हो सकती है उस आमदनी में कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। यदि कहीं कमी नजर आती है तो सरकार का फर्ज होता है कि कमी को रोकने की चेष्टा करे। सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि फोरेस्ट प्रोड्यूस को नीलाम करने की व्यवस्था करते हैं, उसको डिसपोज़ ऑफ करने की व्यवस्था करते हैं उस डिस्पोजल के अन्दर सरकारी अधिकारी इस प्रकार की त्रुटियां कर देते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

कि जिनके कारण जितनी आमदनी सरकार को होनी चाहिए वह सरकार को नहीं होती है। मैं यह कहूँगा, सभापति महोदय, कि पिछले ३–४ वर्षों के अन्दर फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जिस प्रकार से प्रोग्रेस हुई है वह प्रोग्रेस अंकों में हो सकती है, वह प्रोग्रेस किताबों में हो सकती है, लेकिन उस प्रकार की प्रोग्रेस फील्ड में नहीं है। यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों में प्रोग्रेस हुई थी और ३-४ वर्षों से प्रोग्रेस रुकी हुई है मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ३–४ वर्षों में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। फोरेस्ट डिपार्टमेंट का न कम्प्लीट सर्वे हुआ है, न फोरेस्ट डिपार्टमेंट का कम्प्लीट सेटलमेंट हुआ है, न फोरेस्ट में जो वर्किंग प्लान बनना चाहिए वह वर्किंग प्लान पूरे बन पाये हैं। वह इस बात का द्योतक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस प्रकार से विजिलेन्ट है।

इसी प्रकार से कितनी ही ऐसी मदें हैं कि जिन पर सरकार का काफी खर्चा होता है। प्लानन्टेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार प्लान्टेशन के मामले में फैल हुई है। इस प्लान्टेशन की स्कीम पर कुल मिला कर लाखों रुपया खर्च कर रही है। माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात होगी की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर तथा सदन के अन्दर कई प्रकार की रिपोर्ट फोरेस्ट डिपार्टमेंट की सामने आई हैं, उन रिपोर्ट्स में इस बात का संकेत मिलता है कि विभाग ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि प्लान्टेशन के मसले के अन्दर जितनी उनको सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली है। अभी एक जोड़ के अन्दर ३० हजार का प्लान्टेशन किया था। उस ३० हजार के प्लान्टेशन के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहूँगा कि उस जोड़ के सम्बन्ध में जो प्लान्टेशन किया था उसमें कितनी सफलता मिली है? मेरी जानकारी यह है कि आपको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है और उसके नहीं मिलने का कारण यह है कि न सोइल की कन्डीशन को आप देखते हैं, न क्लाइमेट की कन्डीशन को देखते हैं और न बाकी की जितनी वेदर कन्डीशन्स होती हैं उन सारी चीजों को बिना ध्यान में रख कर उस प्रकार का प्लान्टेशन करते हैं कि जो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। मैंने सुना है कि कोटा नर्सरी के अन्दर एक बबूल होता है, विलायती बबूल जिसको कहते हैं उसकी कोटा और बूंदी में प्लान्टेशन की व्यवस्था की है....

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) : रेविन्स को रोकने के लिए प्लान्टेशन किया है। नर्सरी और प्लान्टेशन में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरी बदकिस्मती है कि आप वहां की वेदर कन्डीशन्स को नहीं देखते हैं, न सोइल फर्टीलिटी को देखते हैं, न किस स्वाइल में किस प्रकार का पेड़ होता है उसको देखते हैं....

श्री सम्पतराम: यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने मौके पर जाकर देखा है कि रेविन्स को रोकने के लिए उस तरफ के पेड़ लगाना बहुत जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जाकर देखा है। मैंने जाकर नहीं देखा है, लेकिन मैं इतना कह

(श्री भैरोंसिंह)

सकता हूँ कि कोटा और बूंदी की जमीन में इस प्रकार के बबूल पैदा नहीं किये जा सकते हैं। आपका कोई भी एक्सपर्ट इस बात को चैलेन्ज करता है तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। वर्ना यह इस बात का सुबूत है कि मन्त्रीजी को इस बात का पता नहीं है कि कोटा और बूंदी की जमीन में बबूल पैदा किये जा सकते हैं। वे जैसलमेर में किये जा सकते हैं, जोधपुर में किये जा सकते हैं, लेकिन कोटा में नहीं किये जा सकते हैं। कोटा में एक भी इस बबूल के पेड़ को बता दें तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कोटा में बबूल का पेड़ उगाया जा सकता है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : राजस्थान में युनिटी भी तो लानी चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्रीजी क्या कहेंगे, वह बाद में बताऊंगा लेकिन जहां तक इस विभाग के खर्चे का प्रश्न आता है मैं समयाभाव के कारण यह तो नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान के २ डिविज़न हैं, एक ईस्टर्न डिविज़न और एक वैस्टर्न डिविज़न। इस विभाग के अन्दर जितना खर्चा होता है उसका पर्सेन्टेज यदि हम निकालेंगे तो वैस्टर्न डिविज़न जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यह इस प्रकार का पोर्शन है उस पोर्शन के ऊपर प्लान में रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। हमारी सरकार यह कहती है कि प्लान में जितनी सड़कें थीं वे कम्प्लीट कर दी हैं। यदि माननीय मन्त्रीजी जानकारी करना चाहें तो वे मेरे साथ चलें तो मैं ऐसी सड़कें उनको बता सकता हूँ कि जिन सड़कों पर हजारों रुपया खर्च किया गया है, लेकिन यदि पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जीनियर को आप वहां बतायें तो यह बात मालूम होगी कि जिन रोड्स पर हजारों रुपया खर्च होना बतलाया गया है वे सैकड़ों रुपयों की हैं, और ज्यादा को नहीं हैं.... .

श्री सभापति : I think roads are not within the purview of the cut motion.

श्री भैरोंसिंह : फोरेस्ट रोड्स हैं।

श्री सम्पतराम : मैं आपके चैलेन्ज को स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति : Yes, continue.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सड़कों के मामले को छोड़कर यदि आगे चलें तो इस मामले को लेकर माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि सरकार को खर्च नहीं करना चाहिए। मैं आपको जानकारी में ला सकता हूँ कि पिछले दिनों बूंदी में कत्थे का नीलाम किया है। कत्थे का नीलाम किया जाता है वह हांडी सिस्टम पर किया जाता है। हांडी सिस्टम पर जो नीलाम हुआ है वह २४२) रु० को बोली स्वीकार की गई। वह शायद २५२) रु० की थी, लेकिन एवरेज बोली २४२ रु० की आई है। जिस समय २४२) रु० की बोली स्वीकार करने की बात आई, जिस समय एप्लीकेशन लेने की बात आई तो उस समय वहां पर कुछ लोगों ने ४००) रु० को इस प्रकार की एप्लीकेशन आपके सामने पेश की थी, मंत्रीजी

(श्री भैरोंसिंह)

के सामने पेश की थी, सी. सी. एफ. के सामने पेश की थी। सी. सी. एफ. द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार सरकार के ध्यान में इस बात को लाया गया है कि इस प्रकार हांडी सिस्टम से २४२) रु० की बोली आ रही है और दूसरा व्यक्ति ४००) रु० देने को तैयार है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जाकर २४२) रु० की हांडी की बात थी, वह देना स्वीकार कर लिया गया। मैं माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिए कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो कत्था नीलाम किया गया पिछले वर्ष में उसकी एवरेज बोली ४००) रु० और ६००) रु० के बीच में थी, किसी भी स्थान पर सिवाय बूंदी को छोड़कर। माननीय मन्त्रीजी जानकारी कर लें; अपने अधिकारियों से पूछ लें कि किस प्रकार यह गलती हुई है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

मैं इतना और कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि कई माननीय सदस्यों ने बांसवाड़े के जंगलों की ओर ध्यान दिलाया है। वह बांसवाड़े के जंगलों पर क्या खतरा आने वाला है, उसकी ओर संकेत करता है। राज्य सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी राजस्थान के औद्योगीकरण की बातें करते हैं, लेकिन जहां औद्योगीकरण की चीज सामने आती है वहां बाकी की चीजों का, मैं समझता हूँ, ध्यान नहीं रखते हैं। उसी प्रकार का ध्यान बांसवाड़े में चीप बोर्ड फैक्ट्री बनाने के लिए किया जा रहा है। चीप बोर्ड फैक्ट्री के बारे में मेरी जानकारी यह है कि राजस्थान सरकार एक व्यक्ति को ३०० स्क्वायर मील का इस प्रकार का जंगल डिमार्केट कराने की व्यवस्था कर रही है। बांसवाड़े में ४०० मील का एक सिलेक्टेड पोरशन जो हो सकता है वह सिलेक्टेड पोरशन एक व्यक्ति को जो कि यहां का पूंजीपति है उसको चीप बोर्ड फैक्ट्री के नाम पर हमारी सरकार दे रही है। मेरे ख्याल में, मेरी जानकारी के आधार पर, सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूँ कि यदि एक एकड़ को आज नीलाम किया जाय तो उसका १२,००,००,०००) रु० हो सकता है वहां ३० एकड़ जमीन को केवल ६।। लाख सालाना के हिसाब से ३० वर्ष की पर्मानेन्ट लीज़ पर हम देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह कोई औद्योगीकरण नहीं है। इस प्रकार का औद्योगीकरण जिससे राजस्थान सरकार को एक एक साल के अन्दर ६ लाख का घाटा खाना पड़ता हो कोई औद्योगीकरण नहीं है। इस प्रकार का औद्योगीकरण सफल भी नहीं हो सकता है। एकाध आरे की मशीन लगा कर या एक-दो मशीन लगा कर आज जितने भी इस प्रकार के उद्योग खुल रहे हैं उनमें जिस प्रकार की कार्यवाही की जाती है वह सरकार को धोखा देने के लिए कर दी जायगी और वे जंगल काटते रहेंगे, और ३, ४ साल तक सरकार को धोखे में रखेंगे, और सरकार ने किसी प्रकार का दबाव डाला तो कोर्ट्‌स से संरक्षण मिल सकता है और सरकार को प्रेस किया जा सकता है और उस जंगल से जो आमदनी हो सकती है वह सारी आमदनी उसके द्वारा उठाई जा सकती है।

एक बात की ओर मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। डेढ़—दो साल पहले हमारी राज्य सरकार ने नाहरगढ़ के पास में जंगल था जो कि कोटा हिज़ हाइनेस का प्रिज़र्वड फोरेस्ट था, जिसमें उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

शिकारगाह थी, वह जंगल सारा धोंक का था, लेकिन उसको सागवान का जंगल बता कर चारकोल के मेन्युफेक्चर के लिए एक आदमी को ठेके पर दे दिया गया। मैं यह कह सकता हूँ कि वहां के लोगों द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी को रिपोर्ट दी गई। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को रिपोर्ट दी गई, और सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई, सी. सी. एफ. को रिपोर्ट दी गई। वह रिपोर्ट जब कि उसकी कटाई अक्टूबर के महीने में शुरु होने वाली थी अगस्त के महीने में दी गई, लेकिन उस पर अक्टूबर तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। फैसला हुआ तब जब कि उसकी कटाई हो चुकी थी। तो कटाई हो चुकने के बाद, सभापति महोदय, हमारे सी. सी. एफ. दिन के समय नहीं रात के समय जंगल में पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि पेड़ सारे के सारे सागवान के हैं। हमारी सरकार को हज़ारों रुपयों का घाटा हुआ है। उसके बाद भी सी. सी. एफ. ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो एक्ज़ामिनर्स नियुक्त हुए। तो उनके डंठल की सिचुएशन को देख कर इस बात की जांच की गई तो पता चला कि ६३ पर्सेन्ट पेड़ धोकें के हैं और ७ पर्सेन्ट पेड़ साधारण सागवान के हैं।

उसका कोयला बना कर यदि बेचा जाय तो सरकार को फायदा हो सकता है, उसको धोकड़े की लकड़ी जान कर बेचते तो उससे फायदा हो सकता था। कोटा हिज़ हाइनैस कहते हैं कि धोकड़ा था। उसी के लिये चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट कहते है कि सागवान था। सागवान के नाम पर धोकड़ा बेच कर हजारों रुपयों का नुकसान पहुंचाते है। मैं जानता हूँ कि मन्त्रीजी एक्शन लेंगे और यदि एक्शन लेने में कोई अनप्लेजेन्टनैस आवे तो उसकी चिन्ता न करें। वह अनप्लेजेन्टनैस इसलिये आ सकती है कि कुछ अनियमितताएं की गई हैं।

उन्होंने ६.७ मरसिडीज़ के ट्रक्स खरीदे हैं। उनको आदेश यह था कि यदि नेसेसिटी एराइज़ हो तो पर्चेज़ करें लेकिन नेसेसिटी एराइज़ हुए बिना ही यह समझ कर कि न जाने नेसेसिटी कब आ जाय ट्रक्स खरीद लिये और चेसेज़ बसेज के लगा दिये। आज वे जंगल में नहीं जा सकतीं, रेत में नहीं जा सकतीं। पड़ी हैं बेकार। आज से दो-तीन महीने पहले देखा था. ग्रास फार्म में जैसी खरीदी थी वैसी ही पड़ी थी। अब शायद दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया हो तो अलग बात है। उनके खिलाफ इसके लिये एक्शन लेना चाहिये था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिये ढिलाई का फायदा उठाने के लिये बैड फोर्ड के ट्रक्स खरीदे। मरसिडीज़ या लीलैन्ड के ट्रक्स खरीदने चाहिये थे। कोई बैड फोर्ड के ट्रक्स नहीं खरीदता, इसलिये कि उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारी सरकार के लोग बैड फोर्ड की ट्रकें खरीदने के लिये इसलिये लालायित थे कि पार्ट्स नहीं मिलेंगे और बेकार पड़ी रहेंगी। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी परिस्थितियों को सरकार को कंसीडर करना चाहिये। अभी जिस तरह की व्यवस्था है उससे काम नहीं चल सकता........

श्री सम्पतराम : आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना

(श्री सम्पतराम)

है, लेकिन इतना टाइम हरेक को मिलेगा तो आज इस डिमान्ड को खत्म नहीं कर सकेंगे ।

श्री सभापति (श्री बिशम्भरनाथ जोशी) : It will be finished today, and at 5. 15 your reply would commence.

श्री भैरोंसिंह : मैं तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, सरकार के लाखों रुपये बचाना चाहता हूँ ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : लेकिन वे बचाना नहीं चाहते ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि सर्विसेज़ में असंतोष है, फाइनल इन्टिग्रेशन नहीं हुआ है, फोरेस्ट मेन्युअल तैयार नहीं हुई है और इसके साथ साथ कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिससे सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है । आज यदि कोई कहे कि इस असंतोष का कारण क्या है तो यह स्पष्ट है, हमारी राज्य सरकार जिस तरह से सरदारशहर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां स्वर्ग है, खास तौर से वृद्ध और रिटायर्ड हैं उनके लिये स्वर्ग है ।

हमारे इस विभाग के हैड को सन् ५५ में दो साल के लिये नियुक्त किया गया था । सन् ५७ में उनके वे दो साल समाप्त हुए । तब फिर उनको एक्सटेन्शन दिया गया जो इस ३१ मार्च तक का एक्सटेन्शन था । लेकिन अभी जब एक्सटेन्शन के बारे में पी. एस. सी. को लिखा गया तो पी. एस. सी. ने लिख कर भेजा कि उनकी उम्र ६१ वर्ष को है और हमारे प्रिन्सिपल के अनुसार यदि रीअपॉइन्ट करते हैं तो उनकी उम्र ६० वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिये और ये ६१ वर्ष के हैं ।

इसके साथ साथ जो बातचलती है, यदि कोई बड़ा अधिकारी गलती करता है तो उसका असर नीचे भी पड़ता है । मुझे अभी जानकारी मिली है, उनकी बीमारी में हर प्रकार से सहानुभूति रहती है। वे हर प्रकार से स्वास्थ्य लाभ करें । लेकिन कॉटेज वार्ड में बीमारी को हालत में कोई व्यक्ति १॥ महीने तक रह कर, प्रेजेन्स बता कर पैसा नहीं ले सकता । किस प्रकार से हाजरी दिखाई गई, किस प्रकार से काम किया गया....

श्री सभापति : This is not strictly within the purview of the cut-motion. You have got 3 cut-motions, one relates to contractors, the other for forest fire and the third relates to some administrative matter.

श्री चन्दनमल वैद : It is administrative matter.

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल रिलेवेन्ट है । विभाग की अव्यवस्था में आता है ।

श्री सभापति : Please conclude earlier.

श्री भैरोंसिंह : इसके साथ आज कोई यह मानकर चले कि उनके अलावा कोई दूसरा सी. सी. एफ. नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ यह राजस्थान का अपमान है, उन युवकों के लिये भी अपमान है जो ट्रेनिंग

(श्री भैरोंसिंह)

पाकर तैयार होते जा रहे है। मैं मन्त्रीजी से कहूँगा कि वे इस परिस्थिति को राजस्थान में नहीं आने दें और यू. पी. वालों को यह कहने का मौका नहीं दें कि जो लोग हमारे यहां से रिटायर होकर जाते हैं, उनसे राजस्थान में जो ऑफिसरों की कमी है उसकी पूर्ति हमारे यहां के रिटायर्ड लोगों को ले जाकर की जाती है। ६० वर्ष की अधिक से अधिक सीमा है। इसके अलावा जिनको हार्ट की शिकायत है उनको वन विभाग में नहीं रखा जावे। तनख्वाह ही देनी है तो और विभाग में रखा जा सकता है। देवस्थान में या धर्मार्थ में कमिश्नर बना दीजिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने ग्रेजिंग फीस के बारे में, लकड़ी काटने के बारे में और और बातों के बारे में जो शिकायतें की हैं उनको ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्रीजी निश्चित रूप से कोई घोषणा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से....

श्री चन्दनमल वैद : हिम्मत..नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वे घोषणा करेंगे। वे अपने विभाग के बारे में बिल्कुल इनडिपेन्डेन्ट हैं....

श्री चन्दनमल वैद: I doint believe.

श्री भैरोंसिंह : उनकी जितनी इम्पोर्टेन्स है, मैं महसूस करता हूं। यदि वे इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं तो जिस प्रकार का माननीय सदस्यों का रीडिंग है कि वे बिना पूछे कुछ नहीं करते तो मैं उससे प्रभावित होऊंगा। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि मेरा अच्छा इम्प्रेशन बनता जा रहा है उसको खराब नहीं करें....

श्री चन्दनमल वैद : म्युनिसिपैलिटी का काम कराना दिखता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का खर्चा और आमदनी दोनों बराबर होते जा रहे हैं। शायद जल्दी में मैं बजट को अच्छी तरह से देख नहीं पाया होऊं पर ६२ लाख का खर्चा है और ६२ लाख की आमदनी है। जिस प्रकार तराजू लेकर तौलकर बनाया हो उसी प्रकार से मंत्रीजी ने यह बजट बनाया है।

अब मैं एक बात मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इस विभाग के बारे में और कहना चाहूंगा। इस विभाग की लाखों रुपयों की बकाया है और वे किस प्रकार की बकाया हैं, मैं कह सकता हूं, मेरे सामने मजबूरी नहीं है जिसको एप्रिशियेट करने का अवसर मिले। इसलिये मंत्रीजी से कहूंगा कि जिस डिपार्टमेन्ट में ६-७ लाख की बकाया है, जिसमें कॉन्ट्रेक्टर्स के खिलाफ पी. डी. आर. की मार्फत केसेज़ चलायें जावें, जब तक बकाया का भुगतान नहीं जावे तब तक उनको लीज़ नहीं दिये जावें यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो राज्य सरकार के खजाने में जो अभाव सा हो रहा है उसकी पूर्ति कर सकेंगे। मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सदन के साथ सारी जनता की दिक्कत है उसको एप्रिशियेट

Page No.113

(श्री भैरोंसिंह)

करते हुए निश्चित रूप से सदन को किसी प्रकार का रिलीफ मिले, उस प्रकार का भाषण वे दें।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : सभापति महोदय, जंगलात के मामले में काफी बहस सदन में हो चुकी है। लेकिन हमारे रेगिस्तान के इलाके को कुछ समस्याएं आपके सामने रखूंगा। रेगिस्तान को, पेड़ लगा कर, हरा करने के लिये जो उपाय किये जाने चाहिये वे इफेक्टिव तौर पर नहीं होते हैं। इसके बारे में एक-दो सुझाव मैं दूंगा।

डूंगरगढ़ शहर और रेल्वे स्टेशन के बीच में कुछ एरिया घेर कर जंगलात एरिया घोषित किया गया था। लेकिन मेरे खुद के मौके पर जाकर देखने से पता चला कि वह म्युनिसिपल एरिया है। सरकार ने बिना जांच किये कि किसकी जमीन है, उस पर तार लगा दिये और उस पर कब्जा कर लिया। यद्यपि न तो उसमें जंगल ही लग पाता है और न म्युनिसिपैलिटी तरक्की कर सकती है।

स्टेट के वक्त हनुमानगढ़ में २००० बीघा शिकारगाह का जंगल था। उसको राजस्थान बनने के बाद खेती के लिये छुड़ा लिया गया और उस पर धान की पैदावार की जाने लगी। लेकिन उसके पास ही कोई तीन मील की दूरी पर जंगलात का एरिया घोषित कर दिया। अब वहां से लोगों को हटाया जायगा और दूसरी जगह जमीन दी जायगी। यह क्या बात है। ५,७ मील की दूरी में एक जगह से जंगल काट लिया जाता है और उस पर काश्त होने लगती है और दूसरी तरफ जिस जमीन पर लोगों द्वारा काश्त की जाती है, उसमें जंगल उगाये जाते हैं। इससे अव्यवस्था होती है। मैं इस तरह की बातें देख कर कहूंगा कि जंगल पंचायतों को सौंप देने चाहिये, नहीं तो इस तरह की बातें होंगी और ठीक कार्य नहीं होगा।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु०) : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे पांच कटौती के प्रस्ताव हैं जिनमें....

श्री सभापति : Please move them all together.

श्री धन्नालाल हरित : Yes, I will move them all together.

श्री सभापति : कृपया समय की सीमा पर भी ध्यान रखियेगा।

श्री धन्नालाल हरित : एँ साहब।

श्री सभापति : Kindly keep the limitation of time in view.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हिन्दी में बोलें।

श्री धन्नालाल हरित : अच्छा।....

एक माननीय सदस्य : ये तो बी. ए. हैं, अंग्रेजी में बोलें।

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, और जगहों की तो मुझे मालूम नहीं है पर इस मामले में कोटा के जंगलात की

(श्री धन्नालाल हरित)

मालूम है कि वहां २०–२०, २५–२५ बीघे के बीड़ हैं, जो वहां के काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उनमें मामूली घास उगती है और दस रुपये, बीस रुपये और पचास रुपये में ठेके पर दिये हैं, लेकिन उन बीड़ों पर जंगलात का एक एक आदमी तैनात है। वह आदमी उन मवेशियों को, जो कि गांव के हैं, पकड़ पकड़ कर कांजी हाउस में ले जाकर रखने का काम किया करता है। इसलिए यह गांव वालों के लिए सिरदर्द है और सरकार को उससे कोई आमदनी होती नहीं है। इस विभाग में उन आदमियों का पेट पलता है, यह ठीक है, पर वे सुपरफ्लुअस हैं। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इन बीड़ों को वह राजस्व विभाग को दे दे, ताकि सरकार की जो ग्रो मोर फूड की योजना है उसमें थोड़ा एडीसन हो जाय और लोगों को परेशानी से राहत मिले।

दूसरा कट मोशन मेरा कोटा जिले में विभागीय नाकों की संख्या कम करने के बारे में है। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री के भाषण की प्रेरणा से, जैसी कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम के लिए इकोनोमी करने की वजह से राजस्व मंडल की समाप्ति एवं फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स में कमी करने की घोषणा की है, मैंने भी इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान कुछ इस बात की तरफ आकर्षित किया है कि इस विभाग में बहुत सारे ऐसे नाके हैं जिनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है लेकिन अभी तक चल रहे हैं। एक समय था जब कि जंगलात का सारा काम रॉयल्टी के रूप में होता था, चिट्ठियों के रूप में होता था और इतने नाकों की आवश्यकता होती थी। आज विभाग का काम ठेकेदारों के द्वारा होता है। उस वक्त फॉरेस्ट गार्ड भी नहीं होते थे, फॉरेस्ट गार्ड अब रखे हैं। पहले चिट्ठी काटने वाला था तो नाकेदार था। डी. एफ. ओ. ऑफिस उस समय नहीं था। एक कन्ज़र्वेटर रहता था जो सारे डिस्ट्रिक्ट का काम देखता रहता था। उस समय कन्ज़र्वेटर, रेन्जर और नाकेदार, यह एक लिंक थी। आज आपने कई लिंक्स बना दी हैं, जैसे फोरेस्ट गार्ड बना दिये हैं और हर एक काम के लिए डी. एफ. ओ. है। रेंजर के यहां से चिट्ठी काटने का काम होता है लकड़ी लेने के लिए, डांडे लेने के लिए। जब कोई आदमी परमिट लेकर जायगा तो फोरेस्ट गार्ड फारेस्ट की रखवाली कर रहा है। तो तीन-तीन चार–चार जगह चेक करने के लिए इतने नाके रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि जो पुराने नाके हैं, जब आपका सारा पेटर्न बदल गया है, उनको रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि कोटा, बारां, शाहाबाद रोड पर से सारी चीजें जाया करती हैं, हर जगह से आती रहती हैं। आपने भंवरगढ़ में नाका रखा है, किशनगंज में रेंज थी उसका ऑफिस बारां में आ गया है, कल्याणपुरा पारवती में नाका है। इस तरह सारी चीजें बारां के लिए आती हैं, तो तीनों नाके बारां के लिए हैं। यह पहले का सेट-अप है। अब आपने सारा पेटर्न बदल दिया है, इसलिए इन नाकेदारों के लिए कोई काम नहीं रहता। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी कह देंगे कि हर एक जगह की इम्पारटेन्स है। इन नाकों को इसलिए

(श्री धन्नालाल हरित)

रखना पड़ता है क्योंकि इनकी भी इम्पोर्टेन्स है। मैं कहता हूं कि हरएक आदमी एक्जिस्ट तब ही करता है जब कि उसकी इम्पार्टेन्स रहती है। कोई न कोई बात बताते हैं, कोई न कोई काम लगा दिया जाता है और इम्पोटन्स की बात की जाती है। मैंने प्रेरणा रूप में यह बात कही है। वैसे इससे आगे भी है, जैसे यहां पर राजस्थान प्रान्तीय स्तर पर चीफ कन्ज़र्वेटर साहब मौजूद हैं और जिस प्रकार (घंटी) सरकार....

श्री सभापति : No playing to the galleries please.

श्री धन्नालाल हरित : लेकिन, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ कहना पड़ेगा, तब माननीय मंत्री को अपील करेगा, इसलिए कुछ बात बतानी चाहिये। उसकी भूमिका के लिए कहना पड़ेगा........

श्री सभापति : Yes, yes. You may speak.

श्री धन्नालाल हरित : I am speaking. जिस प्रकार राजस्व कमिश्नरी को तोड़ने का ऐलान किया है' उसी प्रकार मैं अर्ज करूंगा कि यह जो डिविजन लेवल पर जो कन्जर्वेटर है, उनको समाप्त कर दीजिये........

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : उनके पद को।

श्री धन्नालाल हरित : उनके पद को समाप्त कर दीजिये! या फिर उनको रखा जाता है' तो जितने डी. एफ. ओ. हैं उनको समाप्त कर दीजिये। अगर कन्ज़र्वेटर रहें तो डी. एफ. ओ.....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): आपकी किसी डी. एफ. ओ. से रंजिश हो तो बता दीजिये।

श्री धन्नालाल हरित : एक आदमी का सवाल नहीं है, पोस्ट की बात है, इकॉनोमी का सवाल है। मैं अर्ज करूं कि जितनी बीड़ दर्ज थी, सारी बीड़ों के लिए, हर बीड़ के ऊपर बेन लगा हुआ है, जंगलों को रोकने के लिये। उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ, सभापति महोदय, सारी समस्या यह है कि सरकार में नेसेसरी या अननेसेसरी ये आदमी या पोस्ट बढ़ी हैं, इनको किस प्रकार मेन्टेन किया जाय, इनकी किस प्रकार इम्पोरटेन्स कायम रखी जाय। इसलिये उल्टे सीधे जनता को परेशानी होती है। जनता परेशान होती है तो हम सरकार को बताने की कोशिश करते हैं, तो सरकार कहती है कि हम बीड़ों को मेन्टेन करते हैं, बीड़ों का सुपर्विजन करते हैं। इसमें जो जनता की तकलीफ आती हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। इसमें यह बात हो सकती है कि या तो टैक्निकली मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत अधिक सर्वेन्ट्स हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन पोस्ट्स में से कुछ पोस्टस को कम करके सरकार विभाग में थोड़ी इकॉनोमी करने की तरफ कदम बढ़ा सकती हैं

(घंटी)

श्री सभापति : आपका कटमोशन इकोनोमी कटमोशन नहीं है।

श्री धन्नालाल हरित : हां, हां; लेकिन विभागीय नाके की बात हैं, वह इकॉनोमी से सम्बन्धित है, उस सम्बन्ध में बात कही है।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कर लीजिये।

श्री धन्नालाल हरित : जल्दी, तो सभापति महोदय, आपने टाइम बढ़ा दिया है। जल्दी किसी के साथ नहीं हुई तो मेरे साथ नहीं होनी चाहिये, इतना मैं अर्ज करूंगा....

श्री सभापति : You are no exception.

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, मेरा तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कटमोशन है, जिसके बारे में करीब करीब कुछ माननीय सदस्य, जिनको कि जंगल का अनुभव नहीं है, जहां जंगल नहीं हैं, उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जहां जंगल हैं और जंगल से वहां की जनता को राहत थी, उन्होंने अपने अपने इलाके का अनुभव बताया है; वह है, जलाऊ लकड़ी के बारे में, जोकि उन्हें पहले आसानी से मिल जाया करती थी। अब उसमें विभाग ने अपनी इम्पारटेन्स दताने के लिए कि हम भी इतने इम्पारटेन्ट आदमी हैं सरकार के, इसलिए वहां कई प्रकार के उल्टे सीधे कानून, के द्वारा कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। उनकी तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान, सभापति महोदय, आपके द्वारा दिलाने के लिए रखा है।

(५.०० म० प०)

इस कटमोशन के द्वारा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक जमाना था जब कि भगवान् की दया से खूब जंगल थे, शासकों के दिलों में और लोगों के दिलों में किसी प्रकार कोताई नहीं थी। सभापति महोदय, जब जनता को यह मालूम होता है कि किसी चीज में तंगी आने वाली है, आगे जाकर उस चीज के मिलने में कठिनाई होने वाली है तो उस चीज को अधिक से अधिक तादाद में इकट्ठा करने की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित होता है। चाहे लकड़ी के बारे में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो या शक्कर के मामले में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, किसी भी चीज के बारे में जनता को जब यह मालूम हो जाता है कि यह चीज आगे जाकर मुश्किल से मिलेगी तो जनता उस चीज को इकट्ठा करने लगती है। जिस समय शक्कर की कमी हुई, कंट्रोल हुआ तो जो गृहस्थ शक्कर की कमी आने से पहले एक सेर भर भी शक्कर नहीं खरीदते थे उनको अगर १० सेर शक्कर का परमिट मिल गया तो उस सारी शक्कर को ले आते और उस सारी शक्कर को उन लोगों ने अपने काम में युटिलाइज किया है। इससे जनता को भूख बढ़ गई। इसी प्रकार वन विभाग ने लकड़ी की इम्पोर्टेन्स के लिए जनता में कठिनाइयां पैदा की हैं और जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो लकड़ी के लिए भी जनता की भूख बढ़ना स्वाभाविक था।

सभापति महोदय, दुनिया में किसी आदमी को कभी कोई काम नहीं मिलता, उसके करने के लिये किसी प्रकार का काम नहीं हो तो वह जंगल से लकड़ी लाकर पेट पाला करता था, ऐसी सेंटिमेंट्स की बात थी। कई आदमी जंगल से लकड़ी ला ला कर पेट पालते थे और जनता की दया के पात्र थे पर जनता की सरकार के इस विभाग ने उन गरीबों पर मुसीबत ढाई, वे लोग सबसे अधिक इनकी कृपा से वंचित हुए।

अब सभापति महोदय, कुछ थोड़ी सी यह बात रखी है कि हर आदमी सिर बोझे से

(श्री धन्नालाल हरित)

ला सकता है, पर सभापति महोदय, ज्यों ज्यों दुनिया की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, दुनियां का सोशियल वातावरण बढ़ता गया तो सिर के बजाय दुनियां में गाड़ी भी चली और लोग अपनी जरूरत की चीजें, गाड़ी या विहिकल्स से लाने लगे, कुछ मजदूरी करने वाले और कुछ अपनी जरूरतों को पूरी करने वाले थे। विभाग कह सकता है कि इस प्रकार की छूट दे दी गई तो लोग ला ला कर बेचेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ठेका दे कर बेचती है, वह तो पाप नहीं। सभापति महोदय फिर भूमिका बड़ी हो जायगी और आप टाइम की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे इसलिए मैं थोड़े में ही निवेदन करना चाहता हूँ। जो लोग लकड़ी लाकर अपना पेट पालते हैं उनकी बात छोड़ देता हूं पर जो लोग लकड़ी लाकर अपने घर की आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं, आज उन पर यह विभाग क्यों कुपित है। सभापति महोदय, जयपुर में, कोटा में और बड़े बड़े सभी शहरों में तो ठेकेदार लोग लकड़ी लाकर टाल लगा लेंगे, कोयला लाकर टाल लगा लेंगे, इसलिये शहर के रहनेवालों को किसी प्रकार की कठिनाई मालूम नहीं होगी पर देहातों में जहां कि ५० या १०० घरों की बस्ती है वहां कौन ठेकेदार टाल लगाने के लिए तैयार होगा, तो फिर वहां लकड़ी मिलेगी कैसे? तो इस तरह से इस विभाग ने रूरल एरिया में बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। कहा यह जाता है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Can the members change their seats ? He (Shri Mahendra Singh Powar) has changed his seat.

श्री धन्नालाल हरित : They can change seats but they cannot speak.

श्री महेन्द्रसिंह पवार (अजमेर–पूर्व) : They can change if they have legs.

श्री सभापति : If they can change their convictions they can change their seats also.

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, खैर, लोग लाते हैं लकड़ियां।

श्री सभापति : कृपया ५ मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री धन्नालाल हरित : जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब जवाब में कहेंगे, जैसा कि कुछ आदमियों से बात होती है तो वे कहते हैं, कार्ट लोड अलाऊ कर देंगे तो लोग जायेंगे, छोटी छोटी टांच लगायेंगे और फिर कभी जाकर लकड़ियां गाड़ी में भर कर ले आयेंगे। यह कुछ भावुकता की बात है, अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की बात है कि ऐसा कर देंगे, मन्त्री महोदय से ऐसा जवाब आयेगा; कार्ट लोड के बारे में....

श्री सभापति : मन्त्री महोदय क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे; यह पहले ही एन्टीसिपेट करने की बात नहीं। कृपया आप पांच मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री धन्नालाल हरित : ५ मिनट में खतम नहीं कर सकूंगा।

श्री सभापति : No. You will kindly wind up all your discussion within five minutes.

श्री धन्नालाल हरित : तो सभापति महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा कि एक आदमी न तो टांच लगा कर जंगल को बर्बाद कर सकता है और न एक आदमी इतना फालतू है कि वह इस तरह की बात करे। तो इस विभाग के किसी आदमी की इस प्ली को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कार्ट लोड अलाऊ कर देंगे तो लोग काट काट कर लकड़ियों को गिरा देंगे और फिर गाड़ी भर कर ले जायेंगे। आज लोग इतने फालतू नहीं हैं कि इस प्रकार का कार्य करें। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, और जगहों के बारे में मैं कह नहीं सकता पर कोटा डिविजन में यह समस्या और अधिक विकट है। इस समस्या से आम जनता अत्यधिक परेशान है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कार्ट लोड को अलाऊ कर दें। मैं तो फिर अर्ज करूंगा कि अगर कार्ट लोड अलाऊ करने से जंगल कम होते हैं तो कोई बात नहीं। जंगल यहां के हैं। अपने यहां की चीजों को युटिलाइज़ करने का यहां के लोगों को अधिकार है। यहां की जनता की आवश्यकताओं की पूरी तरह से पूर्ति हो जाय, उसके बाद ही लकड़ी या कोयला बाहर भेजा जाना चाहिये। ठेकेदारों को जंगल काटने के ठेके दिये जाते हैं तो उसमें यह कन्डीशन रखनी चाहिये कि तुम इस लकड़ी को अधिकतर यहां पर ही बेचोगे, कोयले को यहीं पर बेचोगे। अगर सरकार समझेगी कि यहां की आवश्यकता की पूर्ति हो गई है और अब राजस्थान में लकड़ी कम नहीं है तो बाहर भेजोगे।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए और इस मांग की इम्पोर्टेन्स को बढ़ाते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कार्ट लोड को अलाऊ कर दे। और मैं समझता हूँ कि जब मन्त्री महोदय जवाब देंगे तो इस बात का ऐलान कर देंगे कि कार्ट लोड अलाऊ की जाती है।

सभापति महोदय, मेरा चौथा प्रस्ताव यह है कि....

श्री सभापति : Please wind up in two minutes. Your time is up.

श्री धन्नालाल हरित : Within two minutes I cannot do it, Sir.

श्री सभापति : Make the best use of your time.

श्री धन्नालाल हरित : I must be given at least 10 minutes.

श्री सभापति : That is not possible.

श्री धन्नालाल हरित : All right. I shall try.

चौथा मेरा कटमोशन है, यह भी इम्पोर्टेन्ट सा ही है। इसके जरिये मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि कूप्स ठेकेदारों को न देकर सहकारी समितियों को दिये जायें। सभापति महोदय, सारी समस्या इस ठेके में छिपी हुई है ठेकेदारी प्रथा ऐसी है कि यह जीवन के हर क्षेत्र में पहले थी। राजस्व में भी यही ठेकेदारी प्रथा थी जो जागीरदारी प्रथा के नाम से मशहूर थी। उस जागीरदारी को सरकार ने बड़ी मजबूती से समाप्त

(श्री धन्नालाल हरित)

किया है पर इस जंगलात की ठेकेदारी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है, यह राजस्थान के दुर्भाग्य की बात है ।

सभापति महोदय, ये ठेकेदार अपने घर से कमाने के लिये निकलते हैं येन केन प्रकारेण अपनी जेब भरने के लिये । अगर अपना जंगल बर्बाद होता है या आमदनी कम होती है, उसकी परवाह ये नहीं करते । उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की आवश्यकता रहती है और वह इसलिये ऊपर से नीचे तक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिये हर प्रकार की कोशिश में लगा रहता है । इसलिए जब आपने ठेकेदारी की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए जो हमारे यहां बहुत बड़ी कमी थी उसको सरकार ने समझा है और हर जगह से सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त किया है । इसलिये इस प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप इसको भी समाप्त कर दें । पी० डब्ल्यू० डी० में भी ठेकेदारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है । जितने बिल्डिंग बनाने के कार्य हैं उनको सरकार अपने विभाग से बनवा रही है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो विभाग की तरफ से चीज बनाई जावेगी वह एक प्रकार से पब्लिक की बनी हुई चीज होती है, जिसमें एक व्यक्ति का इन्ट्रेस्ट नहीं होता है । १० या २० आदमियों की सहकारी समिति गरीब आदमियों की होती है । उनके पेट बड़े नहीं होते । वे थोड़ी सी कमाई पर संतोष कर लेते हैं और बड़े बड़े ठेकेदार अपना घर करना चाहते हैं । गरीब लोगों ने कुछ ग्रुप बना कर सरकार से मदद के लिये कोशिश की, मगर विभागीय कर्मचारियों की यह कोशिश रही कि जहां तक उनसे बन पड़ा उसमें रुकावटें ही रुकावटें पैदा करते रहें ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मुझे तो कुछ समय देना ही होगा ।

मैं यह कहूँगा कि सहकारी समितियां ५ प्रतिशत भी काम नहीं कर पा रही हैं । इसका कारण यह नहीं है कि वे काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन इसका कारण यह है कि विभाग के कर्मचारी उनको जंगल में आने देना नहीं चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : Give instances of the Samitis which have been rejected.

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री धन्नालाल हरित : इस बारे में....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : The bell from the Chair should be effective.

श्री धन्नालाल हरित : मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने दिल खोल कर कहा है और आपने किसी को नहीं टोका है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य घंटी की महत्ता को नहीं समझते हैं ।

श्री धन्नालाल हरित : मैं घंटी की महत्ता को अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं बहुत जल्दी ही अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपकी भावना को मंत्री महोदय ने समझ लिया है। वे जवाब दे देंगे।

श्री धन्नालाल हरित : दो मिनट।

श्री सभापति : No two minutes. Government reply has to be given and the votes on the demands have to be taken. one miute, wind-up.

श्री धन्नालाल हरित : सहकारी समितियों के बारे में आपको मिसाल देता हूँ। एक पटारी की सहकारी समिति थी। १२ महीने तक वह बहुत कठिन परिस्थिति में हो गई थी।

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) यह आप कौनसे साल की बात कह रहे हैं।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : रिछपाल नाम की समिति है।

श्री धन्नालाल हरित : जब लोगों के ध्यान में आया कि सहकारी समिति को जंगल विभाग की ओर से कूप मिल जाते हैं तो कुछ लोगों ने दूसरी सहकारी समिति बनाई। सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन सहकारी समितियों को ठेका नहीं दिया गया और इन्डिविज्युअल ठेकेदारों को ठेका दिया गया। यह गरीब लोगों की सहकारी समिति के प्रति अधिक अन्याय है।

(अनवरत् घन्टी)

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। इससे गरीब जनता का हित हो सकता है।

(घन्टी)

मैंने उन गरीब लोगों के हित के लिये आपका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (चुरू-सु०) : सभापति महोदय।

श्री सभापति : ५ मिनट में कृपया समाप्त करें।

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव रह गया।

श्री सभापति : Take your seat please.

श्री रावतराम (चूरू–सु०) : सभापति महोदय, इस मांग संख्या पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। इन कटौती के प्रस्तावों द्वारा मैं सरकार का ध्यान और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, सभापति महोदय, आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने काफी कहा है और इस विभाग को लेकर काफी आलोचना हुई है और उसके द्वारा इस विभाग की आवश्यकता की ओर ध्यान सरकार

(श्री रावतराम)

का दिलाया है। मैं विशेष तौर से चूरू जिले की ग्राम लीलकी, तहसील राजगढ़ में जो बीड़ पड़ा है जो करीब ३ या ४ हजार बीघा का है उसको तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो जंगलों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। जंगलों से कई तरह के लाभ होते हैं। लकड़ी मिलती है, ईंधन मिलता है और दूसरा सबसे बड़ा काम हमारे यहां होता है वह रेगिस्तान को रोकने के लिये बहुत उपयोगी है। तो खास तौर से भीलवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्यों के लिये मैं यह कहूंगा कि वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनके यहां बड़े बड़े जंगल हैं और उन्होंने जंगलों का विकास किया है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि बीकानेर डिविज़न के उधर रेगिस्तानी इलाका है और खास तौर से जंगल नहीं हैं और न उधर के जंगलों से सरकार को कोई स्थाई आमदनी है और न जंगल लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये खास तौर से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस तरह से जंगलों को व्यवस्था सुधारने के लिये कार्यवाही दूसरी जगह की जा रही है उसी तरह से इस इलाके में भी इसके लिये प्रयास करना चाहिये। हालांकि वहां इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन बड़े दुःख की बात है कि हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर जंगल लगाने के लिये या रेगिस्तान को रोकने के लिये सरकार ने कदम नहीं उठाया हो। वहां पर खास तौर से कोई बड़ा जंगल तो है नहीं। बीड़ पुरानी जमीन के बहुत पड़े हैं। बीड़ कई हजार बीघा का पड़ा हुआ है और जमीन पड़ी है। उसको संभालने वाला नहीं है। वहां पर लकड़ी और दूसरी चीजें होती हैं उनको भी संभालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैंने अपने कट मोशन द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया है कि ऐसे बीड़ हैं उनको संभाला जावे और सुचारु रूप से चलाए जावें और इसके लिये इनको पंचायत समिति को दे दिया जावे जिससे पंचायत समिति को आमदनी होगी और उनको भी देखभाल हो सकेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि जिस प्रकार मैंने अभी राजगढ़ तहसील का जिक्र किया उसी प्रकार बहुत से छोटे छोटे बीड़ वहां और पड़े हैं। वहां एक गांव में ५ या १० परिवार हैं। काफी जमीन पड़ी है। वहां पर काफी चारा, बाजरा हो सकता है। तो मेरा यह सुझाव है कि उनको पंचायत समितियों को दे दिया जावे ताकि उनको पशुओं को चराने के लिये काम में ले सकें और वह पशुओं के चराने में काम आए या फिर उस बीड़ को हटा कर काश्त काबिल जमीन घोषित कर दी जाय ताकि उन परिवारों को देकर उसको काम में लायी जा सके।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह तो मैं आशा करता हूँ कि इस गांव के बीड़ के लिए मैंने यह सुझाव दिया है उसके लिए मंत्री महोदय खास तौर पर आश्वासन देंगे।

तीसरा मेरा कट मोशन है वह यह है कि यह रेगिस्तान का एरिया है। शहर के

(श्री रावतराम)

आसपास में धोरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले सरदारशहर के पास थोड़े २ धोरे थे। अब आप बाहर जाइये तो देखेंगे कि चार-चार, पांच-पांच मील तक धोरे फैल गये हैं। वहां पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी होगा लेकिन उसका कोई काम नजर नहीं आया है। दूसरी संस्थायें हैं। उन्होंने भी ज्यादा काम किये हैं। सड़कों और रास्तों पर वृक्ष लगाये हैं। मेरा मतलब यह है कि रेगिस्तान को रोकने के लिए, धोरों को रोकने के लिए, वहां पर वृक्ष लगाने चाहिये जिससे कि रेगिस्तान रुक सके।

तो मेरा पहला कटौती प्रस्ताव गांव के बीड़ के सम्बन्ध में था। खास तौर पर मंत्री महोदय उस ओर ध्यान देंगे और कार्यवाही करेंगे; यह मैं आशा करता हूँ।

श्री सभापति : Hon'ble Minister.

श्री सम्पतराम (वन मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, जंगलों के विषय में इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीके से विचार दिये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने जंगलों के विषय में वैज्ञानिक तरीकों से सोचा है, कुछ ने अपनी स्थानीय समस्याओं को बताया है, कुछ ने विभागीय अव्यवस्थाओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पांच-सात मोटी २ बातें हैं जिनके ऊपर मुझे खास तोर से सदन के सामने अर्ज करना है।

जंगलों की आज के दिन हमारे राजस्थान में, देश में या दुनिया में जो महत्व माना जाता है उस ओर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। हर एक इन्सान जो भी रहता है वह जानता है कि इसका अपना स्वयं का महत्व है। कोई पेड़-पौधा होता है, इन्सान रहता है तो उनके आपस में संघर्ष भी चलते रहते हैं! यह तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन एक बात जो मैंने खास तौर पर सदन में विचार-विमर्श हुआ उसमें सुनी वह यह कि कोटा और दूसरी जगहों पर जंगलात विभाग की तरफ से जो जो कन्सेशन्स, सहूलियतें समय समय पर विज्ञप्तियों के द्वारा दी जाती रही हैं उनके बारे में विभाग द्वारा पालन नहीं होता। यह बात सही नहीं है। जितनी विज्ञप्तियां, आदेश, सर्कुलर सरकार की ओर से दिये गये उन सब का पालन होता है। यह हो सकता है कि किसी किसान को, काश्तकार को हमारे विभाग की गलती से, उसकी ना-समझी से किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो, लेकिन यह कहना कि राज्य सरकार की ओर से रोका गया है, यह गलत बात है। मैंने उदयपुर डिविज़न के बारे में बार बार पूछा। किन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने मेरे ध्यान में लाने का प्रयत्न नहीं किया कि वहां पर किस प्रकार के सरकार द्वारा दिये गये कन्सेशन्स के लिए विरोध है या विभाग उनका पालन नहीं कर रहा है? जहां तक कोटा का सम्बन्ध है उसमें सारे कन्सेशन्स मिलते हैं सिर्फ कार्ट्स लोड्स को बन्द किया है कुछ समय के लिए।

कल जब इस बात का सवाल आया कि इस डिमान्ड का जवाब देना है विधान सभा में, तो मेरे दिमाग में भी आया कि सारे कट मोशन्स का फैसला एक दिन पहले क्यों न कर दिया जाय। लेकिन सरकार कोई

(श्री सम्पतराम)

डिक्टेटरशाही की सरकार नहीं है, चुनी हुई आपकी है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं काश्तकार रहा हूँ या नहीं? काश्तकार रहा हूँ, मजदूर रहा हूँ....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : खेतीहर किसान ?

श्री सम्पतराम : yes, खेतीहर किसान, खेतीहर मजदूर। अब भी मेरी फेमिली यह काम करती है।

सवाल यह है, आज के दिन जब हम जंगलों के बारे में विचार करते हैं तो एक बात लक्षित होती है कि सिर्फ यह टोटे की लड़ाई थी। जंगल हमारे पास इतने नहीं हैं। जहां कहीं आप जाकर देखिये, कहीं पर टूटा–कटा मिलेगा, रोनक नहीं मिलेगी, आपको डेमेज्ड जंगल मिलेंगे। कोटा के पास रहने वाले लोग जानते हैं, रोजाना पांच सौ हैड लोड आते हैं। इर्द-गिर्द के जंगलों से काटते हैं। समाज की यह एक व्यवस्था है। लोग लकड़ी लाते हैं और काम करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि एक जमाना जरूर आवेगा, समाज–व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। एक माननीय सदस्य कहते थे कि परम्परा से यह चलता आ रहा है कि लक्कड़हारा लकड़ी लाया करते थे, जंगलों से गुजर करते थे, सम्पत्ति होती थी। इस प्रकार की समाज व्यवस्था को आज नहीं रखना है, उसको बदलना होगा। हम नहीं चाहते कि मजदूरों के प्रति आप आदर न रखें या उनके श्रम के प्रति आदर न रखें। ऐसी बदली व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। इसके लिए ..का ऑल्टरनेटिव ऑक्युपेशन देने के लिए सरकार तत्पर है, कहीं सिंचाई के साधन जुटाये जा रहे हैं, उद्योग–धन्धे जुटाये जाते हैं। गांधी-सागर डेम पर जाकर देखा, वहां पांच हजार मजदूर काम करते थे। उनमें आपको सीकर, झुंझुनू, जोधपुर के भागों से आये हुए काम करते दिखेंगे। इसी तरह से मद्रास से आये हुए लेबर काम करते हुए दिखेंगे। तीन से पांच रुपये की आमदनी करते थे, लेकिन हमारे स्थानीय भाई टांची लेकर जंगलों में घूम रहे हैं और ठेकेदारों से बारह आने, आठ आने लेकर काम करते थे। यह तथ्य की बात है। मैंने स्वयं ने देखा है। आज भी काम करते हैं। जंगल का विकास इस बात में है कि थिंकिंग जंगलों के बारे में जो आज आपका है उसको बदलें और उसको बदलने के लिए जो समाज का शिक्षित वर्ग है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ, गान्धी सागर डेम में जाकर देखें कितना स्थानीय लेबर काम करता है? वहां ८० प्रतिशत बाहर से, मद्रास से आता है, काम करता है। वहां के आदमी को इज़ी लाइफ लीड करने का मौका मिला है और उसी तरह से चलते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले या बहुत वर्षों पहले इतिहास देखते हैं तो मिलता है कि इन्सान जंगलों में रहते थे, रीति–रिवाज नहीं थे, कानून नहीं था। क्या उस समय के मुताबिक चलेंगे? समाज व्यवस्था बदलनी होगी। कोई न कोई नीति इसके लिए बनानी होगी? चैक और बेलेन्सेज़ लगाये जाते हैं तो वे फोरेस्ट के कन्ट्रोल के लिए लगाये जाते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए माननीय सदस्य कह रहे थे, जंगलों का एरिया बढ़ा नहीं है, डेमेज्ड हो गये हैं जंगल। राजस्थान में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में हुए हैं। फीगर उठा कर देख लीजिये, पोपु-

(श्री सम्पतराम)

लेशन कितनी बढ़ी है । ३३ प्रतिशत उस इलाके की पोपुलेशन बढ़ गई है ।

जंगलों के जो साधन हैं, सम्पत्ति है वह तो उतनी ही रहती है । ३३ प्रतिशत जब आबादी बढ़ी है उस अनुपात से जंगल नहीं बढ़ा है। अगर हम उस अनुपात से नहीं बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से डेमेज़ होगा । जो चीज ७० प्रतिशत लोगों के लिये है अगर उस पर हन्ड्रेड पर्सेन्ट लोग आ जाय तो यह निश्चित है कि उसमें डेमेज होगा ।

एक बात और कही गई कन्डीशन्स के बारे में । मेरी कोई जिद्द नही कि हमें किसी प्रकार की कन्डीशन लगानी ही चाहिये। लेकिन जहां जंगलों का प्रश्न है वहां हमें जंगल की थ्योरी को समझना पड़ेगा । सदन के माननीय सदस्यों ने जंगलों की पृष्ठभूमि को नहीं समझा है । यदि हम उसको नहीं समझते हैं तो यह न पब्लिक के साथ न्याय है और न सदन के सदस्यों के साथ ही न्याय करेंगे । जंगल कब कटता है, पेड़ कब कटता है, किस समय उसकी कोंपलें उतारी जाती हैं, ये सब वन से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं । इस पर हम विचार करते हैं तो अभी जैसा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि वर्किंग प्लान्स नहीं बने, सेटलमेंट नहीं हुआ । सारे राजस्थान के लिये पूरे वर्किंग प्लान्स नहीं बने १३ डिविज़न्स हैं जिनमें से आठ में काम चल रहा है । वर्किंग प्लान्स बनने के बाद भी अगर हमारे सदन का इसी प्रकार थिंकिंग रहा तो वर्किंग प्लान बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा, थ्योरी को मानते हुए भी उसका महत्व नहीं रहेगा । वर्किंग प्लान के अन्तर्गत यह डिटर्मिन करना पड़ेगा कि कितने साल किस वन को संरक्षण मिल सकता है और किसको कितना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने किसानों के बारे में कहा था कि उनको बहुत दुख है । वे बड़े चिन्तित हैं । लेकिन उनसे मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि किसी हद तक कम तकलीफ मुझे भी नहीं है । जहां सरकार इस तरफ विचार करने को तत्पर है और आतुर है वहां सरकार यह भी सोचती है कि एक तरह की जो वर्किंग स्कीम बनती है, ठेकेदार को समय पर ठेका नहीं देना और जो हम रेगुलर फेलिंग करने जा रहे हैं उससे शुरू शुरू में वहां के काश्तकारों के लिये जिनको कन्सेशन्स मिलते हैं उन कन्सेशन्स को रिजर्व कर देते हैं तो वहां की आवश्यकता पूरी नहीं होगी; उन वृक्षों की परवरिश आगे चल कर १५ साल के बाद होगी ।

दूसरा सवाल यह आता है कि क्या जरूरत है इस बात की, जिस तरह से पहले से चला आ रहा है उसी तरह से चलने दिया जाय, लेकिन यह मान कर चलिये कि अगर उसी प्रकार चलते रहने दिया गया तो जिन स्थानों पर आज सघन वन दिखाई देते हैं वे देखने को नहीं मिलेंगे । हमारी पोपुलेशन इन्क्रीज़ हो रही है एक तरफ, तो जंगलों की जमीन है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा था, उस जमीन में कमी हुई है । लेकिन हम जहां आबादी की पर्सेन्टेज़ को देखते हैं तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जंगलात की जमीन है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा था, वह कम होती जा रही है । एरियाज़ जो रिलीज़

(श्री सम्पतराम)

हुए हैं, हमारे यहां पर्सेन्टेज को देखें तो वह सारे हिन्दुस्तान के पर्सेन्टेज को देखते हुए हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले कम हैं। देहली, पंजाब और एक-दो सूबों को छोड़-कर हमारे फोरेस्ट का पर्सेन्टेज लोएस्ट है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : डेमेजेज़ की क्या पर्सेन्टेज है, वह भी बता दीजिये ?

श्री सम्पतराम : मैं जो फैक्ट बता रहा हूं उसे सुनिये । मैंने भी आपका भाषण शान्ति से सुना था । हमारा सूबा ऐसा है जिसमें चालीस पर्सेन्ट फोरेस्ट है । एक विचार इस तरह का जरूर दिमाग में रहना चाहिये, जंगल का संरक्षण हो, डेमेजेज़ कम हों। लेकिन इसके साथ साथ यह समझना कि इस तरह से सरकार की काश्तकारों को और किसानों को परेशान करने की नीति है, यह बात नहीं है । इस बारे में कुछ शिकायतें की गईं। उनमें सही भी हैं। कई विभाग के ध्यान में भी आई हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जानकारी जो आई वह गलत तरीके से भी आई है। सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने शहरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जिक्र किया था कि उसको ठेका नहीं मिला, यह गलत बात है। हरेक सोसाइटी को ठेका दिया ही जाय, यह भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि कई जगहों पर जहां कन्सेशन्स दिये गये हैं वहां वे अब नहीं हों, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अभी तक वे कन्सेशन्स कायम हैं और उन पर अमल होता है। सिर्फ उदयपुर डिविजन में जो कार्ट लोड लकड़ी लाने दी जाती थी वह कुछ अरसे के लिये बन्द कर दी गई है। फिर भी सरकार इस बारे में विचार कर रही है, जैसा भी निर्णय इस बारे में होगा मैं बताऊंगा। उस सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय लेने की कोशिश करेंगे।

सहकारी समिति के बारे में कहा गया। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सहकारी समिति को ठेका नहीं दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसको नहीं दिया गया ? ऐसी भी सोसाइ-टीज़ हो सकती हैं जिनमें बकाया हो सकती है। मैं खुद कहता हूं कि मैंने बूंदी की एक को-आपरेटिव सोसाइटी को ठेका देने के लिये रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको दिया जाय, क्योंकि वह सोसाइटी इस प्रकार की थी जिसमें एक ही परिवार के भाई-बन्धु मिल गये थे। पिता, पत्नी, लड़की व उसका बेटा : इस तरह के लोगों की वह सोसाइटी बनी हुई थी। तो इस तरह की को-आपरेटिव सोसाइटीज़ को तो हमें नहीं पन-पाना चाहिये।

को-ऑपरेटिव का हम नारा लगाते हैं। यह हमारा और केन्द्रीय सरकार का नारा है। हम को-ऑपरेटिव के आधार पर एक अच्छी अर्थ-व्यवस्था कायम कर सकते हैं। इस नीति को हमने काफी प्रोत्साहन दिया है। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूँगा जिससे आपको मालूम हो सके कि कितनी कितनी को-ऑपरे-टिव्ज़ को हमने किस किस साल में तरजीह दी है, कूप्स किन किन को दिये गये हैं:—

सन् ५५-५६ में सिर्फ चार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिये गये।

(श्री सम्पतराम)

सन् ५७–५८ में दस को। ५८-५६ में १४ को। सन् ५६.६० में २५ को। और ६०-६१ में ४३ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को कूप्स दिये गये हैं। वे डिफरेन्ट टाइप्स के दिये गये हैं। को-ऑपरेटिव बनाने के लिये जो कूप्स देने की बातें सरकार सोचती है वह इस तरह की नहीं कि एक को-ऑपरेटिव बना दी, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति किसी प्रकार की हो, केवल को-ऑपरेटिव है उसको कूप्स दे दिये जाय यह एक विचारने लायक बात है। हमें को-ऑपरेटिव बनानी है। वह इस तरह की बनानी है कि वह स्वतंत्र और स्वावलम्बी इन्स्टीट्यूशन के समान हो और जो शोषण करनेवाली न हो। अगर हमें को-ऑपरेटिव्ज़ को ठीक प्रकार से चलाना है तो हमें उसके लिये कर्जे की व्यवस्था करनी होगी। वर्किंग केपिटल उसकी क्या है, यह भी हमें देखना होगा। उसमें हमें एक्पीरियन्स्ड आदमी देने होंगे। विभाग की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से उस पर वाच करना पड़ेगा। हमने को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देने के बारे में महसूस किया कि उनको ज्यादा लोन मिलने चाहिये। उसके लिये हमने तीन लाख रुपया इसी बात के लिये रखा। को-ऑपरेटिव्ज को लोन देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। उसके बाद शेयर केपिटल का कॉन्ट्रिब्यूशन करें। उसके बाद विभाग को यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि बाकायदा इस पर कन्ट्रोल रखे और उसका पथ–प्रदर्शन करे। इसके लिये हमने डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की एक अलग पोस्ट कायम की है। आज को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन के बारे में अच्छी रिपोर्टस् नहीं आई हैं। बहुत सी को-ऑपरेटिव सोसाइटियों ने लोन लेने से इन्कार किया है। हो सकता है यह लोन देरी से मिल रहा हो इसलिये उन्होंने लेना नहीं चाहा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि को-ऑपरेटिव सोसाइटियां स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर सही मायने में को-ऑपरेटिव सोसाइटियां बन सकें और इसी के मुताबिक हम कार्य करें। जहां तक सरकार का सवाल है वह हमेशा इस बात के लिये तैयार रहेगी; इस प्रकार की सोसाइटियों को प्रोत्साहन देने के लिये।

रेवेन्यू के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं। उस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सवाल पर कोई ठीक तरीके से विचार नहीं हुआ। जब कोई एक्सपेन्डीचर होता है उस पर तो दो तरीकों से ख्याल फरमाना चाहिये। वह यह कि किस जगह नर्सरी होनी चाहिये, नर्सरी की कहां किस प्रकार की आमदनी होनी चाहिये। इससे डाइरेक्ट आमदनी नहीं हो सकती। लेकिन जंगलों की रक्षा करने में इनसे मदद जरूर मिलती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि जितने भी प्लान के आइटम्स हैं उनको छोड़ कर नोन-प्लान्ड एक्सपेन्डीचर है उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा:—

सन् ५५-५६ में	३०. ३८ लाख रुपया	
सन् ५६-५७ में	३२. ३८	,,
सन् ५८-५६ में	४१. ४०	,,
सन् ५६-६० में	४३. १६	,,
सन् ६०-६१ में	४४. २६	

(श्री सम्पतराम)

सन् ६१-६२ में एस्टीमेट दिया है वह ६२ लाख का दिया है। अगर ये फिगर्स ठीक से उतरते हैं तो हमको ५४ लाख रुपया मिलेगा। जो प्लान्ड एक्सपेन्डीचर के लिये रुपया रखा है उसका फायदा आगे चल कर मिलेगा। इससे कोई यह चाहे कि इमीजियेट प्रोफिट हो, तो वह होने वाला नहीं है।

नोन प्लान्ड एक्सपेन्डीचर जो है वह बढ़ा है। इस तरह से कुछ अधिकारी भी बढ़े हैं। इसके अलावा उनके ग्रेड, डी०ए० आदि में भी वृद्धि हुई है। इसलिये यह सोचना गलत है कि इससे आमदनी नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। जहां कहीं भी हमने को-ऑपरेटिव को तरजीह दी है, जहां तक मेरा ख्याल है उसमें हमें जो प्रोफिट मिलना चाहिये वह नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि को-ऑपरेटिव्ज़ को जो कूप देते हैं उसमें ठेके के मुकाबले कम पैसा आता है, तीन साल के एवरेज पर दिया जाता है।

तो जब हम विचार करें तो इस सारी पृष्ठभूमि में देख लेना चाहिये।

दूसरी बात सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि बहुत से पौधे खत्म हो जाते हैं। काश्तकार भी खेती बोता है तो बहुत सी खेती उसकी भी खराब हो जाती है। जोधपुर-बीकानेर से आने वालों ने कहा कि पेड़ उधर नहीं लगाते। मैं निवेदन करूं कि उधर तो हर साल फसल भी अच्छी नहीं होती, उसके लिये भी पानी का अभाव रहता है और कभी कभी तो हमें उधर से कैटल तक को मूव करना पड़ता है। तो आसान नहीं है डेज़र्ट में पौधे लगाना। पर फिर भी प्रयत्नशील हैं। हमारा रिसर्च स्टेशन इस बारे में जोधपुर में काम कर रहा है टैक्निकल पर्सोनल्स हैं, जितना जो कुछ किया जा सकता है किया जा रहा है। यह जरूर है कि जितनी आशाएं यहां सदन में और जनता में की जाती हैं उसके मुताबिक तो खिदमत नहीं कर रहे हैं। पर खिदमत करने की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, जितने २ साधन हमारे पास होंगे हम उनसे इस काम को भी और आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं।

गेम सेन्क्चुअरीज़ जितनी बनाई हैं वहां बहुत से टूरिस्टस आते हैं और ठहरते हैं। एकाध दिन फालतू भी ठहरते हैं। तो इससे आपको एक्सचेन्ज मिलती है। तो यह सारा इन्कम के पोइन्ट ऑफ व्यू से भी हो जाता है। ब्लैक बग बहुत से सूबों में नहीं मिलती। बहुत से ब्लैक बग और टाइगर देखने के लिये यहां आते हैं। गेम सेन्क्चुअरीज़ का प्रबन्ध न हो तो एकाध दिन कम ठहरें। ऐसा कहा गया कि जो भी टाइगर वगैरह देखने जाते हैं तो उनसे पैसा लिया जाता है। ऐसा नहीं है। मारने को जाते हैं उनको तब तो परमिट देते हैं और इस पर एक निश्चित फीस लेते हैं। पर देखने को जाते हैं या आते हैं तो उनसे कुछ नहीं लेते, बल्कि उनका वैलकम करते हैं और टाइगर को भी कहते हैं कि वह भी उनका वैलकम करे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मुझे यह बतलाया गया कि ५०) रु० फीस के लिये जावेंगे, इसलिये कहा था।

श्री सम्पतराम : मैं भी सारी जानकारी करने के बाद निवेदन कर रहा हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : फीस लगाने के सी. सी. एफ. ने आदेश दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : गेम सेन्क्चुअरीज़ के बारे में कहा था कि इसमें एक्सपेन्डीचर ज्यादा हो रहा है। इसका कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान है क्या इस बारे में?

श्री सम्पतराम : राजस्थान में जागीरदारी और बिस्वेदारी को रिज्यूम करने के बाद १८ हजार स्क्वेअर माइल जंगल आता है। इसका सैटलमेन्ट करना है। वर्किंग प्लान बनाना है। पर ७०६ स्क्वेअर माइल का सैटलमेन्ट अब तक हम कर पाये हैं। इसके अलावा ३ हजार का प्रिलिमिनेरी सर्वे वगैरह कर रहे हैं और शेष ८ हजार एरिया तहत में और लेना है।

बहुत से सदस्यों ने बाउन्ड्री से सम्बन्धित सवाल उठाये। बाउन्ड्री के डिमार्केशन के रूल्स बने हुए हैं और सारा काम उसके मुताबिक होता है। जैसा रेवेन्यू सेटलमेन्ट का प्रोसीजर है करीब करीब वैसा ही जंगलात का है। इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी चलती हैं और गवर्नमेन्ट की भी चलती हैं। इससे जागरूक किसानों को और हम सब को भी होना पड़ेगा; अन्यथा हम इसे ठीक तरह से समझ नहीं पावेंगे। वर्किंग प्लान के बारे में तो मैंने पहले अर्ज किया था।

कल्चरल ऑपरेशन के बारे में और बातों के लिये बांसवाड़ा से आने वाले और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां एक मिल लगाई जा रही है और बहुत बड़ा एरिया उनको दिया जा रहा है। बात यह है भारत सरकार ने जर्मनी और दूसरे बाहर के मुल्कों से एक्सपर्ट बुलाये थे अपने यहां के जंगलों को डेवलप करने के लिये। और इसके लिए टैक्निकल सुझाव लेने के लिये। उन्होंने सारे एरिया को देख उनकी राय में यह डेमेज्ड टीक फोरेस्ट है। बल्ले उसके कहीं दो इन्च मोटे हैं, कहीं तीन और कहीं चार इन्च मोटे हैं। कोई प्रोपरटी डेवलप्ड फोरेस्ट नहीं है। इसको डेवलप करने के लिये जनरल टैक्निकल ओपीनियन यह है कि इसका कल्चरल ऑपरेशन किया जाय। इसके लिए निश्चित ऊंचाई से ऊपर पेड़ को एक तरफ से काट देना होता है ताकि आगे चल कर तीस चालीस साल में यह एक रूप से बढ़ सके और तब तक एक अच्छा फोरेस्ट बन जाय। तो इसका कल्चरल ऑपरेशन करना जरूरी है। अभी भी कर रहे हैं। प्लान में हमने इसके लिये पैसा रखा है। उसकी कटाई के लिये उसे प्रेटी कन्ट्रॉक्ट पर भी देते हैं और डिपार्टमेन्टल तरीके से भी कटाते हैं। अब उस जगह हम चिप बोर्ड इन्डस्ट्री अगर लगाते हैं तो उससे जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह कटाई करने पर जो कटी हुई लकड़ी हमें फैंकनी या जलानी पडेगी वही इसके काम आ जावेगी। फिर हम इन्डस्ट्री जब लगाते हैं तो कई तरह सोचना पड़ता है। डाइरेक्ट कॉन्ट्रेक्ट देने से कितना लाभ होता है उतना ही इससे हो जाय यही एक पोइन्ट नहीं हैं, और भी पोइन्ट से हमें सोचना होता है। सैंकड़ों लेबरर्स इसमें लगेंगे उनको एम्पलॉयमेंट मिलेगा, इन्कम टैक्स हमें मिलेगा। मुल्क में जब इन्डस्ट्री बढ़ती है तो मुल्क की बहबूदी

(श्री सम्पतराम)

होती है । जिसको हम फालतू फैंकते वह रॉ मैटीरियल के तौर पर इसमें काम आ जावेगा। तो मैं तो समझता था कि इसके लिये हमें एप्रीहेन्शन मिलेगी पर उसके बदले में क्रिटिसिज्म मिलता है, यह दुख की बात है । फिर कोई भी चालीस-पचास लाख की बड़ी इंडस्ट्री लगाता है तो उसकी श्योरटी तो चाहेगा ही । यह तो नहीं हो सकता कि आप बाद में उसे कह दें कि आपको रॉ मैटीरियल नहीं देंगे । तो सरकार को गारन्टी तो देनी पड़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह : ६ लाख वार्षिक घाटे पर क्यों दे रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : यह तो आपका ख्याल है ।

श्री भैरोंसिह : कॉन्ट्रेक्टर को देकर देखिये, आपको छः लाख ज्यादा मिलते हैं कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : सोएबल मैटीरियल मिलना चाहिये वह तो मिलेगा ही । इसमें कोई शक–शुबाह नहीं है । पर इन्डस्ट्री को भी हमें रॉ मैटीरियल तो देना पड़ेगा । नहीं तो चालीस लाख रुपया वह यों ही नहीं लगा सकता, उसको श्योरिटी भी देनी होगी । गारन्टी के बिना तो काम नहीं चलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप गारन्टी दे सकते हैं, पर अपनी ग्रान्ट खोकर नहीं ।

श्री सम्पतराम : घाटे का कोई सवाल नहीं है ।

श्री सभापति : I would advise the Hon'ble Minister not to enter into a controversy and continue his reply.

श्री सम्पतराम : एक बात श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताई कि बहुत से कॉन्ट्रेक्टर्स की तरफ बकाया है और उन्होंने यह कहा कि मेरी जानकारी में वह है । लेकिन, सभापति महोदय, मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्टर नहीं है कि जिसके ऊपर कोई रकम बकाया हो ।

श्री भैरोंसिंह : आप एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखिये और फिर कहें कि किसी कॉन्ट्रेक्टर में बकाया नहीं है ।

श्री सभापति : Let him reply.

श्री सम्पतराम : अगर ऐसी बात है तो माननीय सदस्य से मैं खुद बात कर लूंगा । अगर वे कोई ऐसी बात मेरे नोटिस में लाते हैं तो मैं उसे देखूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : पर आप ऐसा न कहें कि किसी में बकाया नहीं है ।

श्री सम्पतराम : बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि छोटे छोटे जंगल के टुकड़े पड़े हैं उनका कोई उपयोग नहीं होता है क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि यह खेती के लिए हैं और किसी के लिए कहा जाता है कि यह फोरेस्ट के हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने एक फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी एस्टेब्लिश की थी और उस कमेटी ने सभी जिलों का जो जो भी सम्बन्धित थे उनका दौरा किया और दौरा करके उसने रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट पर

(श्री सम्पतराम)

सरकार ने विचार किया। उस कमेटी में कलेक्टर, डी० एफ० ओ० और दूसरे एक दो पब्लिक के आदमी हैं। अगर उस कमेटी ने कह दिया कि यह जमीन फोरेस्ट में नहीं बल्कि खेती में जानी चाहिए या रेवेन्यू से फोरेस्ट में जानी चाहिए तो इस कमेटी का फैसला हम स्वीकार करते हैं। अगर उसमें कोई झगड़ा हो तो वह सरकार के पास आता है। इसके अलावा हमारी विभागीय व्यवस्था के बारे में जिक्र करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ बातें यहां पर कहो। हर एक को अपने विचार प्रकट करने की आजादी है और वह करें। लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहां के हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हिन्दुस्तान के सबसे उत्तम अनुभवी आदमियों में से एक हैं जिनकी इन्टीग्रिटी और कार्यकुशलता के लिए कोई शक शुबाह नहीं है और आपके जैसे टैक्निकल क्वालिफिकेशन वाले आदमी नहीं मिलते। मैं नहीं चाहता कि कोई माननीय सदस्य बीच में सर्विसेज़ को लेकर इस तरह के विचार व्यक्त करें। यह ठीक नहीं होगा और इस तरह से करना सर्विसेज़ के प्रति अन्याय होगा। मैं इतना ही केवल उनके लिए कह सकता हूँ कि जो कुछ भी जंगलात के मामले में वाजिब है उसके मुताबिक ही वे कार्य करेंगे। इसमें किसी को कोई शक शुबाह करने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन ने राय दी है कि इनको रिटायर कर दिया जाये और कोई एक्सटेन्शन नहीं दिया जाये, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को सरकार ने क्यों नहीं माना?

श्री सम्पतराम : पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टीट्यूशन में फॉर्म्ड बॉडी है, पर जो कायदे–कानून में होगा उसके मुताबिक होगा।

श्री भैरोंसिंह : एक जनरल प्रिन्सिपल है कि ६० वर्ष के बाद एक्सटेन्शन नहीं दिया जाये। फिर इसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिख कर भेजा है, फिर भी सरकार ऐसी नियुक्ति कैसे कर रही है?

श्री सभापति : If the Hon'ble member desires certain information it is open to him to give due notice and ask through a question.

श्री सम्पतराम : इसमें सभापति महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि यह बड़ी नीति की बात है। इसमें मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया कि वहां रेन्ज का इलाका है। उसके लिए थोड़ी कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से १४०० एकड़ ऐसा एरिया है कि जहां प्लान्टेशन हुआ है। लेकिन सारे एरिया में पेड़ लगाना उपयोगी नहीं है। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जो बातें कहीं हैं, हम कोशिश करेंगे, सरकार कोशिश करेगी कि इनको ठीक किया जाये। अगर कहीं इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं और सिवाय कट मोशन्स के और कोई बात मेरे नोटिस में आई तो मैंने बराबर उनके ऊपर एक्शन लिया है। अगर किसी भी विभाग में करप्शन है तो एक्शन तो कायदे–कानून के मुताबिक ही लिया जा सकता है। अगर कायदे–कानून

(श्री सम्पतराम)

के मुताबिक एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर आप जो दूसरी इन्डिपेन्डेन्ट बॉडीज़ की बात करते हैं तो वह भी उनके संरक्षण के लिए है। तो इस प्रकार के तथ्य यदि हमारे नोटिस में कोई लाये जायेंगे तो विभाग की ओर से इन्क्वायरी की जायेगी और अगर बात सही होगी तो दण्ड दिया जायेगा। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा के ठेके के बारे में कहा। यह गलत बात है। जिसने भी ऊंची बोली दी उसी को माना गया है। मेरी जानकारी में यह है और जो आप कहते हैं वह गलत बात है। अगर वह मेरी जानकारी में और बात लायें तो मैं इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हूं....

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको मालूम है कि किसी आदमी ने ४००० की बोली नहीं दी थी ?

श्री सम्पतराम : मेरी जानकारी में नहीं है। आपने मेरा रेफरेन्स दिया है कि मुझे उसकी जानकारी थी सो ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कन्ज़र्वेटर ने एक लैटर राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी को लिखा है। वह लैटर पड़ा रहा और कई दिन बाद रामप्रताप कॉन्ट्रेक्टर की मार्फत यह हुआ और फिर निश्चय किया गया....

श्री सम्पतराम : मैंने कहा है कि फर्दर इन्फॉरमेशन अगर आप कोई देंगे तो मैं इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कि जंगल किसी चीज का था और ठेका किसी चीज का था। मैं इसके बारे में जानकारी करके बता दूंगा। अंत में, मैं सदन को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत क्रिटिकल तरीके से, रचनात्मक तरीके से, सद्भावनाओं के तरीके से सदन को जानकारी दी। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि श्रीमाधोपुर में मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। मेरी तो जानकारी में एक भी ऐसा केस नहीं है कि कोई मुर्दा बिना लकड़ी के पड़ा रहा हो। इस प्रकार की शिकायतें लाने से सारी डिबेट का मकसद ही पूरा नहीं होता....

श्री भैरोंसिंह : यह तो कारीगरी का नमूना है कि लोगों को लकड़ी मुर्दे जलाने के लिए भी नहीं मिलती। यह आपकी प्रगतिशील सरकार का नमूना है।

श्री सभापति : He is refuting it.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अगर लकड़ी की कमी है तो बिजली से जलायें।

श्री सम्पतराम : अंत में, माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि जो कुछ मुझे कहना था विभाग की तरफ से वह मैंने अर्ज कर दिया और अब इस डिमाण्ड को पास कर दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : One allegation was levelled by an Hon'ble member that the C. C. F. remained in the hospital in the Cottage Ward and he charged full salary for that period. I would like to have a clarification from the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Hon'ble Minister whether that true?

श्री सभापति : The Hon'ble Minister has made his reply and it is always open to the Hon'ble members of this House to seek information through other ways, for example through Questions.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is also one of the ways.

श्री सभापति : But he has completed his reply.

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट।

श्री सभापति : Since we had decided to complete the demand today and the prolonged time is also well nigh over. I think I have got the permission of the House to prolong the proceedings for another 15 minutes.

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कार्ट-लोड के बारे में सरकार विचार करेगी। तो मैं मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूँगा कि कार्ट-लोड के बारे में कितने महीने में तय हो जायेगा और क्या निर्णय ले लेंगे ?

श्री सभापति : इस तरह से इन सवाल जवाबों का कोई अन्त नहीं हो सकता।

श्री सम्पतराज जैन : यह तो सवाल है कि कार्ट-लोड के बारे में आपने कहा कि एक समस्या है तो यह कहा जाये कि कितने समय में यह तय हो जायगा ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो एक क्लेरिफिकेशन चाहता था मन्त्री महोदय से कि उन्होंने कुछ कहा होगा और यदि कहा होगा तो मैं समझा नहीं। कार्ट-लोड की व्यवस्था उदयपुर में नहीं है; यानी उदयपुर में जो कन्सेशन्स गवर्नमेंट ने दिये थे वही चालू हैं तो उन कन्सेशन्स का मतलब यह है कि ऊंट के ऊपर लकड़ी लाई जाती है....

श्री सम्पतराम : यह तो आपके समझने का तरीका है। आप चाहे जैसा समझ लें। लेकिन जिस इलाके में जो कन्सेशन्स थे आज भी लागू हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब, लोग उदयपुर में लकड़ी ला सकते हैं और कोटा झालावाड़ में नहीं ?

श्री सम्पतराम : मेरा इस बारे में इतना ही रिप्लाई है कि जो कन्सेशन्स थे वे आज भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोटा और झालावाड़ में नहीं हैं और उदयपुर में हैं....

श्री सभापति : His reply is there. It is for you to interpret it as you like.

जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वे कृपया खड़े हो जायें।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव १ से ४ और १२, १३ और ४७ डॉ० बहादुरसिंह ने रखे उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री भैरवलाल 'काला बादल' ने प्रस्तुत किये उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ....

श्री सभापति : There cannot be a conditional withdrawal. या तो आप वापिस लीजिए या फिर वोट पर रखूंगा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': मैं कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने प्रस्तुत किए वे स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

Shri Dalip sigh.

(विराम)

Is he not here ?

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव जो श्री दलीपसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जायं ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं ।

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव रावराजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव संख्या २४ से २८ तक के डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री किशनलाल शर्मा।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री किशनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री रामचन्द्र ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामचन्द्र ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री रामचन्द्र : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw.

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री नाथूलाल करोल ।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री नाथूलाल करोल ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री मनरूपराम ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मनरूपराम ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे वापिस ले रहे हैं ?

श्री सभापति : He is not.

(विराम)

प्रश्न यह है कि उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री सम्पतराज ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सम्पतराज जैन ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री सम्पतराज जैन : मैं अपने दो कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री सूबेदारसिंह ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सूबेदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़): मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री गणपतिलाल वर्मा ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री गणपतिलाल वर्मा: मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री नाथूराम ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री नाथूराम : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री देवीलाल

श्री देवीलाल (सराड़ा): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री देवीलाल ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने को अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री देवीलाल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

(विराम)

श्री सभापति: श्री भैरोंसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

(श्री सभापति)

श्री रावतमल पारीक ।

(विराम)

He is not here?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रावतमल पारीक ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

(६.०० म० प०)

श्री धन्नालाल हरित ।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु.) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री सभापति:प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री धन्नालाल हरित ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु०) : सभापति महोदय, मुझे अपने ४ कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री सभापति : You are to withdraw them.

श्री धन्नालाल हरित : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : That's right.

(विराम)

श्री रावतराम ।

श्री रावतराम (चूरू-सु.): मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रावतराम ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री रावतराम (चूरू–सु.) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७६.७६ लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ७६,७६,०००) रुपये हैं।

श्री सभापति : जी हां। मैं भी यही बोला हूं। ७६,७६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

The House stands adjowned to 11 A. M. till to-morrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६:०५ बजे दिनांक २४ मार्च, १६६१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, २३ मार्च, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४४४८

उदयपुर जिले की सहकारी संस्थाओं से बकाया रकम की वसूली।

झालावाड़ जिले के सिंचाई प्रोजेक्ट्स।

पंचायतों में लगाये गये तहसील कोटपूतली के ग्राम।

थाना बाप (जोधपुर) के एस.–आई. श्री समरथसिंह के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

पाली शहर में मजदूरों की बस्ती में रोशनी एवं पानी का प्रबन्ध।

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध लिखित इन्सपेक्शन रिपोर्ट के अन्तर्गत कार्यवाही।

उदयपुर नगर में मोटर गाडी नं० आर. जे. वाई. १३७५ के चालान का मामला।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्यक्रम।

पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु आयोग की स्थापना।

महिला डॉक्टर्स की पदोन्नतियां।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण।

पंचायत समिति, रोहट द्वारा रकम का वितरण।

गलवा बांध से निकाली गई नहरों से हुई हानि।

अफीम का तस्कर व्यापार।

उनियारा डिस्पेन्सरी के स्टाफ में कमी।

जिमनिया लिखने की कॉपियों की मय नम्बर के सरकार द्वारा छपाई।

उदयपुर जिले के विकास खंडों में सिंचाई के हैड में लैप्स्ड रकम।

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहनलाल सारस्वत, के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

स्कम्भ

कोटा बैरेज के उद्घाटन के अवसर पर हुआ व्यय।

जयपुर शहर में चालित "पलाश लगाओ अभियान"।

जयपुर—अजमेर रूट पर संचालित स्टेट रोडवेज़ की बसें।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समानुकूल वेतन व सुविधायें।

वन समिति के प्रतिवेदन के अभिस्तावों को कार्य रूप में परिणत करवाना।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कृषि कॉलेज की स्थापना।

डाबरा बहुधंधी सहकारी समिति (जिला जोधपुर)।

प्रोसीक्यूशन ब्रांच को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन करना।

आय-व्ययक, १९६१-६२

स्कम्भ

दूसरी अवस्था—अनुमानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन ४५०३

उपरोक्त मांग श्री सम्पतराम, वन मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत की गई।

इस मांग पर ५४ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। वन मन्त्री के उत्तर के पश्चात् ३० कटौती प्रस्ताव वापस लिये गए एवं शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ६ बज कर ५ मिनट पर, शुक्रवार, दिनांक २४ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक २४ मार्च, १९६१ की कार्य-सूची

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ५७-विविध।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६२ का उत्तर देखिये)

सूची

सूची (अ) जिन योजनाओं पर काम चालू है:–

	क्रमांक	नाम योजना	अनुमानित लागत
१.			
	१)	काली सिन्ध	३४,००,०००
	२)	भीम सागर	४६,००,०००।

२. सूची (ब) जिन योजनाओं का सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है :–

१)	मानपुर	२७,१३,२००
२)	सारन खेड़ी	१२,५५,०००
३)	सरोद	४,१८,०००
४)	पीपलाज	१६,६२,८३०

३. सूची (स) जिन योजनाओं का सर्वेक्षण जारी है :—

१)	मनोहर थाना	१,००,००,०००
२)	सारोला	१२,००,०००
३)	भिनायगा	३,००,०००
४)	सिंगपुरा	३,००,०००
५)	जमुनिया	३,००,०००

४. सूची (द) जिन योजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण ड्रॉप कर दिया गया:–

१)	रीवां रिवर	—

Page No.143

५. सूची जिन योजनाओं का सर्वेक्षण विचाराधीन है :—

१) राधिनपुरा

२) रतानी

३) आड्डू

४) धार

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये)

पंचायत समितियों व जिला परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों तथा पंचायतों के सचिवों को दिये गये प्रशिक्षण की सूची

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों के प्रशिक्षण कोर्स

क्रमांक	अध्ययन केन्द्र	कोर्स जो किये गये उनकी संख्या
१	२	३
१.	जयपुर	१४
२.	जोधपुर	१४
३.	बीकानेर	१४
४.	कोटा	१४
५.	डबोक (उदयपुर)	१४
६.	राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर	२
७.	राजकीय पशुपालन कॉलेज, बीकानेर	३
	ग्राम पंचायतों के सचिवों के प्रशिक्षण कोर्स	
१.	जयपुर	१
२.	जोधपुर	१
३.	बीकानेर	१
४.	कोटा	१
५.	डबोक (उदयपुर)	१

नोट :— सचिवों का दूसरा कोर्स चालू है जो ३१-३-६१ को समाप्त होगा ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ का उत्तर देखिये)

LIST OF LADY DOCTORS PROMOTED IN CADRE OF C.A.S. CLASS. I

S. No.	Name of Doctor.	Licentiate.	Date of appointment.
1.	Dr. Miss. Omen	Licentiate.	1-7-1934
2.	Dr. Mrs. S. Rao.	-do-	16-3-1936
3.	Dr. Miss. V. R. Modak.	-do-	26-12-1938
4.	Dr. Miss. K. Thankamma.	-do-	23-5-1939
5.	Dr. Mrs. S. N. Palvankar.	-do-	3-4-1943
6.	Dr. Mrs. J. B. N. Sharma.	-do-	29-4-1944
7.	Dr. Mrs. P. Grover.	-do-	7-4-1945
8.	Dr. Mrs. D. Phillip.	-do-	16-8-1945
9.	Dr. Mrs. Grace Harris.	-do-	26-11-1946
10.	Dr. Mrs. P. B. Bhatnagar.	-do-	9-7-1945
11.	Dr. Mrs. P. Pant.	-do-	23-12-1946
12.	Dr. Mrs. S. Sharma.	-do-	21-3-1947
13.	Dr. Mrs. S. Zacharia.	-do-	20-3-1948
14.	Dr. Mrs. Patwardhan.	-do-	5-10-1948

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०६ का उत्तर देखिये)

PART IV

Rates chargeable on all irrigation done from (a) all works which have been constructed after the lst January, 52 other than from Gang Canal and Bhakra Supplies, and (b) from all works in the area of the former States of Banswara, Dungarpur and Pratapgarh.

Name of crop.	Note per acre.		
1. Wheat	Rs.	10.00	per crop.
2. Sugarcane.	Rs.	22.00	per year.
3. Vegetable singhara.	Rs.	12.00	per crop.
4. Garden.	Rs.	12.00	per half-year.
5. Lucem, Tobacco & Poppy.	Rs.	10.00	per crop.
6. Rice.	Rs.	8.00	per crop.
7. All other crops Except Zeera.	Rs.	7.00	per acre per crop.
8. Zeera.	Rs.	8.00	,, ,,
9. Palewa not-followed by crop.	Rs.	4.00	for all crops.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ का उत्तर देखिये)

म्युनिसिपल कौन्सिल, जयपुर

सूचना

वर्तमान मोखी आकार तथा छिटक्या तहारतों को फ्लश में परिवर्तन करने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए नगरपालिका, जयपुर नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं देती है। नागरिकों को चाहिए कि वे इस सुविधा का लाभ उठाने तथा अपने पुराने मोखी आकार तहारतों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में फ्लश में परिवर्तन करा लें। यह सुविधा दिनांक ३१-७-६१ तक जनता को उपलब्ध रहेगी।

१) तहारत के फ्लश में परिवर्तन कराने का हासिल १०) रु० के बजाय सिर्फ ५) रु० ही लिया जावेगा। सीवर कनेक्शन फीस २) रुपया जैसे है वह उसी प्रकार ली जावेगी।

२) नगरपालिका के नियम व उपनियमों के अनुसार नक्शे जिनमें तहारत का फ्लश में परिवर्तन कराने व सीवर आदि लाइने डालने सम्बन्धी आवश्यकताओं से पूर्व म्युनिसिपल इंजिनीयर के कार्यालय में किसी भी लाइसेन्स शुदा प्लम्बर ठेकेदार के द्वारा प्रेषित किये जाने चाहिए। यदि नक्शे प्रेषित किये जाने की तारीख से ७ दिन की अवधि में म्युनिसिपल इंजीनियर के कार्यालय से किसी प्रकार की सूचना या सुझाव प्राप्त न हो तो उक्त व्यक्तियों को अधिकार होगा कि तहारत को फ्लश में परिवर्तित कराने का कार्य पी० डब्ल्यू० डी० स्पेसिफिकेशन व अन्य म्युनिसिपल नियमों व उपनियमों के अनुसार पूर्ण करा लें।

३) इस सम्बन्ध में नगरपालिका की सड़क की जो टूट-फूट होगी उसकी दुरुस्ती नगरपालिका द्वारा करादी जावेगी। डामर की सड़कें जो कि पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकार में हैं न तोड़ी जावें। तथा इसके बारे में पी० डब्ल्यू० डी० से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर आज्ञा प्राप्त करें। नक्शे प्रेषित करने की तारीख से ७ दिन की अवधि में जो सुझाव लाइन आदि डालने के बारे में म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा दिये जाएं यदि उनका पालन न किया तो सड़क की मरम्मत की सुविधा नहीं दी जावेगी।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ का उत्तर देखिये)

Sub-Inspector Shri Jagdish Prasad of Udaipur Distt. working as Traffic S.I. alone had challaned bus No. RJY 1375 twice in the Court of City Magistrate and not with the help of H.C. Bhanwarlal.

The first charge sheet (complaint) No. 246/59 u/s 42/123. 121/112. I. MVV Act was put up in the Court of City Magistrate, Udaipur on 9. 9. 59, against Shri Murari Lal Conductor and Thawardas driver of bus No. RJY 1375. The chargeswere that the bus was found on 5. 8. 59 at Fatepura Road against the route prescribed in the permit and that it contained 59 passengers beyond the authorised capacity of 56.

The learned Magistrate while deciding this case has written in his judgment that the permit of bus No. 1375 RJY has been renewed up to 30-6-60. The permit authorises the bush to ply between Pratapnagar to Fatepura via st. Road College etc. The challan is that the bus was found on 5-8-59 at Fatepura Road against the permit. But the permit shows that the bus had permission to go to Fatepura and as such the charge is unfounded. The other charge is that the bus contained 59 passengers as against the 56 seats authorised. I find from the memo that figures 56 have been over written to make 59. This is suspicious. More over two PWS. S. I. Shri Jagdish chandra and Shri Ashiq Hussain have not turned up. Under the circumstances there is no other alternative but to take the evidence as correct and find the challan suspicious and in-correct. The accused are acquitted as there is no evidence.

The second charge sheet No. 250/59 u/s 42/123 IMV Act and Rule 121/11 IMV Act was put up on 9-9-60 against Shri Murari Lal Conductor and Thawardas driver. The charges were that bus No. 1375 RJY was found lying up to Fatepura and it had no permit to ply it to that side, that it contained 59 passengers against the authorised capacity of 55.

The learned Magistrate while deciding this case has written in his judgment that the accused were given the opportunity to produce defence. But they have failed to do that without any reason. The bus had no business to go towards that side when there was no permit. I have been shown the order restricting the route and the accused. Thawardass is found to have committed breach of section 42 IMV Act and under Sec. 123 IMV

Act a fine of Rs. 200/- only as fine is imposed upon him. Shri Murari Lal is acquitted, it is not found what offence he has committed and the memo shows that the passengers were 55 or 59 as there is an overw-riting.

Departmental enquiry was conducted by C. I. Udiapur against S. I. Shri Jagdish Prasad and he was charge sheeted for making overwriting in two challans No. 246 & 250 of bus of 1375 RJY turning figure 56 into 59 and 55 into 59 together with other charge and S. I. was reverted for a period of six months exclusive of all kinds of leave to his substantive rank of H.C. vide order of the S. P., Udaipur dated 29th July, 1960.

H.C. Shri Bhanwarlal of Udaipur distt. was also Deprived of his one grade increment for three years as a result of D.E. conducted by the C. I. for delaying the traffic challans and preparing wrong statements. He was not punished regarding these two challans No. 246 & 250 of bus No. 1375 RJY nor any D.E. was held as there was no such necessity, both the challans having been put up by the S. I. only.

Page No.150

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, २३ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४४५६	२०	रेकर्ड	रेकॉर्ड
४४५७	११	डिपार्टमेंटस	डिपार्टमेंट्स
४४६०	शीर्षक	४५६०	४४६०
४४६७	शीर्षक	मांग संख्या ११	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१९	फायल	फाइल
४४७०	१८-१९	'फ्लश लगाओ अभियान-	'फ्लश लगाओ अभियान'
४४७३	१२	की ओर नहीं ध्यान	की ओर ध्यान नहीं
४४७६	शीर्षक	तारंकित	तारांकित
४४७७	७	से बराबर	से वे बराबर
४४७८	अन्तिम से ४	रिडयूस	रिड्यूस
४४७९	२२	रूटस	रूट्स
४४८१	१५	वे दे जनता को	वे जनता को
४४८७	१	के उक्त	(क) उक्त
४४९१	११	पार्टिक्लरली जब तब कि	पर्टिकुलरली तब जब कि
,,	अन्तिम से ४	डी. आई. जी	डी. आई. जी. पी.
४४९२	६	श्री दामोदरलाल: व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास :
,,	१५	श्रीभै रोंसिह	श्री भैरोंसिंह
४४९६	अन्तिम पंक्ति	Suspecion	Suspicion
४५००	२०	(फलसिया)	(फलासिया)
४५०१	१९	अभिरतावा को	अभिस्ताव को
४५१२	शीर्षक	सख्या	संख्या
४५१४	६	सैंक्अरी	सैंक्चुअरी
४५१७	शीर्षक	वव	वन
४५२०	,,	शीषंक	शीर्षक
,,	१२	विशेव आलोचना	विशेष की आलोचना
४५२३	२०	श्री भैरबलाल	श्री भैरवलाल
४५३३	शीर्षक	४१३३	४५३३
,,	१७	श्री अध्यण	श्री अध्यक्ष
४५४३	१७	श्री दलीपसिह	श्री दलीपसिंह

१	२	३	४
४५५०, ४५७६	शीर्षक	शीर्पक	शीर्षक
४५५४	५	वही	वहीं
४५५६	शीर्षक	शीर्यक	शीर्षक
४५६०	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
४५६८	शीर्षक	मुख्य शीर्षक २७	मुख्य शीर्षक १०
४५६९	१७	उपाध्यक्ष, महोदय,	उपाध्यक्ष महोदय,
४५७१	३	कांट्रेक्टस	कॉंट्रेक्ट्स
४५७१	११	आकेर्षित	आकर्षित
,,	३०	४०, ३० इन्चेज़	३०, ४० इन्चेज़
४५७३	२४	चीज़ को	चीज़ जो
४५७८	शीर्ष	(डॉ चन्ट्रकला)	(डॉ चन्द्रकला)
४५८१	१८	में	मैं
४४९४	शीर्षक	शीक	शीर्षक
,,	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्सास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
४५९५	१५	kinddly	kindly
,,	अन्तिम से २	देखरे सा	देखरेख करे, जो पैसा
४५९७	६	आदिवासिमों	आदिवासियों
४५९९	३	थी	थी वह
४६००	२०	इल्टरनेट	ऑल्टर्नेट
४६०२	६	ब्रजसुन्दर	बृजसुन्दर
४६०६	शीर्षक	(श्री रामचन्द्र)	(श्री रामचन्द्र)
,,	६	पर्न्सेंट	पर्सेन्ट
४६०९	१३	करूगा	करूंगा
४६१०	५	किसानों का	किसानों की
४६१५	१७	फ़िस्टीशियस	फ़िक्टीशियस
४६१८	१७	I don'd	I don't
,,	१६	(लालसोट)	(लालसोट मु०)
४६२२	१८	डिस्टक्ट	डिस्ट्रिक्ट
४६२३	२४	मैंड़े	मैंड़ें
४६३२	१६	कलड़ी	लकड़ी
४६३४	शीर्षक	२२ मार्च	२३ मार्च
,,	३	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
४६३७	२	dwelliing	dwelling

१	२	३	४
४६४४	शीर्ष	वम ा	वर्मा
४६४६	१५ वीं पंक्ति के नीचे	—	(विराम) Yes' continue
४६५०	शीर्षक	४३५०	४६५०
४६६३	११	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
४६६५	१६	मशीन	मशीनें
४६६६	६	त्रीमारी में	बीमारी में मेरी
४६७०	२४	I doint	I don't
४६७३	अन्तिम से ४	श्री जयसिह	श्री जयसिंह
४६७४	१६	एडीसन	एडीशन
४६७५	२१	जव	जब
४६७६	३	इम्पार्टेन्स	इम्पोर्टेन्स
,,	६	इम्पोटन्स	इम्पोर्टेन्स
४६७७	२५	पोस्टस	पोस्ट्स
४६८०	११	महोदद	महोदय
४६८१	१२	समात	समाप्त
४६८२-८३	शीर्षक	२२ मार्च	२३ मार्च
४६८२	२२	लोगों कौ	लोगों को
४६८५	१५	समाति	समाप्ति
,,	१७	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
४६८६	१३	miute	minute
,,	२०	डॉ. वहादुरसिह	डॉ. बहादुरसिंह
४६८७	१३	समात	समाप्त
४६९०	अन्तिम से २	जंगलों की	जंगलों का
४६९८	२	५६ ६०	५६-६०
,,	६	कूस	क्रूस
,,	१६	वर्किग	वर्किंग
४७०१	१४	टूरिस्टस	टूरिस्ट्स
४७०३	शीर्षक	वव	वन
,,	११	प्रोपरटो	प्रोपरली
४७०४	१५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
४७२१	४	(सराड़ा)	(सराड़ा—सु०)
४७२५	२	adjowned	adjourned
४७२७	३-४	स्कम्भ	स्कम्भ
	,,	४४४८	४४४६
,,	५	पृथककरण	पृथक्करण

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४६५७	१६	Centainly.	Certainly.
शुद्धि पत्र पेज २	कॉलम २ पंक्ति १४	४४६४	४५६४